# ~सत्य बहुमत~

*'भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक विकल्प'*

*भाई सत्य देव चौधरी*

Web : www.satyabahumat.com
Email : satyabahumat@gmail.com
http://www.facebook.com/satyabahumat

# ~सत्य बहुमत~

*'भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक विकल्प'*

Web : www.satyabahumat.com
Email : satyabahumat@gmail.com
http://www.facebook.com/satyabahumat

सम्वत्–2068, माह–मार्गशीर्ष
तिथि– ग्रहण / पूर्णिमा
तदानुसार–10–12–2011

बहनो भाइयो,

भारत में भ्रष्टाचार है ये कहकर मैं अपने देश के स्वाभिमान को घटाना नहीं चाहता। मेरा देश भ्रष्टाचारियों का देश नहीं है व अधिकतम देशवासी भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं रखते। लेकिन ये कैसे माना जाए कि देश की सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार नहीं है। किसी भी कारण से, नहीं चाहते हुए भी मैं स्वयं कई बार भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाता हूं।

सत्य बहुमत के राजनीतिक विकल्प में भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी का केवल एक कारण और भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी को जड़ से समाप्त करने का भी केवल एक और केवल एक ही विकल्प जानने के लिए थोड़ा समय निकालकर सत्य बहुमत को पढ़ लें। आशा करता हूं कि सत्य बहुमत के विचारों को समझकर समर्थन देने में देर नहीं करोगे। धन्यवाद।

आपका
भाई सत्यदेव चौधरी

# ~सत्य बहुमत~

*'भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक विकल्प'*

## भाई सत्य देव चौधरी

Web : www.satyabahumat.com
Email : satyabahumat@gmail.com
http://www.facebook.com/satyabahumat
http://twitter.com/#!/satyabahumat
http://satyabahumat.blogspot.com

*~सत्य बहुमत ~*

सम्वत् – 2068, माह – मार्गशीर्ष,
तिथि – ग्रहण/पूर्णिमा,
तदानुसार – 10–12–2011

**टाईपिंग सहयोग**

श्री सन्तोषी पाण्डेय

**इंटरनेट सहयोग**

श्री अमरेन्द्र कुमार
श्री विकास श्रीवास्तव

## अनुक्रम


बहुमत–भ्रष्टाचार 1 – 43

कालाधन 45 – 52

अनशन, आन्दोलन व सत्याग्रह 53 – 65

राजनीति 67 – 111

# भ्रष्टाचार मुक्त

भारतवर्ष, राज्य हरियाणा जिला भिवानी गाँव बहल के किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में ही लेने के पश्चात कई माध्यमिक विद्यालयों से होते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बी.काम. आनर्स किया। बचपन से ही भ्रमण की रूचि ने लगभग सारे देश को देखने का अवसर दिया और देश से बाहर भी कुछ विकासशील देशों का भ्रमण किया। वर्तमान में वस्त्र निर्यात के उद्योग में रत रहते हुए अपनी, अपने समाज और देश की दयनीय दशा को देखकर ऐसे लगा जैसे हमारे देश में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। केवल भ्रष्टाचार से ही सब कुछ जकड़ा हुआ है। मैंने भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी का कारण केवल–भ्रष्ट बहुमत–की व्यवस्था को ही माना है। इसके बदले केवल –सत्य बहुमत– की व्यवस्था से ही भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।

मैंने बचपन से ही सुन रखा है कि हमारे देश के हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से बोलने का, लिखने का और अपने विचारों को व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है, इसी भरोसे भ्रष्टाचार के मूल कारण और एकमात्र समाधान अपनी बुद्धि और विचारों से बोलने के साथ साथ लिख भी दिया। कौन सा भ्रष्ट राजनेता –सत्य बहुमत– की व्यवस्था से असहमति जताकर मुझे, मेरे समाज और देश को कितना दंडित और अपमानित करने का प्रयास करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का उपाय केवल –सत्य बहुमत– ही है।

क्योंकि मैं एक अच्छा लेखक नहीं हूं इसलिए—सत्य बहुमत— को किसी नावल या कहानी की तरह जल्दी में पढ़कर समाप्त मत कर देना। थोड़ा सा समय लगाकर पढ़ते समय मेरे विचार का अर्थ समझने का प्रयास करना। अर्थ जो बहुत ही सरल है, समझने के पश्चात —सत्य बहुमत— से सहमत हुए बिना नहीं रह सकते। इस पर ध्यान मत देना कि मेरे लिखने में भाषा और व्याकरण की कहां गलती है, निश्चित रूप से सत्य बहुमत की व्यवस्था स्थापित करवाकर भ्रष्टाचार मुक्त, सच्ची, ईमानदार और पारदर्शी सरकार का नेतृत्व देने में कहीं गलती नहीं करूंगा।

भाई सत्यदेव चौधरी

# बहुमत-भ्रष्टाचार

1. भारत का अतीत कितना महान, कितना समृद्ध, कितना शक्तिशाली, संस्कृत व प्रांतीय भाषाओं के ओज से लबालब, कितना स्वस्थ, कितना स्वच्छ, कितना प्राकृतिक व भू संपदा का धनी, कितना आध्यात्मिक, कितना न्याय संगत था। हमारे पूर्वजों के ज्ञान, सच्चाई, ईमानदारी, देशभक्ति व निस्वार्थ भाव से जीने के मार्ग को देश की सारी जनता ने स्वीकार किया हुआ था। हम विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली और गौरवशाली राष्ट्र होने के साथ–साथ हमारी सभ्यता व संस्कृति का डंका पूरे विश्व में बजता था, आज इन सब विशेषताओं से देश खाली सा लगता है।

2. भले ही हमारे राजनेता विकास के कितने भी सुंदर आंकड़े दिखाएं, आज हमारा देश भ्रष्टाचार, गरीबी, बीमारी, गंदगी, बेरोजगारी, महंगाई और मिलावट से ग्रस्त है। अतीत और आज के बीच कौन सा मुगल, कौन सा अंग्रेज हमारे देश को कितना और कैसे लूटकर ले गया, और हमने कैसे उसे होने दिया, बहुत ही आश्चर्य की बात है! इससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का है कि जितना एक हजार वर्षों में मुगल और अंग्रेज जो विदेशी आक्रमणकारी थे नहीं लूट पाए, आजादी के बाद केवल 65 वर्षों में हमारे अपने ही देश के भ्रष्ट नेताओं ने उससे भी कई गुना लूट लिया। इसके पश्चात भी देश की अधिकतम जनसंख्या सच्ची, ईमानदार और देशभक्त है। चंद भ्रष्ट राजनेताओं के कारण असहनीय गरीबी और दरीद्रता का जीवन जीते हुए भी देश के नागरिक सहनशील हैं। आज समूचा देश कुछ भ्रष्टाचारियों को छोड़कर भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने का विकल्प ढूंढ रहा है।

3. कितने लाख देश भक्तों ने अपनी जान लुटा कर देश को अंग्रेजों की गुलामी के चंगुल से निकाला था। लेकिन स्वतंत्र होने के पश्चात् भी हम फिर प्रजातंत्र के नाम पर –भ्रष्ट बहुमत– के चक्रव्यूह में फंस गए और देश भ्रष्टाचार के रूप में चारों तरफ से लुटने के साथ साथ हर जन कितना भी कैसा भी भ्रष्ट बन गया। वर्तमान प्रजातंत्र में ये किस प्रकार के बहुमत की व्यवस्था है जिसमें देशवासी या तो गरीब हैं या भ्रष्ट, 121 करोड़ की जनसंख्या में एक भी ऐसा ढूंढ कर दिखाओ जो या तो गरीब नहीं है या भ्रष्ट नहीं है। देश की दो तिहाई से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, ईमानदारी, सच्चाई मानो लुप्त ही हो गई हो, खाद्य पदार्थों में मिलावट का बोलबाला है, महंगाई, बेरोजगारी आसमान पर है, आजादी के बाद कुछ राजनेताओं को मानो प्रजातंत्र व बहुमत के नाम पर देश को लूटने का प्रमाणपत्र मिल गया हो। स्वाभिमान व गर्व से जीने का मार्ग केवल सच्चे प्रजातंत्र और बहुमत से ही निकलता है, इसलिए मैं सच्चे प्रजातंत्र और बहुमत की व्यवस्था का तनिक भी विरोध नहीं करता, अपितु 100 प्रतिशत से भी अधिक इस व्यवस्था का समर्थन करता हूं। लेकिन कुछ भ्रष्ट राजनेताओं द्वारा प्रजातंत्र और बहुमत का अर्थ व प्रयोग दोनों ही कुछ इस तरह से किए गए कि देश के गरीबों की गरीबी मिटने के बदले केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पूरे देश में स्थापित हो गया। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार के बिना जिंदगी जी नहीं सकते। ऐसा क्यों और कैसे हुआ!

4. आजादी के बाद हमारे नेताओं ने, प्रजातंत्र व निष्पक्ष चुनावों को आधार मानते हुए बहुमत की सरकार से शासन करना तय किया। हमने ही वर्तमान प्रजातंत्र और बहुमत को स्वीकृति देकर कानून से प्रमाणित किया हुआ है। लेकिन बहुमत और

प्रजातंत्र का अर्थ ठीक से समझना होगा और प्रयोग भी ठीक से ही करना होगा। कुछ भ्रष्ट व स्वार्थी राजनेता तो इसका अर्थ ठीक से समझने में व प्रयोग करने में कोई रूचि नहीं लेंगे, क्योंकि आज के ये नेता उन्हीं नेताओं की सन्तानें हैं और उन्ही नेताओं की बनाई हुई लकीरों में अटूट विश्वास रखते हैं जिन्होंने बहुमत व प्रजातंत्र का अर्थ हमारे संविधान की रचना करने वालों से ऐसे सुनियोजित षड़यंत्र से करवा दिया जिससे सत्ता के अधिकारी केवल उसी राजनीतिक दल के नेता ही रह सकें जो सबसे अधिक भ्रष्टाचार करने में माहिर हों। कानून की दृष्टि में तो प्रजातंत्र व बहुमत का कोई भी दुरूपयोग नहीं हुआ, लेकिन हर स्थिति में केवल उसी राजनीतिक दल के नेता ही सत्ता में आ सकते हैं जो भ्रष्टाचार में निपुण और सबसे अधिक भ्रष्टाचार करने के विशेषज्ञ हों।

5. नहीं तो क्या कारण है कि आजादी के बाद लगभग 65 वर्षों में कई बार सत्ता परिवर्तन होने के पश्चात भी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनती और सत्ता फिर चली जाती है उसी राजनीतिक दल के पाले में जो सबसे अधिक भ्रष्टाचारी है। परिवर्तन से ये तो प्रमाणित होता है कि देशवासी गरीब और अशिक्षित होने के पश्चात भी भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए भ्रष्ट बहुमत का सामना करके सत्ता परिवर्तन करवाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को परिवर्तन सहन नहीं होता, और भ्रष्टाचार फिर प्रजातंत्र व बहुमत के चीथड़े–चीथड़े करके बहुत आसानी से सत्ता उसी राजनीतिक दल के नेता को सौंप देता है जो सबसे अधिक भ्रष्टाचारी है। सबसे अधिक भ्रष्टाचारी को सत्ता सौंपकर भ्रष्टाचार ने भी बहुमत का पक्ष लेकर सही निर्णय लिया। भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था के कारण ही भ्रष्टाचार को व्यवस्था में घुसने

का बहुत ही आसान और खुल्ला रास्ता मिल जाता है। भ्रष्टाचार प्रजातंत्र व बहुमत जैसी पवित्र आस्थाओं को अपवित्र कर देता है।

6. अब यदि आने वाले चुनावों में एक बार फिर हमारे देश की गरीब जनता सत्ता परिवर्तन करवाने में सफल हो जाती है, जो कि सफल हो ही जाएगी क्योंकि आज सारी जनता ही भ्रष्टाचार के आतंक से ग्रस्त है, तो एक बार फिर भ्रष्टाचार अपने ही बनाए हुए भ्रष्ट बहुमत के आगे घुटने टेक देगा और सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन कुछ समय पश्चात ही यही भ्रष्टाचार जिसने गरीब जनता के आगे घुटने टेके हैं, अपना उससे भी विकराल रूप लेकर, स्वयं अपने भूतकाल के लघु रूप को निगल कर भ्रष्टाचार के ही बोलबाले को प्रमाणित करने में सफल हो जाएगा। और फिर गरीब जनता भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए संघर्ष करने की शक्ति जुटाने में लग जाएगी, जब तक फिर शक्ति नहीं जुट जाती भ्रष्टाचार चैन से अपने भ्रष्टाचार का आनन्द लेता रहेगा। वर्तमान व्यवस्था में भ्रष्टाचार के बोलबाले ने आजादी के 65 वर्षों में प्रजातंत्र व बहुमत का दुरूपयोग कई बार सिद्ध करके दिखा दिया है। परिवर्तन की सफलता फिर विफलता में बदल जाती है।

7. परिवर्तन होने पर भी सरकारी व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त न होने का कारण है राजनीतिक दलों के पास भ्रष्टाचार द्वारा अपार धनबल व बाहुबल की शक्ति के उपयोग से भ्रष्ट बहुमत प्रमाणित करने में सफल हो जाना। भले ही बहुमत को प्रमाणित करने में कितना भी भ्रष्टाचार किया, लेकिन बहुमत प्रमाणित करके सत्ता पर कब्जा करने में सफलता पा लेते हैं। फिर भ्रष्टाचार करने का प्रमाणपत्र बहुमत से मिल गया। भ्रष्टाचार से बहुमत, बहुमत से भ्रष्टाचार का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। इस भ्रष्टाचारी

बहुमत में सच्चाई, ईमानदारी व सुव्यवस्था दूर–दूर तक दिखाई नही पड़ती, ठीक उसी प्रकार जैसे ग्रीष्म ऋतु की रेत में दूर से पानी दिखाई देने पर पानी को पकड़ने के लिए निरंतर दौड़ते रहने के पश्चात भी पानी पकड़ में नहीं आता, पानी हो तो पकड़ में आएगा ना। वैसे ही भ्रष्ट बहुमत के बोलबाले में, सच्चाई ईमानदारी कहीं बची होगी तो दिखाई देगी ना। हमारे संविधान में बहुमत व प्रजातंत्र का प्रयोग ठीक इसी मृगतृष्णा का प्रकार है। वर्तमान भ्रष्ट बहुमत की रेत में पानी की तरह भ्रष्टाचार को पकड़ने का प्रयास करते रहो लेकिन पकड़ पाना असम्भव है, पकड़ने का प्रयास करते करते थक कर गिर जाते हैं लेकिन भ्रष्टाचार का पानी न तो पकड़ा जाता है और न ही दिखना बन्द होता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सफलता तभी मिलेगी जब प्रजातंत्र व बहुमत का अर्थ और प्रयोग दोनों संवैधानिक रूप में बिल्कुल सच्चे और सही हो जाएंगे।

8. देश की गरीब व भोली भाली जनता वर्तमान–प्रजातंत्र और बहुमत– के कपट भरे अर्थ को समझ ही नहीं पा रही है जिससे भ्रष्टाचार का जन्म होता है और गरीबी व भुखमरी से छुटकारा मिलता ही नहीं। वर्तमान व्यवस्था में प्रजातंत्र व बहुमत का अर्थ है जैसे मर्जी गोटी को घुमाओ नम्बर आएगा उसी एक गुट परिवार के पक्ष में जो सबसे अधिक भ्रष्ट है। व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक दल, किसी परिवार या व्यक्ति की आलोचना करना मेरा लक्ष्य नहीं है, केवल वही लिखने का प्रयास कर रहा हूं जो सच्चाई है, जैसी व्यवस्था है और उस व्यवस्था का जो परिणाम देश की गरीब जनता ने भुगता और भुगत रही है। वर्तमान–प्रजातंत्र व बहुमत–का अर्थ ठीक किये बिना गरीबी नहीं मिटेगी, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, कालाधन उपजता ही रहेगा। इतना भ्रष्टाचार होते हुए भी हमारा कोई भी राजनेता कोई भी आंदोलनकारी भ्रष्ट

बहुमत को नहीं समझ पा रहा है या समझते हुए भी जानबूझ कर इस मुद्दे पर चुप हैं और विषय को घुमाफिरा कर पुनः भ्रष्टाचार के ही हवाले कर देते हैं। ऐसी चुनावी व्यवस्था का विकल्प नहीं खोज पा रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार और काला धन जन्म ही न ले।

9. हमारे देश के 99 प्रतिशत से अधिक देशवासी सच्चे, ईमानदार व देशभक्त हैं, वीरता और बुद्धि कौशल की विशेषताओं से हमारा देश भरा पड़ा है, अशिक्षित और गरीब होने के बाद भी सही निर्णय लेने में समर्थ हैं। लेकिन –बहुमत व प्रजातंत्र– का अर्थ ठीक से समझ में न आने के बाद भी यदि निर्णय लेना पड़े तो देशवासियों की क्या गलती है। भ्रष्ट नेताओं ने प्रजातंत्र के नाम पर वोट लेकर जिस बहुमत से सरकार बनाई, उस बहुमत का अर्थ ही देशवासियों को समझ नहीं आया, फिर भी वोट दिए और बहुमत से सरकार बनी। जिस बहुमत से सरकार बनाने की बात संविधान में तय करी गई क्या उस बहुमत को स्वीकार करने से पहले देशवासियों की राय ली गई थी, क्या देशवासियों को बताया गया था कि जिस बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था बनाई जा रही है उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा? संविधान को अन्तिम रूप देने से पहले यदि बहुमत व प्रजातंत्र के मायने सच्चाई व ईमानदारी से अपनी मातृभाषा में देशवासियों को समझाकर उनसे राय ली गई होती तो निश्चित ही इस व्यवस्था के ऊपर कानून का ठप्पा नहीं लग पाता और भ्रष्टाचार भी नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है कि संविधान में –बहुमत व प्रजातंत्र– के मायने अंग्रेजी भाषा में लिखे और समझाए गए, बहुमत के विषय पर देशवासियों से राय भी नहीं ली गई। हमारे देशवासी भ्रष्ट बहुमत की भाषा और मायने नहीं समझ पाए और आजादी के नगाड़ों में भ्रष्ट बहुमत को स्वीकार कर बैठे। लिखने और बोलने में तो बहुमत व प्रजातंत्र

आम नागरिक को इतनी स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन वास्तव में आज का बहुमत व प्रजातंत्र आम नागरिक को केवल ठगने के सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं तो बावजूद इसके कि हम इतने मेहनती, ईमानदार और सच्चे हैं, गरीबी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्यों हमारा देश सभी प्रकार के साधनों से भरपूर होने के पश्चात भी विश्व का सर्वशक्तिशाली व सम्पन्न राष्ट्र नहीं बन पाया? इस बात को अच्छे से समझना होगा।



देश में प्रजातंत्र की सरकारी व्यवस्था बनाने में मुख्य रुप से तीन स्थितियों में बहुमत से निर्णय लिए जाते हैंः

10. पहली स्थिति में सरकार बनाने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों का चुनाव होता है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारते हैं। सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी वोट पाने के लिए अनेकों अनेक वायदों, कार्यक्रमों, योजनाओं और प्रलोभनों की घोषणा करते हैं। चुनाव के दिन वोटर वोट डालते हैं, और परिणाम घोषणा के दिन जिस भी प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशियों की तुलना में मतदाताओं ने सबसे अधिक वोट दिए वही प्रत्याशी विजयी घोषित कर दिया जाता है। अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में विजयी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलने की स्थिति को ही बहुमत से विजयी होना कहते हैं। मैं वोटों के बहुमत को –सत्य बहुमत– मानता हूं। सही मायने में सच्चा बहुमत यही है, भले ही सदस्य के चुनाव में जीतने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट से भ्रष्ट हथकंडों का प्रयोग होता है। जब भ्रष्टाचार समाप्त होगा तो भ्रष्ट हथकंडों का प्रयोग भी समाप्त हो जाएगा।

11. अब दूसरी स्थिति सरकार बनाने की है। सरकार उसी राजनीतिक दल का नेता बना पाएगा जो कुल विजयी सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक बहुमत जुटा पाए। सरकार का गठन करने के लिए कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक बहुमत होना आवश्यक है। सरकार बनाते समय बहुमत की परिभाषा एक सदस्य के चुनाव की तुलना में बिल्कुल बदल दी जाती है। सदस्य तो बनेगा वोटों के बहुमत से और सरकार बनेगी सदस्यों के बहुमत से। सरकार भी वोटों के बहुमत से क्यों नहीं बनती? एक सदस्य को जीतने के लिए कुल वोटों का 50 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, परन्तु सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक बहुमत होना आवश्यक है। जिस भी राजनीतिक दल को दूसरे सभी राजनीतिक दलों की तुलना में वोट सबसे अधिक मिले लेकिन सदस्य 50 प्रतिशत से कम विजयी हुए, वह राजनीतिक दल अकेले स्वतंत्र रूप से सरकार नहीं बना सकता। मैं सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने को भ्रष्ट से भी भ्रष्ट बहुमत से सरकार बनाना मानता हूं।

12. हमारे संविधान की व्यवस्था में ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है कि सबसे अधिक सदस्यों वाला राजनीतिक दल ही कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों को जुटाने के लिए दूसरे छोटे दलों को मिलाकर सरकार बनाने का अधिकारी होगा। सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था के कारण ही देश की राजनीति में बर्चस्व रखने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक दल आज सिकुड़ता जा रहा है और यदि यही व्यवस्था बनी रही तो बहुत शीघ्र ही भ्रष्टाचार का रूप इतना बड़ा भी हो सकता है कि छोटे से छोटे राजनीतिक दल भी भ्रष्टाचार की ताकत पर बड़े राजनीतिक दलों से समझौते

करके ताल ठोक कर सरकार बनाने का दावा करेंगे, भले ही छोटे राजनीतिक दल पूरे देश के सभी चुनाव क्षेत्रों में जीतने हारने की बात तो छोड़ो, प्रतिनिधि बनने के लिए सभी क्षेत्रों में चुनाव तक नहीं लड़ते। बड़े राजनीतिक दलों के समर्थन से, छोटे दलों के नेतृत्व में कई बार सरकारें बन भी चुकी हैं। बड़े राजनीतिक दल छोटे राजनीतिक दलों को समर्थन देकर प्रजातंत्र का मजाक उड़ाते हुए इस स्थिति का भरपूर राजनीतिक लाभ लेने में कहीं कसर नहीं छोड़ते, तो ये कैसा बहुमत हुआ, भ्रष्ट बहुमत नहीं हुआ तो क्या हुआ—सदस्यों के बहुमत को जुटाने के लिए ही भ्रष्टाचार का जन्म होता है। मेरे विचार इसी 'भ्रष्ट बहुमत' और 'सत्य बहुमत' को समझने और समझाने के लिए चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं।

13. कैसे भी बहुमत से सरकार बन जाने के पश्चात् तीसरी स्थिति में बहुमत का प्रयोग देशहित में व जनता के भले के लिए न्यायसंगत कानूनों को बनाने के लिए होता है। सभी राजनीतिक दल सत्ता या विपक्ष, अपने—अपने ढंग से देशहित व जनता के हित में कानून बनाने के लिए बिलों को सदन में प्रस्तुत करते हैं। बिल के ऊपर बहस होती है। फिर एक समय आता है सदस्यों द्वारा वोट डालकर बहुमत से बिल को पास या फेल करने का, और इस समय सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने सदस्यों को बिल के पक्ष या विपक्ष में वोट डालने का निर्देश या व्हिप जारी कर देते हैं। कोई भी सदस्य बिल को पास या फेल करवाने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने मत का प्रयोग नहीं करता। यहां प्रश्न उठता है, जहां पूरे देश की 121 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व केवल 543 सदस्यों द्वारा सदन में किया जाता हो और केवल उन्ही के मत द्वारा देश व देशवासियों के भविष्य और

भाग्य का निर्णय होना होता हो, उस समय बिल के ऊपर बहस करने और निर्णय लेने के लिए सदन में सदस्यों की उपस्थिति ही अनिवार्य न हो, सदस्यों की राय व्हिप से तय कर दी जाती हो, सदस्य अपना स्वतंत्र विचार रख ही नहीं सकते हों, चाहते हुए भी अपने नेता के व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकते हों, फिर भी बिल पास या फेल हो रहे हों– तब कैसे समझा जाए कि देश के भविष्य और भाग्य का निर्णय सही दिशा में हो रहा है। ये कैसा प्रजातंत्र है ये कैसा बहुमत है। प्रजातंत्र और बहुमत के नाम पर तानाशाही का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता।



14. अब थोड़ा विचार पहली स्थिति में सदस्यों का चुनाव वोटों के बहुमत से करें जिसको हम सत्य बहुमत मानते हैं, तो इस व्यवस्था में कुछ इस प्रकार के संदेह व सुझाव आते हैं जैसेः

मतदाताओं की सूची का सही न होना,
मतदाता का मतदाता सूची में नाम ही न होना,
उम्मीदवार की न्यूनतम शिक्षा का अनिवार्य होना,
उम्मीदवार के ऊपर कोई अपराधिक मामला न होना,
उम्मीदवार की अधिकतम आयु निर्धारित होना,
उम्मीदवार का स्वस्थ व स्वच्छ छवि का होना,
केवल दो राजनीतिक दल ही चुनाव लड़ें, आदि आदि।

बनाने को तो कितनी भी लम्बी सूची उम्मीदवार के कैसा होने या न होने की बनाई जा सकती है लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि चाहे कितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ें, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार चाहे अशिक्षित हो, गरीब हो, शहर

का वासी हो या गाँव का, किसी भी वरिष्ठ आयु का हो, योग्य हो या अयोग्य, चोर हो या जेबकतरा, कैसे और कितने भी अपराधिक मामलों में लिप्त हो, पूर्ण स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार उसे मिलना चाहिए। अपराधी भी है तो हमारे ही देश का नागरिक, चाहे अच्छा या बुरा है तो हमारे ही समाज और व्यवस्था की देन। हमारा प्रजातंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि हर प्रकार के नागरिक को चाहे वो कितना भी अपराधी हो स्वतंत्र रूप से अपने आप को परिवर्तित करने का अवसर दे सके। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां अवसर मिलने पर अपराधियों ने मानव कल्याण के अत्यन्त सराहनीय बेजोड़ कार्य किए हैं। अपराध और चुनाव लड़ने के अधिकार को दो अलग अलग विषय मानकर अपराध के कारण को ही समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए।

15. यदि भ्रष्टाचार नहीं होगा तो अपने आप ही उपर लिखे सभी संदेह व अन्य सारे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और यदि भ्रष्टाचार रहेगा तो केवल अपराध व दोष ही दोष पल्ले पड़ेंगे। जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो जीतने के लिए किसी भी दल का नेता अपराधी या अयोग्य उम्मीदवार को चुनाव में उतारने का साहस नहीं करेगा। वर्तमान में एक और सभी सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था से हम सहमत हैं और सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था को –सत्य बहुमत– मानते हैं।

16. क्योंकि सरकार बनाने के लिए बहुमत का अर्थ एकदम बदल जाता है और बहुमत जुटाने के लिए सिवाय भ्रष्टाचार के कोई विकल्प नहीं होता, इसीलिए एक सदस्य के चुनाव में भी वही भ्रष्टाचार बिना किसी डर के काम में लिया जाता है जो भ्रष्टाचार

सरकार बनाने के काम में लिया जाता है। आखिर है तो उसी भ्रष्टाचारी नेता के चेले का चुनाव जिसके संरक्षण में सदस्य अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ता है।

17. एक सदस्य के चुनाव का उदाहरण ले लें:

1. मान लें एक चुनाव क्षेत्र में कुल वोटों की संख्या 10 लाख है।
2. मुख्य रूप से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार दो या तीन हैं व अन्य उम्मीदवार संख्या में दस से भी अधिक हैं।
3. औसतन मतदान 50 प्रतिशत हुआ यानि कुल 5 लाख वोट पड़े।
4. अन्य उम्मीदवार जो दस से भी अधिक हैं, पड़ने वाले 5 लाख वोटों में से उनके हिस्से में आते हैं 50 हजार वोट।
5. जो उम्मीदवार बहुमत से जीतने वाले से तीसरे नम्बर पर रहा उसको मिलते हैं एक लाख वोट।
6. जो उम्मीदवार जीतने वाले से दूसरे नम्बर पर रहा उसको मिलते हैं एक लाख पचास हजार वोट।
7. और बहुमत से जीतने वाले को मिलते हैं दो लाख वोट।
8. ऐसा ही वोट का प्रतिशत लगभग सभी सदस्यों के चुनाव में होता है।

18. अब यदि प्रतिशत से देखें तो विजयी उम्मीदवार को कुल वोटों का मात्र 20 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ व कुल वोट पड़ने के प्रतिशत से देखें तो 40 प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। कुल वोटों का 50 प्रतिशत मत तो जीतने वाले सदस्य को नहीं मिला, और सम्भवतः एक भी सदस्य पूरे देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में कुल वोटों का 50 प्रतिशत से अधिक वोट लेकर नहीं जीतता। वोट नहीं करने वाले 5 लाख मतदाता अपने आपको असहाय, लाचार और बेबस मानकर ठगा सा अनुभव करते हैं। विश्व के महानतम प्रजातंत्र के शासकों के पास मतदान इतना कम क्यों होता है, इसका कारण ढूंढने का समय नहीं है या जानबूझ कर कारण नहीं ढूंढते क्योंकि मतदान कम होने से ही मतदान में भ्रष्टाचार का प्रबंधन बहुत आसानी से होता है। 5 लाख मतदाताओं ने जिन्होंने मत नहीं किया, उनमें अधिकतर मतदाताओं का कहना है कि हमारे मत का कोई मूल्य नहीं है, सभी उम्मीदवार सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने की भ्रष्ट व्यवस्था को स्वीकार करने के पश्चात ही चुनाव लड़ रहे हैं, और जब व्यवस्था ही भ्रष्ट है तो किस आधार पर वोट देकर अच्छे उम्मीदवार को चुनें। सरकार केवल भ्रष्ट नेताओं की ही बनती है तो हमारे मत करने या न करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता लिहाजा हम मत नहीं करते। और कितनी भारी संख्या में मतदान किस प्रकार के धनबल के प्रयोग से होता है, चाहे शराब बांटकर, चाहे सीधा धन बांटकर, चाहे किसी वस्तु का वितरण करवा कर या अन्य प्रकार के प्रलोभनों द्वारा, सभी देशवासी इस बात से भली प्रकार अवगत हैं। देश की भ्रष्ट सरकार ने टैक्स देने वालों के पैसे को विज्ञापनों पर पानी की तरह बहाकर मतदान अधिक करवाने की केवल अनावश्यक औपचारिकता दिखाई, लेकिन सरकार ने किसी भी ऐसी नीति का निर्माण नहीं किया जिससे मतदाता स्वयं मत करने के लिए आकर्षित हों। जहां या तो

मतदान हुआ ही नहीं, हुआ तो कितना भ्रष्ट, तो ये कैसा बहुमत और कैसा प्रजातंत्र हुआ। बहुमत तो केवल औपचारिकता है वास्तव में है नहीं। लेकिन वर्तमान स्थिति में वोटों के बहुमत से सदस्यों के चुनाव में बहुमत का अर्थ 100 प्रतिशत सही और सच्चा है, यदि सरकार भी वोटों के बहुमत से बने तो सरकार बनाने में भ्रष्टाचार नहीं होगा, परिणामस्वरूप सदस्य के चुनाव में भी कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा।

19. भ्रष्ट बहुमत के संदर्भ में एक और सच्चाई मिलती है कि मत करने का अधिकार 21 वर्ष की आयु से घटाकर 18 वर्ष किस आधार पर किया गया। 18 वर्ष के कई मताधिकारी तो इस उम्र तक स्कूल भी पार नहीं कर पाए होंगे या स्कूल को पार किया ही होगा, विवाह भी नहीं हुआ, परिवार की, समाज की या देश की क्या समस्या है कोई जानकारी नहीं है, न तो गरीबी का पता और न ही अमीरी का, देश का भ्रमण भी नहीं किया, देश की राजनीति का जरा भी अनुभव नहीं, सरकार कौन से बहुमत से बनती है नहीं पता, लेकिन इस कम आयु वाले को मताधिकारी बनाकर देश के भाग्य का निर्णय लेने के लिए सरकार बनाने का अधिकारी बना दिया। किसी भी स्कूल में जिस बहुमत से सरकार बनती है उसके पक्ष–विपक्ष में विद्यार्थियों से बहस नहीं करवाई जाती, भ्रष्टाचार का क्या कारण हो सकता है इस पर चर्चा करवाना भी विद्यार्थियों के विषय का क्षेत्र नहीं है। कम आयु वाले अल्लहड़ मताधिकारी को मैं मूर्ख नहीं मानता लेकिन जिस विषय का कम आयु वाले को ज्ञान ही नहीं है उस विषय पर निर्णय कैसे ले सकता है। क्या वाणिज्य के विद्याार्थी को रसायन विज्ञान के प्रश्न करना उचित है? कम आयु वाले मतदाता को मतदान के पश्चात क्या परिणाम होगा इसका ज्ञान तो होना चाहिए, या

केवल 18 वर्ष का होते ही उसके हाथ में मत का अधिकार देकर चाहे उचित–अनुचित मतदान करवा डालो। कम आयु वाले को मताधिकारी बनाकर भ्रष्ट राजनेताओं ने भ्रष्ट बहुमत से सरकार बनाना और भी सरल कर लिया। वर्तमान बहुमत से बनी सरकार का निचोड़ देखोः

1. कुल मतदाताओं में से 50 प्रतिशत ने तो मतदान ही नहीं किया।

2. कुल के 10–15 प्रतिशत मतदाता 18–21 वर्ष की आयु के हैं जिन्हें बहुमत की राजनीति का ज्ञान ही नहीं है।

3. कुल के 10–15 प्रतिशत मतदाता ऐसे हैं जिनको सीधे धन के लाभ से या अन्य किसी अनुचित प्रकार के आकर्षण से किसी भी पक्ष में वोट डलवा लिए जाते हैं।

4. कुल के बचे हुए मतदाता मतदान करने के लिए जाते समय भी और मतदान करने के पश्चात आते समय भी उन्हीं नेताओं की नीतियों की जी भर के आलोचना करते हैं जिन नेताओं को मतदान करके आए हैं।

5. अब देख लो कौनसे बहुमत से सरकार बनी और उसमें से क्या निकला?

जिन मतदाताओं को जरा सा भी भ्रष्ट बहुमत का ज्ञान है वे वोट ही नहीं डालते, परिणामस्वरूप मतदाताओं की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए कम आयु वालों को मतदान का अधिकार दे दिया। इस स्थिति में ये प्रश्न स्वाभाविक है कि किस प्रकार के प्रजातंत्र में,

कौन से चुनावों द्वारा, हम किस बहुमत को स्वीकार कर बैठे। ऐसे भ्रष्ट बहुमत में गरीबों के भले की सरकार बनेगी इसकी सम्भावना अंश भर भी नहीं है। कम आयु वाले को मताधिकारी बनाकर देश को और देश के गरीबों को लूटने का मूल मंत्र इन भ्रष्ट राजनेताओं ने घड़ लिया। कम आयु वालों को मताधिकारी बनाकर देश का प्रजातंत्र मजबूत नहीं हुआ बल्कि भ्रष्ट राजनेता मजबूत हो गए। हमारे भ्रष्ट शासकों को यदि कम आयु वालों को मताधिकार देने की अनजानी मजबूरी है भी, तो कम से कम इन नादान विद्यार्थियों को मताधिकार देने से पहले जालियांवाला बाग और सेल्यूलर जेल दिखाकर भारत के नवीन क्रांतिकारी इतिहास की जानकारी तो देते। हमारी राजनीति ने भोले भाले बचपने से खेलते कूदते कम आयु वालों को जिन्दगी के आरम्भ से ही भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था का समर्थक बनाकर घृणित अपराध किया है। मेरे विचार में मतदाता बनने की आयु और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होने की आयु समान होनी चाहिए। यदि 18 वर्ष की आयु का नादान मत देने का अधिकारी बन सकता है तो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का अधिकारी भी होना चाहिए। जब 18 वर्ष की आयु वाला मतदाता अपना मत देकर सरकार बनाने के लिए सदस्य के चुनाव में भागीदार बन सकता है तो स्वयं सदस्य का उम्मीदवार क्यों नहीं बन सकता? कम आयु वालों को मताधिकार देकर प्रमाणित हो गया कि भ्रष्ट राजनेता बहुमत को भ्रमित और भ्रष्ट ही रखना चाहते हैं।

20. बहुमत की दूसरी स्थिति आती है बहुमत से सरकार बनाने की। बहुमत से सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक

दल के नेता को कुल चुने हुए सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक समर्थन होना आवश्यक है। एक सदस्य के चुनाव में तो चाहे कितने भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हों, और चाहे कुल वोटों का कितना भी प्रतिशत मतदान हुआ, अन्य सभी उम्मीदवारों से एक भी वोट अधिक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार बहुमत से विजयी हो जाता है, सदस्य को विजयी होने के लिए कुल वोटों का 50 प्रतिशत से अधिक वोट लेने पर ही विजयी होने की कोई शर्त नहीं है।

21. लेकिन सरकार बनाने के लिए नेता जी को कुल विजयी सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। सरकार बनाने के लिए बहुमत अधिक वोटों से नहीं होता, बहुमत होता है चाहे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करके, धनबल व बाहुबल का प्रयोग करके अपने पाले में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों को ले आने से, और वो भी एक या दो राजनीतिक दलों के नहीं चाहे कितने भी राजनीतिक दलों के हों, चाहे उनकी विचारधारा, उनके कार्यक्रम बिल्कुल भी मेल न खाते हों। केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य एक पाले में चिपक जाते हैं, और ऐसे चिपक जाते हैं कि छूटने का नाम भी नहीं लेते। क्या कोई राजनीति का विशेषज्ञ सरकार बनाने के लिए कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक होने पर ही बहुमत बनेगा, ऐसे बहुमत की अनिवार्यता का कारण समझा सकता है, मैं अधिक वोटों से जीतने पर सदस्यों के चुनाव को –सत्य बहुमत– से विजयी होना मानता हूं और सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने को –भ्रष्ट बहुमत– से सरकार बनाना मानता हूं।

22. हम सत्य बहुमत के अर्थ को और आसानी से इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लो कुल 543 सदस्यों के चुनाव में दो मुख्य राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में हैं।

पहले मुख्य राजनीतिक दल का नाम है .....।
दूसरे मुख्य राजनीतिक दल का नाम है .....।

पहले दल के 300 सदस्य 45 लाख वोट प्राप्त करके विजयी होते हैं और दूसरे दल के 243 सदस्य 55 लाख वोट प्राप्त करके विजयी होते हैं, आप ही बताइए सरकार बनाने के लिए बहुमत किसका होना चाहिए, कम वोटों से अधिक सदस्यों का या अधिक वोटों से कम सदस्यों का। उपर बताई हुई स्थिति में तो वोट कम होते हुए भी पहले राजनीतिक दल के सदस्य अधिक विजयी हुए हैं, और आज की राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार तो बहुमत से सरकार बनाने का अधिकार उसे है जिसके सदस्य अधिक हैं न कि वोट, इसलिए वोट कम होते हुए भी पहला राजनीतिक दल सरकार बनाने का अधिकारी बन जाता है। लेकिन मेरे विचार में –सत्य बहुमत– की व्यवस्था से सरकार बनाने का अधिकार दूसरे राजनीतिक दल को मिलना चाहिए जिसको वोट अधिक मिले हैं भले ही सदस्य कम विजयी हुए। हमने कौन से बहुमत को पकड़ रखा है जिसमें सदस्यों के चुनाव जीतने के लिए तो वोट अधिक होने चाहिएं और सरकार बनाने के लिए वोट अधिक नहीं होने चाहिएं। वर्तमान में तो सत्य यही है कि जिसके वोट कम हैं वो बहुमत में हो सकता है। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वर्तमान व्यवस्था में सरकार भ्रष्ट बहुमत से बनती है।

23. व्यवस्था ये भी नहीं है कि जिस भी राजनीतिक दल के सदस्य दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में अधिक विजयी होंगे इसी स्थिति को बहुमत मानकर, अधिक सदस्यों वाले राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने का अधिकार मिले। व्यवस्था तो ऐसी जटिल है कि सत्ता पक्ष बनने के लिए कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक होना आवश्यक है। सरकार बनाने के लिए सदस्यों का बहुमत क्यों होना चाहिए और वोटों का बहुमत क्यों नहीं होना चाहिए, इसका कारण तो कोई राजनीति का धुरंधर ही बता सकता है। न्याय संगत बात यही है कि सरकार बनाने का बहुमत भी वही होना चाहिए जो सदस्य के विजयी होने का होता है।

24. वर्तमान राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल को सदस्यों का पूर्ण बहुमत प्राप्त होना असम्भव सा लगता है। या इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि सरकार बनाने के लिए सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता के कारण ही एक राजनीतिक दल को सदस्यों का पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, और सदस्यों के बहुमत का जुगाड़ करने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों के सदस्यों को मिलाना आवश्यक हो जाता है। सदस्यों के बहुमत या भ्रष्ट बहुमत के कारण ही हर क्षेत्र में नए नए राजनीतिक दल उभर गए, किसी क्षेत्र में धर्म के नाम पर, किसी क्षेत्र में भाषा के नाम पर और किसी क्षेत्र में जातियों के आधार पर क्षेत्रिय राजनीतिक दलों को स्थापित होने में बल मिला। हर क्षेत्रिय नेता अनपढ़ होने पर भी, सदस्यों के बहुमत की राजनीति के गुणा, भाग, जमा और घटा से राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जा सकता है सीख गए और गठबंधन करने व करवाने के विशेषज्ञ भी बन गए। आपको याद होगा कुछ समय पहले सदस्यों का पूर्ण बहुमत न होने के कारण सरकारें गिरती रहीं और

मध्यावधि चुनाव होते रहे, ये क्रम 5 वर्ष में मुझे याद आता है कि दो या तीन बार चलता रहा। सम्भवतः हमारे भ्रष्ट नेताओं को सदस्यों के बहुमत की राजनीति का भेद समझ में नहीं आया होगा, इसलिए सदस्यों का बहुमत न होने के कारण सरकार गिरने पर बार बार मध्यावधि चुनाव होते रहे। शीघ्र ही भ्रष्ट नेताओं को सदस्यों के बहुमत की राजनीति का भेद समझ में आ गया और मध्यावधि चुनाव होने बंद हो गए। भ्रष्ट नेताओं ने ये भी अच्छी तरह समझ लिया कि मध्यावधि चुनाव करवाकर खुद ————— बनने के बजाय मध्यावधि चुनाव न करवाकर बनने दो ————— देश के गरीब नागरिकों को। मध्यावधि चुनाव न होने से अंश भर बचे हुए मतदाता का अधिकार भी भ्रष्ट नेताओं ने मतदाता से छीन लिया। मध्यावधि चुनाव न करवाकर भ्रष्ट नेताओं के पास अपने पक्ष में पहला तर्क है कि हमने सरकार को गिरने से बचा लिया और दूसरा मध्यावधि चुनाव न करवाकर गरीब देशवासियों के धन को गैर जरूरी खर्च होने से बचा लिया। कितनी चालाकी से भिन्न भिन्न विचारों के राजनीतिक दल भी आपस में चिपक कर कैसे भ्रष्टाचार की मस्ती का आनन्द पूरे पांच वर्ष तक लूटते रहते हैं–समझ में आया।

25. यदि एक ही राजनीतिक दल को सदस्यों का पूर्ण बहुमत मिल भी जाता है तो ये डर खाता रहता है कि कुछ सदस्य दूसरे राजनीतिक दल में न मिल जाएं परिणामस्वरूप सरकार नहीं बना सकते। हर स्थिति में जैसे मर्जी सोचकर देख लो सदस्यों के बहुमत से बिना भ्रष्टाचार के सरकार बनाने का या सरकार को बनाए रखने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए सरकार बनाने की वर्तमान व्यवस्था को मैं –भ्रष्ट बहुमत– से सरकार बनाना कहता हूं। और फिर दोहरा देता हूं कि बहुमत अधिक सदस्यों से नहीं,

बहुमत केवल अधिक वोटों से होना चाहिए, हमें तो सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, और जब सदस्यों के बहुमत के विकल्प में वोटों का बहुमत भ्रष्टाचार मुक्त है, तब सरकार बनाने के लिए वोटों के बहुमत को स्वीकार करने में किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है।

26. सच्चा प्रजातंत्र और बहुमत उसे कहते हैं जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को अन्य दलों की तुलना में वोट अधिक लेकर सरकार बनाने का अधिकार मिले न कि अधिक सदस्य लेकर। मैं स्पष्ट व पक्के विचार से कहता हूं कि सरकार बनाने का अधिकार स्वतंत्र रूप से उसी राजनीतिक दल को ही मिलना चाहिए जिस राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में वोट अधिक मिले हैं भले ही सदस्य कम विजयी हुए। वोटों के बहुमत की व्यवस्था में करना चाहो तो भी भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था में बिना भ्रष्टाचार के बहुमत नहीं जुटाया जा सकता और –सत्य बहुमत– की व्यवस्था में बहुमत के लिए भ्रष्टाचार की आवश्यकता ही नहीं है। सत्य बहुमत की व्यवस्था से सरकार बनाने के लिए भ्रष्टाचार का उपयोग कौन सी स्थिति में आवश्यक होगा, सोचकर देख लो।

27. जैसे मर्जी राजनीतिक दलों का, उम्मीदवारों का, जीते या हारे सदस्यों का, कुल वोटों का या कितने कुल वोट पड़े और कितने वोट किस किस को मिले, गुणा भाग करके देख लेना, हर स्थिति में भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था से यदि सरकार बनेगी तो कोई माई का लाल भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता, और यदि सत्य बहुमत की व्यवस्था से सरकार बनेगी तो कोई माई का लाल भ्रष्टाचार कर नहीं सकता।

28. आज की स्थिति में यदि एक राजनीतिक दल को दूसरे सभी राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे अधिक वोट मिले हुए हैं तो स्वतंत्र रूप से सरकार बनाए, किसी भी गठबंधन की आवश्यकता क्यों है। सदस्य के चुनाव में भी तो जीतने वाला सबसे अधिक वोट लेकर ही जीतता है, एक सदस्य के चुनाव में तो वोटों का बहुमत गठबंधन से नहीं होता, फिर सरकार बनाने के लिए बहुमत सदस्यों के गठबंधन से क्यों होता है, सरकार भी सदस्यों की तरह, वोटों के बहुमत से ही बननी चाहिए। सदस्यों के अधिक होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है वोटों का अधिक होना, भले ही सदस्य कम हों। सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल सरकार बनाने का अधिकारी होगा तो गठबंधन की आवश्यकता न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद में होगी। सरकार बनाने के लिए यदि गठबंधन की आवश्यकता नहीं है तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा और भ्रष्टाचार नहीं होगा तो विकास ही विकास होगा।

29. वर्तमान व्यवस्था में सरकार उस भ्रष्ट नेता के नेतृत्व में बनती है जो भ्रष्टाचार के दम पर 272 सदस्यों को एक पाले में लाकर बहुमत प्रमाणित कर दे। मान लो 272 सदस्यों को कुल वोट दूसरे 271 सदस्यों से कम पड़े लेकिन जीत गए या इस बात को ऐसे कहा जाए 272 की तुलना में 271 सदस्यों को वोट अधिक मिले लेकिन सरकार नहीं बना सकते! ये कैसा बहुमत है? बहुमत का चुनाव होना चाहिए, चाहे कितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ें जिसको सबसे अधिक वोट मिलें सरकार बनाए, कोई 272 सदस्यों का जोड़ बनाने के लिए गठबंधन नहीं करना पड़े। यदि ऐसी व्यवस्था हुई तो भ्रष्टाचार से गठबंधन, बाद में गठबंधन से भ्रष्टाचार नहीं होगा। जैसे बहुमत एक सीट पर सिद्ध होता है वैसे ही

सरकार बनाने के लिए बहुमत कुल राजनीतिक दलों में से उस एक राजनीतिक दल का मानना चाहिए जिसको दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में वोट अधिक मिले हों। या फिर जैसे सरकार बनाने के लिए 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य होने चाहिएं उसी प्रकार एक सीट पर विजयी होने के लिए भी उम्मीदवार को कम से कम कुल वोटों का 50 प्रतिशत वोट लेने की अनिवार्यता होनी चाहिए।

30. भ्रष्ट बहुमत को स्वीकार करके देश के भ्रष्ट राजनेताओं ने ये अच्छी तरह समझ रखा था कि भ्रष्टाचार की ताकत पर भ्रष्ट बहुमत को जुटाना कितना आसान होगा। यदि उन्होंने ऐसा नहीं भी सोचा था तो वर्तमान सत्ताधारी इस बात के निर्णय पर क्यों नहीं पहुंचते कि इसी भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था से ही भ्रष्टाचार होता है। सत्ताधारी नेताओं के पास भ्रष्ट बहुमत के बदले सत्य बहुमत की चर्चा करने का समय नहीं है और जिन चर्चाओं से व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बन सकती उन चर्चाओं के लिए सत्ताधारी नेताओं के पास समय ही समय है। केवल सत्ताधारी ही नहीं विपक्षी दल भी बहुमत पर चर्चा करने में कोई रूचि नहीं रखते। सभी राजनीतिक दलों को भ्रष्ट बहुमत इसलिए स्वीकार है कि मतदाता को शक्तिशाली बनाने की बात तो छोड़ो, मतदाता को शक्तिशाली देखना भी नहीं चाहते और ये कह कर कि मतदाता देश के भाग्य का निर्णय अपने मतों से करता है, मतदाता का मजाक उड़ाते हुए भरपूर राजनीतिक लाभ उठाते हैं। हर राजनीतिक दल चुनावों के समय देशभक्ति के लुभावने नारे घड़ घड़ कर मतदाता को भ्रमित करते हैं। सभी को भ्रष्टाचार का मार्ग ही बहुमत जुटाने के लिए सबसे सुगम दिखाई पड़ता है। भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था में जिम्मेवारी नहीं है, और न ही किसी प्रकार की किसी के प्रति

जवाबदेही, केवल भ्रष्टाचार के दम पर भ्रष्ट बहुमत का प्रबंध करके पूरे पांच वर्ष तक सत्ता की मौज लेते रहो। वर्तमान भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था के कारण ही बड़े राजनीतिक दलों की तुलना में छोटे राजनीतिक दल सरकार बनाने में अधिक प्रभावशाली बन गए। हमने स्वयं भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था से सरकार बनाने को स्वीकार करके भ्रष्टाचार, कालाधन और गरीबी जैसी घृणित स्थितियों को स्वीकार किया हुआ है। गरीब जनता के भले की बात तो केवल घोषणाओं और नारों में दब कर रह जाती है। यदि हमारे राजनेता भ्रष्ट बहुमत को नकार कर सत्य बहुमत को अपनाते तो भ्रष्टाचार होता ही नहीं, गरीबी रहती ही नहीं।

31. बहनो भाईयो अच्छी तरह जान लो कि भ्रष्टाचार होने का केवल एक ही कारण है भ्रष्ट बहुमत का हमारी राजनीति में होना। इसके विकल्प में केवल सत्य बहुमत की राजनीति से ही भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो सकता है और भविष्य में कहीं भी, कभी भी भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलेगा।

32. मैं और स्पष्ट कर दूं कि सत्य बहुमत के विचार में जिस भी राजनीतिक दल को पूरे देश में अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे अधिक वोट मिलें, भले ही पूरे चुनाव में एक भी सदस्य विजयी न हुआ हो, उसी राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। आज की राजनीति में जहां सैंकड़ों राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित हो चुके हैं, हो सकता है मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के कारण या अन्य किसी और कारण से किसी भी साधारण व्यक्ति को जो देशहित की सच्ची बात करता है, पूरे देश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के पश्चात एक भी सीट पर न जीतने दें, लेकिन सभी सीटों पर हारने

के पश्चात भी पूरे देश में अन्य सभी राजनीतिक दलों की तुलना में वोट सबसे अधिक मिले, तो क्या ये नहीं मानना चाहिए कि सभी सीटों पर हारने वाले नेता के कार्यक्रम से देश की जनता बहुमत से सहमत है। सत्य बहुमत अधिक वोटों से होता है न कि अधिक सदस्यों से।

33. जैसे सदस्यों का चुनाव एक ही चुनाव चिन्ह पर वोटों के बहुमत से होता है, वैसे ही जिस भी राजनीतिक दल या केवल एक चुनाव चिन्ह पर मतदाता अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे अधिक वोट दें वही राजनीतिक दल सरकार बनाने का अधिकारी हो –ये है सत्य बहुमत। मैं सदस्यों की गिनती 50 प्रतिशत से अधिक होने पर सरकार बनाने के अधिकार से सहमत नहीं हूं। इस स्थिति में तो भ्रष्टाचार के विरोध में चाहे कितने भी कठोर से कठोर नियम बना लिए जाएं, चाहे अनगिनत आंदोलन, सत्याग्रह व अनशन कर लिए जाएं, कितना भी सेना या पुलिस बल का प्रयोग कर लिया जाए, किसी भी अवस्था में भ्रष्टाचार को समाप्त करना असम्भव है। भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था में तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा।

34. कठोर से कठोर नियम बन जाने के पश्चात भी, कठोर नियम बनाने वाले व कठोर नियमों के रखवाले स्वयं इन कठोर नियमों का प्रयोग हर जन के लिए, हर परिस्थिति में अलग अलग तरह से करते हैं, तभी तो एक ही मुद्दे पर अलग अलग न्यायालयों में अलग अलग फैसले सुनाए जाते हैं। घृणित से घृणित अपराध करने वाले को जेल में जाने के बाद भी जमानत पर छोड़ दिया जाता है। भ्रष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाने वाले भ्रष्टाचारी ही तो भ्रष्टाचार के विरोध में नियम बनाने वाले हैं,

तो फिर क्या भ्रष्टाचारी अपने विरोध में कठोर नियम बनाकर स्वयं को फांसी पर लटकवाने का प्रावधान करेंगे? भ्रष्ट बहुमत की सरकार में भ्रष्टाचार विरोधी कठोर नियम बन ही नहीं सकते, और यदि किसी दबाव में कठोर नियम बन भी गए तो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार के दम पर किसी भी पतली गली से निकलने का रास्ता खोज लेंगे। सच्चाई तो ये है कि भ्रष्ट बहुमत के बदले यदि सत्य बहुमत के आधार पर सरकार बनेगी तब भ्रष्टाचार की आवश्यकता ही नहीं होगी, और समस्या के हर विषय पर ढेर सारे कठोर नियमों को बनाने के लिए देश का अनमोल समय और शक्ति को बर्बाद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। साधारण सी बात है, आपको बरेली नहीं जाना है तो भी क्या आप रेलवे स्टेशन जाकर लाईन में लगके बरेली का टिकट खरीदकर अपना धन बर्बाद करके मूर्ख बनना चाहोगे? इसी प्रकार भ्रष्टाचार की आवश्यकता नहीं होते हुए भी भ्रष्टाचार करके कोई अपने आप को अपराधी की श्रेणी में लाकर दंड भुगतने का प्रयास क्यों करेगा, नहीं करेगा।

35. अनशन द्वारा तो केवल अनशन करने वाले का मन, उसी की आत्मा, वाणी और शरीर की शुद्धि होती है। ये सोचकर अनशन करने का कोई लाभ नहीं है कि अनशन करने से भ्रष्ट बहुमत के आधार पर बनी सरकार में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। हां अनशन, आंदोलन और सत्याग्रह निश्चित रूप से देश की गरीब जनता को भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूक करने के बहुत ही सशक्त उपाय हैं, प्रजातंत्र को मजबूत व खरा करने के भी अचूक साधन हैं। मैं स्वयं अनशन, आंदोलन व सत्याग्रह का पुरजोर समर्थन करता हूं। लेकिन स्वतंत्र देश की राजनीति जिसको हम सब ने मिलकर जाने अनजाने में स्वीकार किया हुआ है, इस स्थिति में केवल अनशन, सत्याग्रह व आंदोलनों से निर्दयी

भ्रष्ट राजनेता का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और भ्रष्टाचार नहीं होगा ये सोचना भूल है। अनशन, सत्याग्रह और आंदोलनों से राजनीतिक आजादी तो मिल सकती है परन्तु अपनी ही स्वीकार करी हुई भ्रष्ट व्यवस्था से नहीं।

36. राजनीतिक आजादी से पहले अंग्रेज देश को लूटते थे और राजनीतिक आजादी के पश्चात हमारे ही भ्रष्ट नेता भ्रष्टाचार से देश को लूट रहे हैं। केवल लूटने वालों के रंग बदले लूट नहीं बदली। आजादी से पहले तो किसी रूप में भ्रष्टाचार होता था लेकिन आजादी के बाद तो हर रूप में भ्रष्टाचार होता है। आजादी से पहले भ्रष्टाचार द्वारा देश का लूटा हुआ धन जहां पहुंचाया जाता था आजादी के 65 वर्षों के बाद भी वही सिलसिला आज तक जारी है। अनशन, सत्याग्रह व आंदोलनों का रास्ता भ्रष्टाचार समाप्त करने के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता और रास्ते में ही अटक कर रह जाता है। अनशन, आंदोलन और सत्याग्रह उस समय बहुत उपयुक्त थे जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। आजादी लेने के लिए सिवाय अनशनों, आंदोलनों और सत्याग्रहों के किसी भी प्रकार की शक्ति हमारे पास नहीं थी, कुछ थी भी तो षड़यंत्रों के तहत नष्ट कर दी गई। हमने अनशन, आंदोलन और सत्याग्रहों द्वारा, अंग्रेजों से गुलामी के बदले राजनीतिक आजादी तो ले ली या अंग्रेजों ने आजादी दे दी लेकिन उसी समय अनशनों, आंदोलनों और सत्याग्रहों द्वारा भ्रष्टाचार से भी आजादी क्यों नहीं ली? उसी समय भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की व्यवस्था पर क्यों नहीं सोच विचार कर निर्णय लिए गए? क्यों आनन फानन में आजादी को लूट का माल समझ कर कुछ राजनेताओं ने केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए भ्रष्ट बहुमत का मार्ग स्वीकार किया? आज हमें अनशनों, आन्दोलनों और सत्याग्रहों द्वारा अंग्रेजों से गुलामी की

आजादी नहीं चाहिए, बल्कि अपने ही आजाद देश में अपनी ही बनाई और स्वीकार करी हुई भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को बदल कर सत्य बहुमत की व्यवस्था से भ्रष्टाचार मुक्त होने की आवश्यकता है। अपनी कुल शक्ति का अधिकतम भाग अनशनों, आन्दोलनों और सत्याग्रहों में फूकने की बजाय सत्य बहुमत का जनमत तैयार करने की दिशा में लगा देना चाहिए। केवल सत्य बहुमत के आधार पर सरकारों के गठन की व्यवस्था से ही भ्रष्टाचार कालाधन व गरीबी की समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। अनशन, सत्याग्रह व आंदोलनों की भाषा तो उन शासकों के लिए होती है जो भ्रष्टाचार की राजनीति में विश्वास नहीं रखते न कि उन शासकों के लिए जो स्वयं भ्रष्टाचारी होने के साथ साथ भ्रष्ट राजनीति में विश्वास रखते हों।

37. सेना व पुलिस बल के प्रयोग से भी भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। बल प्रयोग से तो किसी भी समस्या को चाहे उचित हो या अनुचित कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन समाप्त कदापि नहीं किया जा सकता। बल प्रयोग से तो केवल भोले–भाले व मजबूर गरीब नागरिकों की और कुछ सेना व पुलिस के जवानों की अकारण ही हत्या हो जाती है, और उन हत्याओं का कोई दोषी भी नहीं ठहराया जाता। बल प्रयोग तो भ्रष्टाचार समाप्त करने का किसी तरह से भी उचित उपाय नहीं है।

38. सरकार बनाने के लिए 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की अनिवार्यता का प्रबंध करने के लिए, यदि एक राजनीतिक दल के कुछ सदस्य कम रह जाते हैं तो केवल भ्रष्टाचार द्वारा ही शेष सदस्यों को अपनी ओर खींच कर बहुमत की अनिवार्यता पूरी की जा सकती है। इसके विपरीत यदि एक राजनीतिक दल के ही 50

प्रतिशत से अधिक सदस्य सरकार बनाने के लिए चुनाव में विजयी हो जाते हैं तो भी कुछ सदस्यों के दूसरे पाले में चले जाने से सरकार बनाने में असफल होने के भय को भी भ्रष्टाचार द्वारा ही समाप्त किया जाता है। आज तक के सभी चुनावों में सदस्यों के बहुमत का प्रयोग पूर्ण रूप से केवल असफल ही रहा। भ्रष्ट बहुमत की चुनावी व्यवस्था में किसी भी राजनीतिक दल के चाहे कितने भी सदस्य विजयी हुए, सरकार बनाने के लिए सदस्यों का पूर्ण से पूर्ण बहुमत मिल जाने के पश्चात भी भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए। सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने के लिए भ्रष्टाचार आवश्यक है।

39. भ्रष्ट बहुमत जुटाने के लिए धनबल, बाहुबल व अन्य सभी प्रकार के प्रलोभनों जैसे मुकदमे वापस लेना, मंत्री का पद देकर लुभाना, सीधे धन देकर अपनी ओर मिलाना आदि आदि का प्रयोग किया जाता है। भ्रष्टाचार का मुंह इतना बड़ा हो जाता है कि इस क्रिया में सारे के सारे सदस्य, पूरी जनता, यहां तक कि पूरा देश भी समा जाता है लेकिन भ्रष्टाचार का पेट नहीं भरता। सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था को स्वीकृति देकर हमने स्वयं भ्रष्टाचार को जन्म देने की व्यवस्था को स्वीकार किया हुआ है। जब तक बहुमत की परिभाषा जैसे एक और प्रत्येक सदस्य के चुनाव की तरह सरकार बनाने में नहीं हो जाती तब तक भ्रष्टाचार को समाप्त करना असंभव है। भ्रष्टाचार पर अंकुश केवल सत्य बहुमत की राजनीति से ही लग सकता है।

40. सीधी सी बात है चाहे कितने भी राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ें, सरकार बनाने का अधिकार उसी राजनीतिक दल के नेता को मिलना चाहिए जिसको दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे अधिक वोट मिले हों। जिस प्रकार एक

सदस्य का चुनाव होता है उसी प्रकार सरकार बनाने के लिए एक राजनीतिक दल के नेता का चुनाव होना चाहिए। सदस्यों की संख्या का सरकार बनाने के अधिकार से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव से पहले यदि राजनीतिक लाभ लेने के लिए गठबंधन करना है तो पूर्ण स्वतंत्रता के साथ गठबंधन करने का अधिकार भी होना चाहिए। सकारात्मक गठबंधन करने में किसी को भी क्या आपत्ती हो सकती है? लेकिन आवश्यक रूप से गठबंधन केवल चुनाव से पहले करके सभी गठबंधन करने वाले राजनीतिक दल केवल एक चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ें। यदि कोई राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल के समर्थन में किसी क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ता है तो इस स्थिति में चुनाव नहीं लड़ने वाले दल को केवल उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता का ही रूप माना जाना चाहिए। चुनाव हो जाने के पश्चात किसी भी राजनीतिक दल के वोटों को किसी दूसरे राजनीतिक दल के वोटों में जोड़ कर सरकार बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है तो इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। किसी अन्य प्रयास से भ्रष्टाचार पर काबू पाना पानी को बिलोने के समान है, पानी को कितना ही बिलोते रहने पर भी मक्खन नहीं निकलता। संविधान बनाते समय हमारे संविधान रचने वालों ने शायद ये अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने का अधिकार केवल भ्रष्टाचार में ही बदल कर रह जाएगा। सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था ने स्वच्छ व स्वस्थ प्रशासन के बदले केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था में भर दिया।

41. आज की राजनीति में किसी भी एक राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए सदस्यों का पूर्ण बहुमत मिल पाना एक

सपना सा लगता है, और यदि सदस्यों का बहुमत मिल भी जाए तो बहुत शीघ्र ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बहुत समय से देश की राजनीति में बर्चस्व रखने वाले राजनीतिक दल को भी आज सदस्यों का बहुमत जुटाने के लिए केवल भ्रष्टाचार का ही सहारा लेना पड़ता है, भ्रष्टाचार ही धर्म बन गया।

42. आने वाले चुनावों से पहले ही, जिसमें अभी प्रर्याप्त समय बाकी है, भ्रष्टाचारी गठबंधनों का आयोजन होना आरम्भ हो चुका है। इससे ये सिद्ध हो गया कि सरकार बनाने के लिए भ्रष्टाचार के सिवा कोई रास्ता नहीं है, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने का है। यदि गठबंधनों द्वारा सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने का निर्णय ठीक है तो वोटों के बहुमत से सदस्यों के चुनाव का निर्णय गलत है और यदि वोटों के बहुमत से सदस्यों के चुनाव का निर्णय ठीक है तो सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने का निर्णय गलत है। सदस्यों के और सरकार बनाने के लिए चुनाव का आधार एक समान होना चाहिए।

43. अब प्रश्न उठता है कि भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था से और सत्य बहुमत की व्यवस्था से सरकार बनाने में क्या गुण दोष हैं। मेरे विचार में सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था केवल दोषों का ही ढेर है, यदि लाभ है तो केवल उसी राजनीतिक दल के परिवार को है जो सबसे अधिक भ्रष्टाचार के दम पर भ्रष्ट बहुमत से सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं। चाहें तो कितनी भी लम्बी सूची दोषों की बनाई जा सकती है लेकिन कुछ इस प्रकार के दोषों पर चिन्ह लगाए जा सकते हैंः

1. सरकार बनाने के लिए चुनावों से पहले ही गठबंधनों का प्रबंधन होने लगता है। भ्रष्ट शासक अयोग्य व्यक्तियों

को महत्वपूर्ण सरकारी पदों व मंत्रालयों को गठबंधन करने के लिए ऐसे बांटते है जैसे वे स्वयं देश के मालिक हों। अनेकों प्रकार के अनुचित प्रलोभनों द्वारा केवल भ्रष्ट बहुमत को और अधिक मजबूत बनाने में ही हमारे भ्रष्ट शासक लगे रहते हैं। देशहित की बात करने का समय ही नहीं मिलता।

2. नकारात्मक योजनाओं की घोषणा करके सरकारी खजाने को लूटा जाता है।
3. राजनीति का एकाधिकार केवल कुछ भ्रष्ट राजनेताओं के पास ही रह जाता है। मतदाता तो मत देकर या मत न देकर अलग थलग पड़ जाते हैं।
4. वर्तमान भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था से अंग्रेजों की गुलामी का अनुसरण करने वाली सरकारों ने देश की भाषा, संस्कृति, सभ्यता व मर्यादा, शिक्षा और चिकित्सा पद्धति का सुनियोजित ढंग से सत्यानाश किया है।
5. गोबर पर आधारित कृषि को रासायनिक कृषि में बदल कर सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट व जहर भर दिया। परिणामस्वरूप हर व्यक्ति रोगी हो गया।
6. घरेलू उद्योगों को समाप्त करके हर दिशा में उद्योग और व्यापार नीतियां विदेशी कंपनियों के हवाले कर दी गईं।
7. धर्म के नाम पर आपस में घृणा फैलाकर लड़वाओ और राज करो की नीति को बल मिला।
8. वास्तव में भ्रष्टाचार व कालाधन, गरीबी व धृणा का जन्म गठबंधन के भ्रष्ट बहुमत से ही हुआ।

9. वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था के कारण ही भ्रष्ट सरकार के राजनेताओं ने देश की वन संपदा, खनिजों, धरती व नदियों की प्राकृतिक सुंदरता लूटकर नष्ट करने के साथ साथ वीरान कर दिए। हर खाद्य पदार्थ में मिलावट व कमी, शिक्षा में जवान विद्यार्थियों के चरित्र में पतन, महंगाई आसमान से भी ऊंचे, कृषि और उद्योगों के उत्पादन में गुणवत्ता की भारी गिरावट, और क्या क्या गिनवाऊं, हो जाने के पश्चात भी हमारे प्रधानमंत्री और सत्ताधारी राजनीतिक दल के अध्यक्ष को अर्थ व्यवस्था की उन्नति के नए नए आंकड़े प्रस्तुत करने में लज्जा नहीं आती। केवल भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था के कारण ही पूरे विश्व में सोने की चिड़िया से जाना जाने वाला देश आज भिखारियों की तरह आलू प्याज बैंगन बेचने के लिए भी विदेशियों के आगे चंद डॉलरों की भीख मांग रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि कोई भी विदेशी इतना मूर्ख नहीं है कि अपने देश में पूंजी की भारी कमी होने के बावजूद भी दूसरे देश में डॉलरों का नकारात्मक निवेश करेगा। निश्चित ही जिस धन को हमारे भ्रष्ट राजनेताओं ने देश की गरीब जनता से लूटकर विदेशों में पहुंचा रखा है उसी धन को फिर सुनियोजित षड़यंत्र से वापस लाने का एक प्रयास हो रहा है।

44. सत्य बहुमत की व्यवस्था से सरकार गठन करवाने में दोष तो संभवतः ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और गुण ही गुणों से भरपूर होगी सत्य बहुमत की नई व्यवस्थाः

1. भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। जब भ्रष्टाचार की आवश्यकता नहीं होगी तो भ्रष्टाचार होगा ही क्यों? एक चुने हुए सदस्य को भ्रष्ट बनाना बहुत सरल है लेकिन हर मतदाता को भ्रष्ट बनाना असंभव है।

2. बहुत शीघ्र ही राजनीतिक दल केवल दो दलों में रह जाएंगे। स्वतंत्र रूप से कितने भी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार होने के पश्चात भी, यदि किसी राजनीतिक दल के सरकार बनाने की सम्भावना नहीं है तो वो राजनीतिक दल केवल हारने के लिए चुनाव क्यों लड़ेगा। जिस प्रकार छोटा झरना बड़े झरने में, बड़ा झरना छोटी नदी में, छोटी नदी बड़ी नदी में, बड़ी नदी और बड़ी नदी में और अंत में कितनी भी बड़ी नदी सागर में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार समानान्तर विचारों वाले छोटे राजनीतिक दल बड़े राजनीतिक दल में मिलकर सागर जैसा गम्भीर, शांत, विशाल और समानान्तर बनकर देश को शक्तिशाली बनाने में सफल होंगे। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि सत्य बहुमत की व्यवस्था केवल एक राजनीतिक दल में ही बदलकर रह जाएगी। जिस प्रकार पृथ्वी के हर ढलान पर छोटा या बड़ा झरना, छोटी या बड़ी नदी, और अनेकों सागर हैं उसी प्रकार हर विचारधारा में अनेकों राजनीतिक दलों का अस्तित्व रहेगा। यदि हमारे देश में और फिर पूरे विश्व में मानव कल्याण के लिए सागर की तरह सभी राजनीतिक दलों का रूप एक हो जाए तो क्या कोई और स्थिति इससे श्रेष्ठ हो सकती है। जिस दल की विचारधारा जिससे मिलेगी उसमें विलीन हो जाएगा

और अपने आप ही मुख्य रूप से केवल दो राजनीतिक दल ही शेष रह जाएंगे।

3. धर्म, जाति, भाषा व आरक्षण के आधार पर चुनाव करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सभी को समान रूप से बिना पक्षपात के लाभ मिलेगा।

4. प्रांतवाद की राजनीति को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। मैं प्रांत के शक्तिशाली होने का विरोध नहीं कर रहा हूं, परन्तु कुछ समय के लिए किसी भ्रष्ट नेता की स्वार्थ सिद्धी के लिए प्रांत केवल राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बन जाए और प्रांत के विकास की राजनीति कमजोर पड़ जाए परिणामस्वरूप देश की राजनीति व विकास दोनों ही सदा सदा के लिए कमजोर पड़ जाएं, तो क्या ये स्थिति देशवासियों को स्वीकार है? इसी स्थिति के कारण ही प्रांतों का विकास नहीं हो पाया। देश यदि राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली होगा तो प्रांत भी अपने आप ही शक्तिशाली हो जाएंगे। प्रांत के शक्तिशाली होने से कहीं आवश्यक है देश का शक्तिशाली होना। केवल राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ही पिछले कुछ वर्षों में भारत के कितने राज्यों के टुकड़े करवा दिए गए और आज भी आए दिन राज्यों के टुकड़े करवाने की राजनीति देश को कमजोर करने का खेल खेलती रहती है। यदि राजनीतिक रूप से प्रांत को शक्तिशाली बनाने की राजनीति चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब देश के टुकड़े करवाने की भी राजनीति खेल खिलाना आरम्भ कर देगी।

5. केवल अच्छे कार्यक्रमों व योजनाओं को करके दिखाने की प्रतिस्पर्धा होगी न कि केवल घोषणाओं की। केवल योग्य उम्मीदवार ही चुनावों में उतारे जाएंगे न कि खूनी, बलात्कारी, चोर, डाकू व अन्य अपराधिक मामलों में लिप्त, क्योंकि मतदाता अपना मत योग्यता के आधार पर करेगा न कि धनबल और बाहुबल के आधार पर।

6. एक एक वोट भी जीतने के लिए महत्वपूर्ण होगा तो योजना व कार्यक्रम भी एक एक वोटर के हित में होगी।

7. अधिक से अधिक मतदान अपने आप ही होने लगेगा। वोट करने के लिए किसी प्रकार के विज्ञापनों को करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो मतदाता मत नहीं करते वो भी स्वयं मत करने के इच्छुक होकर मत करेंगे।

8. वोट करवाने के लिए सैनिक बल, अतिरिक्त सुरक्षा बल व अधिक सुरक्षा की दृष्टि से प्रबंधों की आवश्यकता नहीं होगी। कितना सरकारी धन लुटने से बचेगा अनुमान लगाना भी कठिन है।

9. आतंकवाद, और उग्रवाद से भी पीछा छुटेगा। हर वर्ग के लोगों का वोट पाने के लिए न्याय संगत योजनाएं बनानी ही पड़ेंगी।

10. वोट बैंक के लिए सुनियोजित ढंग से दंगे फसादों का प्रायोजित होना एकदम से समाप्त हो जाएगा। न हिन्दु मुसलमान से और न ही मुसलमान हिन्दु से घृणा करेगा, बिना कारणों के झगड़ों का अन्त होगा। आपस में भाईचारा, सौहार्द, प्रेम, सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

11. हर नागरिक के विचार स्वतंत्र व निडर होंगे। कानून व न्याय की प्रक्रिया हर देशवासी के लिए लोकप्रिय होगी।

12. हमारी अर्थव्यवस्था सही मायने में विश्व स्तर की होगी न कि केवल आंकड़ों में, उन्नति का असर एक एक नागरिक को अनुभव होगा।

13. महंगाई, मिलावट, रिश्वतखोरी, चोरी चपाटी से छुटकारा मिलेगा। देश निरोगी होगा।

14. शिक्षा नीति, कृषि नीति, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य नीति, उद्योग नीति, कर नीति में व्यापक सुधार होगा व देश शीध्र ही स्वच्छ, सुंदर और सुदृढ़ देखने को मिलेगा।

15. वास्तव में सही प्रजातंत्र से देश में एकता, अखंडता, भाईचारे की नींव पक्की होगी। एक सही मायने में भारत अखंड होगा व हर नागरिक सच्चा, ईमानदार, और मेहनत की प्रतिस्पर्धा में जुट जाएगा।

16. आज भ्रष्टाचार के विरोध में सभी जगह लोग खुलकर बोलते हुए तो दिखाई व सुनाई पड़ते हैं लेकिन कुछ करने की दिशा में केवल नकारात्मक, निरर्थक व निराशा की स्थिति ही देखने और सुनने को मिलती है। सत्य बहुमत की व्यवस्था होने पर हर जन केवल सकारात्मक, सार्थक व आशावादी ही देखने और सुनने को मिलेंगे। देश एक सही दिशा में होगा। देश की अपार ऊर्जा बर्बाद होने से बचेगी व अनमोल समय समाज कल्याण के अच्छे कार्यक्रमों में लगेगा और बहुत शीघ्र ही देश विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली व विकासशील राष्ट्र के रूप में निखर कर आएगा।

17. सत्य बहुमत की व्यवस्था होने से हर चुनावी दल के नेता को केवल अच्छे कार्यक्रमों की मात्र घोषणा नहीं अच्छे कार्यक्रमों को करके दिखाना होगा। नेता का सीधा संपर्क वोटरों से होगा। वोटर भी सुरक्षित होंगे न कि आज की तरह केवल नेता। भ्रष्ट बहुमत को देखें तो एक भी गुण ढूंढने से नहीं मिलता और सत्य बहुमत की व्यवस्था में एक भी अवगुण खोजने से भी नहीं मिलेगा।



45. सदन में बिल पास या फेल करवाने की तीसरी स्थिति में बहुमत और प्रजातंत्र का उचित अनुचित होने की बात करें तो ये स्थिति पहली दोनों स्थितियों से भी खतरनाक है। एक तरफ तो हम बात करते हैं:

1. हर वोटर को वोट डालना आवश्यक होना चाहिए।
2. वोट बिना डर या पक्षपात के होना चाहिए, आदि आदि।

परन्तु आज की स्थिति में कोई भी बिल केवल 543 सदस्यों द्वारा जो 121 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

1. न तो बहुमत से पास होता है क्योंकि सदस्यों का बिल पर वोट के समय उपस्थित रहना ही आवश्यक नहीं है और हम चर्चा ये करते हैं कि हर वोटर को वोट डालना आवश्यक होना चाहिए।

2. बिलों के पास या फेल का निर्णय बिना डर, बिना पक्षपात या पूर्ण स्वतंत्रता से नहीं होते। किसी भी बिल के पक्ष या विपक्ष का निर्णय सदस्य अपनी बुद्धि के बल पर नहीं करता, बल्कि सदस्य को अपने दल के नेता द्वारा आदेश मिलता है बिल के पक्ष या विपक्ष में वोट देने का। आदेश के उल्लंघन करने का साहस सदस्य में नहीं होता और हर वक्त डरा रहता है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कहीं अपने नेता द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही न हो जाए।
3. जब सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बिल पास या फेल करवाने के लिए अपने दल के सभी सदस्यों का निर्णय व्हिप के द्वारा ही करवाना है तो इन 543 सदस्यों का चुनाव हुआ ही किसलिए। सदन तो केवल दो या तीन या चार या अधिक से अधिक 10 से 20, अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले नेताओं की बन कर रह गई। 543 सदस्यों की कठपुतलियों को इतने बड़े सदन के मंच पर नचवाने की क्या आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दलों के नेता तो एक छोटे कमरे में बैठकर भी मिल सकते हैं। क्यों 543 सदस्यों के आवागमनऔर खाने पीने की व्यवस्था पर लाखों करोड़ों का धन बिना किसी उद्देश्य के बर्बाद किया जा रहा है।
4. किसी भी बिल के पास या फेल होने की बहस करवाते समय भी प्रजातंत्र और बहुमत दोनों का ही भद्दा मजाक उड़ाया जाता है।

46. जिस प्रकार के भ्रष्टाचार का प्रयोग भ्रष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाने के लिए होता है, उससे भी भयानक रूप भ्रष्टाचार का होता है सरकार को बनाए रखने में और सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर फिर सदस्यों के चुनावों में खुलकर केवल भ्रष्टाचारी हथकंडों से ही चुनाव जीतने के प्रयास किए जाते हैं। हर बार भ्रष्टाचार का मुंह पहले से भी बड़ा हो जाता है। हमने सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने को नासमझी से, गलती से, या कुछ भ्रष्ट नेताओं के मकड़जाल में फंसकर स्वीकार किया हुआ है जिसका परिणाम केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार निकला। खेत में जैसे बीज डाले गए फल तो वैसे ही आने थे। जैसे नियम बनाए वैसे ही परिणाम भी मिल रहे हैं।

47. कुल मिलाकर हम ये जान लें कि भ्रष्ट बहुमत वो है जहां चुनाव से पहले या बाद में गठबंधन करके या नहीं करके सरकार बनाने के लिए कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक एक पाले में होना। और सत्य बहुमत वो है जहां चुनाव से जिस भी एक राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में मतदाता सबसे अधिक मत देकर सरकार बनाने का अधिकार दें।

48. जैसे चाहो वैसे सोच के और कर के देख लो सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था से सरकार का गठन बिना भ्रष्टाचार के हो ही नहीं सकता। सरकार बनेगी भी भ्रष्टाचार के दम पर, चलेगी भी भ्रष्टाचार के दम पर, सरकार का कार्यकाल भी पूरा तभी किया जा सकता है जब भ्रष्टाचार का ही सहारा हो, और एक कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद, अगली सरकार बनाने के प्रबंध भी केवल भ्रष्टाचार के भरोसे ही हो सकते हैं। ऐसे विचार केवल लिखने या बोलने मात्र से नहीं हैं, पिछले 65 वर्षों में सभी राजनीतिक दलों

की सरकारों के अनुभव से ये सिद्ध भी हो गया है। यदि ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि भ्रष्टाचार के विरोध में अनगिनत चर्चाओं और प्रयासों के पश्चात भी भ्रष्टाचार समाप्त होने के बजाय निरंतर बढ़ता ही चला गया। भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए हमारी राजनीति ने सत्य बहुमत को स्वीकार नहीं किया और हमारे चतुर राजनेताओं ने सत्य बहुमत के विचार की चर्चा तक नहीं करी। हमारी राजनीति ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए झूठे और बनावटी उपायों पर चर्चा कर कर के देश की आजादी के 65 वर्ष बर्बाद कर दिए। विश्व के कई देशों ने पिछले 65 वर्षों में विकास की कई उंचाईयों को पार करके दिखाया है और हम अभी तक अपनी राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का मार्ग भी नहीं ढूंढ पाए।



49. भ्रष्टाचार समाप्त करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है देश के प्रजातंत्र में सरकार वोटों के बहुमत से बने। बिना गठबंधन के सबसे अधिक वोट मिलने वाले राजनीतिक दल के नेता को ही सरकार बनाने का अवसर मिले, भले ही अधिक वोट प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल के सदस्य संख्या में अन्य राजनीतिक दलों से कम विजयी हुए हों। प्रजातंत्र में सच्चा बहुमत वही है जिसको दूसरों से कुल वोट अधिक मिलें न कि सदस्य। हमारी सबसे बड़ी चूक यही है कि एक सदस्य के चुनाव में बहुमत का अर्थ सही और सच्चा होते हुए भी सरकार बनाते समय हमने बहुमत का अर्थ बदल दिया। वर्तमान व्यवस्था में बहुमत के लिए गठबंधन करना पड़ता है, गठबंधन बिना भ्रष्टाचार के सम्भव नहीं है, तब भ्रष्टाचार को राजनीति की मजबूरी मान कर हर घृणित षड़यंत्र को भी उचित मान लिया जाता है। भ्रष्टाचार की सहायता

से सरकार बनाने में किसी भी राजनेता को लज्जा नहीं आती व केवल भ्रष्टाचार का मुकाबला और बड़े भ्रष्टाचार से करके सफल होने में ही सारी शक्ति लगा देते हैं। भ्रष्ट राजनेता गठबंधन धर्म को निभाने में इतने व्यस्त व मजबूर हो जाते हैं कि देश धर्म को भी निभाना है याद ही नहीं आता। इस भ्रष्ट बहुमत के कितने भी दोष गिनाए जाएं कम हैं या सारी भ्रष्ट व्यवस्थाओं का कारण केवल भ्रष्ट बहुमत ही है। भ्रष्टाचार सदस्यों के बहुमत से कैसे होता है समझ में आया होगा। मैं स्पष्ट रूप से सदस्यों के बहुमत को –भ्रष्ट बहुमत– कहकर अपना आक्रोश जताता हूं और वोटों के बहुमत को –सत्य बहुमत– कहकर गर्व का अनुभव करता हूं।

50. सत्य बहुमत की चुनावी व्यवस्था के स्थापित हो जाने के पश्चात समूचा विश्व हमारी सत्य बहुमत की व्यवस्था का अनुसरण करेगा और विश्व में हमारे देश की राजनीति सर्वश्रेष्ठ का उदाहरण बन जाएगी। जो सत्य बहुमत से सहमत नहीं हैं इसका मतलब या तो वो स्वयं भ्रष्टाचारी हैं, या भ्रष्टाचार समाप्त करवाने में इच्छुक नहीं हैं, या सत्य बहुमत की व्यवस्था का अर्थ उनकी समझ में ही नहीं आया, वरना भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के लिए किसी का भी –सत्य बहुमत– से असहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भ्रष्टाचार का उपचार होते ही देश की गरीब जनता धनवान हो जाएगी, ये कोई सपना नहीं सच्चाई है।

*मैंने आरम्भ में ही स्वीकार कर लिया था कि मैं अच्छा लेखक और वक्ता नहीं हूं, इसलिए हो सकता है सत्य बहुमत को क्रमबद्ध नहीं लिख पाया। भ्रष्ट बहुमत और सत्य बहुमत के बारे में मैंने जो भी लिखा, केवल अपने अनुभव के आधार पर बिना किसी पुस्तक का अध्ययन किए, बिना किसी से परामर्श किए लिखने का प्रयास किया। सत्य बहुमत की राजनीति का विचार जितना सुंदर, जितना सत्य और शक्तिशाली मेरी बुद्धि में है वैसा शब्दों में ढालकर लिखने में सफल नही हो पाया, लेकिन मैं आपको इतना अवश्य बताना चाहता हूं कि प्रजातंत्र की राजनीति में भ्रष्टाचार से मुक्त होने की राजनीति है केवल सत्य बहुमत ही। कुछ अन्य देश केवल सत्य बहुमत की राजनीति पर ही विश्व के सबसे अधिक धनाड्य और शक्तिशाली राष्ट्र बने हुए हैं, इसलिए सत्य बहुमत की राजनीति में किसी प्रकार का भ्रम और संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब अपने लिए और आने वाले भविष्य के लिए सत्य बहुमत से सहमत होकर भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति को जन्म देकर भारत को विश्व का सर्वशक्तिशाली और धनाड्य राष्ट्र बना सकते हैं। सत्य बहुमत केवल पढ़ने तक सीमित रहने का विचार नहीं है, सत्य बहुमत को स्थापित करवाने के लिए सक्रिय प्रयत्न करने होंगे। जीवन का आधार और सत्य* ***~ सत्य बहुमत ~*** *ही है।*

*~सत्य बहुमत ~*

# कालाधन

1. कालाधन प्रायोजित होने के दो कारण हैं। पहला कारण भ्रष्ट बहुमत से सरकार बनाने का है। सरकार भ्रष्ट बहुमत के बिना नहीं बनती, भ्रष्ट बहुमत गठबंधन के बिना नहीं होता और गठबंधन भ्रष्टाचार के मार्ग से बिना कालेधन के संभव नहीं है। भ्रष्टाचार मुख्य रूप से कालेधन और अन्य अनुचित प्रलोभनों द्वारा ही होता है तो वर्तमान संविधान में हमने भ्रष्ट बहुमत को स्वीकृति देकर स्वयं भ्रष्टाचार और काले धन के उत्पादन को संवैधानिक रूप से स्वीकार किया हुआ है।

2. दूसरा कारण है बहुत अधिक टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, चाहे किसी भी रूप में हर जगह टैक्स ही टैक्स। टैक्स अधिक होने से टैक्स देने वालों को टैक्स की चोरी करने का लालच घर कर जाता है और कालाधन उपजना आरम्भ हो जाता है।

3. यदि सरकार सदस्यों के बहुमत को छोड़कर वोटों के बहुमत से बनने लगे तो भ्रष्टाचार की आवश्यकता ही नहीं होगी। भ्रष्टाचार नहीं होगा तो कालाधन किसलिए आवश्यक है। दूसरा उचित टैक्स, सरल नियम व टैक्स देने वालों के ऊपर विश्वास करके, उन्हें सम्मान देकर कालेधन की उपज को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।

4. जिस धन के सच्चे स्वामी हमारे देश के गरीब नागरिक हैं, उस धन को भ्रष्टाचार द्वारा लूटकर कालेधन के रूप में भ्रष्ट

नेताओं ने सरकार के ऊपर कब्जा बनाए रखने में किया हुआ है, और बहुत बड़ी मात्रा में कालाधन भ्रष्ट नेताओं ने विदेशों में भी जमा करवा रखा है।

5. कुछ मात्रा में कालाधन बड़े घरानों के उद्योगपतियों, कुछ मध्यम व छोटे उद्योगपतियों व व्यापारियों, सरकारी नौकरों ने किसी भी विवशता के कारण, किसी भी रूप में, अपने ही देश में भी रखा हुआ है। प्रश्न है काला धन जन्म लेता ही क्यों है? जैसा कि उपर लिखा गया सबसे पहला कारण है सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने का, जहां कालेधन के उपयोग से भ्रष्टाचार किए बिना सदस्यों का बहुमत नहीं बन सकता, और दूसरा मुख्य कारण है टैक्स का अधिक होना।



6. मेरी समझ मे आया कि अधिकतर देशवासी चाहे बड़े, मध्यम, छोटे उद्योगपति व व्यापारी या सरकारी नौकर, काला धन नहीं बनाना चाहते बल्कि हमारी सरकार की नीतियां काला धन बनाने के लिए विवश करती हैं। देश के नागरिक अपनी सच्ची और ईमानदारी की मेहनत से जीवन भर अपने परिवार और समाज की जिम्मेवारियों को निभाने में लगे रहते हैं। क्योंकि सरकार तो टैक्स देने वालों को कोई सुरक्षा, सुविधा या सम्मान देती नहीं, न ही सरकार टैक्स देने वालों के ऊपर विश्वास करती, इसलिए कोई भी छोटे बड़े व्यापारी या उद्योग करने वाले या नौकरी करने वाले, टैक्स के नियम और टैक्स दर उचित न होने के कारण कुछ कालेधन के रूप में चोरी करने की विवशता को स्वीकार कर लेते हैं। टैक्स देने वालों के उपर अपनी ही मेहनत की कमाई पर टैक्स की चोरी का आरोप लगाकर सरकार टैक्स देने वालों को अपमानित

करती है। टैक्स दर अधिक रखकर टैक्स देने वालों को चोर बनाकर रखना ही सरकार का लक्ष्य है, सरकार को ये बात समझ नहीं आती कि टैक्स देने वाले टैक्स नहीं देने वालों से तो कहीं अच्छे हैं।

7. टैक्स देने वाले बड़े या छोटे उद्योगपति व व्यापारी और नौकरी करने वाले देश और समाज का विकास कार्य करते हुए बेरोजगारी को रोकने में सहायक होते हैं। छोटे बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों के कारण ही समाज में बहुत बड़ी मात्रा में अपराधों के उपर अंकुश लगा हुआ है। टैक्स देने वाले निजी क्षेत्र के छोटे बड़े उद्योगपति, व्यापारी और संस्थाएं न जाने कितने बड़े पैमाने पर समाज कल्याण के कार्य करते हैं, चाहे शिक्षा क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में या अन्य किसी भी आपत्ति के समय में जहां सरकार की सहायता नहीं पहुंच पाती वहां पर यही निजी क्षेत्र के उद्योगपति व व्यापारी ही पहले पहुंच कर आम जनता के साथ सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। सरकार यदि कुछ सहायता इन संस्थाओं, उद्योगपतियों और व्यापारियों को देती भी है, तो भी जो पैसा सरकार इनको सहायता के लिए देती है वो पैसा भी है तो टैक्स के रूप में टैक्स देने वालों का ही।

8. मैं मानता हूं कि चोरी का कोई भी कार्य अच्छा नहीं है। लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ व्यवसाय या उद्यम करके टैक्स की चोरी करने वाले छोटे बड़े उद्योगपति और व्यापारी उन भ्रष्ट राजनेताओं से तो करोड़ों गुना अच्छे हैं जो कुछ भी किये बिना सत्ता का दुरूपयोग करके कितने कितने लाख करोड़ लूट लेते हैं। जो धन छोटे व बड़े उद्योगपति और व्यापारी व्यवसाय करके, टैक्स और टैक्स दर उचित न होने के कारण

टैक्स बचाने के लालच में फंसकर जमा करते हैं वो तो कालाधन के नाम से जाना जाता है, और जो धन भ्रष्ट राजनेता कुछ भी व्यवसाय करे बिना, भ्रष्टाचार से जमा करते हैं उसे गठबंधन से बहुमत का पुरस्कार माना जाता है।

9. छोटे बड़े उद्योगपति और व्यापारियों के उपर तो कितने ही कानूनों के अंतर्गत आए दिन छापे पड़ते रहते हैं और फिर कुछ वसूली और समझौते भी होते हैं लेकिन आज तक क्या किसी भ्रष्ट राजनेता और सरकारी ऑफिसर के उपर किसी भी कानून के अंतर्गत छापे मार कर भ्रष्टाचार किए हुए धन की वसूली किसी सरकार ने की है। और विडंबना ये भी है कि देश के सबसे अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, व अधिकतम टैक्स का भाग देश की गरीब जनता से ही वसूला जाता है।

10. टैक्स दर अधिक रखने का कारण केवल एक ही है कि टैक्स देने वाले टैक्स की चोरी करने के लालच में फसें और फिर सरकार जब चाहे उन्हें चोर प्रमाणित करके दंडित कर सके। भ्रष्टाचारी राजनेताओं व सरकारी नौकरों के विरोध में टैक्स देने वाले आवाज न उठा सकें। ऐसी व्यवस्था बना दी कि हर व्यक्ति जीने के लिए टैक्स की चोरी करेगा उसके बिना अपनी मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा नहीं जुटा सकता।

11. इस सच्चाई को बहुत सरलता से सिद्ध किया जा सकता है। आज आयकर आय का तीस प्रतिशत के लगभग है। तीस प्रतिशत आयकर होने से मान लो सरकार के खजाने में कर के रूप में एक हजार करोड़ रूपये आते हैं। यदि आयकर तीस

प्रतिशत से घटाकर बीस प्रतिशत कर दिया जाए, तो जैसे चाहो वैसे सर्वे करवा लो हर स्थिति में सभी का ये मानना है कि कर की राशी एक हजार करोड़ से बढ़कर दो हजार करोड़ हो जाएगी। पहले ऐसे प्रयोगों से ये कई बार सिद्ध भी हो गया है। कर घटाने से कर की आय पहले से अधिक ही होगी ये तो पक्का है। फिर हमारी सरकार कर का प्रतिशत कम क्यों नहीं करती? टैक्स कम करने के लिए तो कोई सदन की अनुमति या कोई बिल भी पास नहीं करवाना, जब चाहे सरकार कर घटा सकती है। विचित्र बात ये है कि गरीबों की हमदर्द हमारी सरकार को टैक्स घटाकर अधिक धन गरीबों की गरीबी समाप्त करने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि अधिक टैक्स लगाकर हर छोटे बड़े उद्योगपति व व्यापारी और टैक्स देने वाले को टैक्स की चोरी करने के लिए विवश करना ही सरकार का लक्ष्य है। चोरी करने वाला दूसरे चोर का विरोध नहीं करेगा बल्कि उसके साथ समझौता करेगा, बस इसी समझौते की स्थिति बनाए रखने के लिए ही टैक्स के दर कम नहीं करे जाते। यदा कदा टैक्स की चोरी करने वाले को कोई नया नियम बनाकर माफ कर दिया जाता है और ईमानदारी से टैक्स देने वाला, ईमानदारी से टैक्स चुकाने की गलती का पश्चाताप करता हुआ चोरों के ही पाले में जाने के लिए मजबूर हो जाता है।



12. मेरा ये मानना है कि अधिकतर कालाधन, चाहे कारण या प्रकार कुछ भी हो, सरकारी शासकों या उन्हीं के दलालों द्वारा ही प्रायोजित होता है। यदि ऐसा नहीं है तो ये कैसी पंगु सरकार है जो 65 वर्षों से निरंतर देश का धन लूट लूटकर विदेशों में जमा करवाने वालों के नाम पते भी नहीं जान सकी। केवल एक हजार या एक लाख की चोरी करने वाले को, और वो भी चोरी करने के

लिए मजबूर को, सरकार अपने कानूनों को न्यायसंगत बनाने के बजाय नाजायज तंग करती है, कालेधन के विरोध में आवाज उठाने वाले सच्चे आन्दोलनकारियों और देशभक्तों के उपर डंडे बरसवाकर पीड़ित करवाती है, कालेधन के विरोध में सच्चे आन्दोलनकारियों को उनके गले में पत्थर बांधकर डुबोकर मार देना चाहिए जैसे शब्दों का प्रयोग करके सरकार आन्दोलनकारियों का अपमान करके बड़ी वीरता का अनुभव करती है, लेकिन भ्रष्ट सरकार, अपने ही राजनेताओं का जो गरीब जनता का भ्रष्टाचार द्वारा कई कई लाख करोड़ों का धन लूटते हैं और विदेशों में जमा करवा देते हैं उनके नाम पते तक नहीं जान सकती। यदि जान सकती है तो लूटे हुए धन की वसूली करने का कोई प्रबंध क्यों नही करती, न ही लुटेरों को कोई दंड दिया जाता है। उपर से सरकार इन भ्रष्ट नेताओं को जेल में बंद होने के बावजूद भी सभी तरह की सुरक्षा व सुविधाएं देकर इन भ्रष्ट नेताओं को बरी करवाने का प्रबंध करती है, और हमारी भ्रष्ट सरकार फिर लग जाती है उन्हीं भ्रष्ट नेताओं से गठबंधन करके भ्रष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बचाने के लिए। अरे! बड़े बड़े पत्थर बांधकर डूबकर तो उन सरकारी शासकों को मर जाना चाहिए जिनके शासन काल में देश का केवल एक हजार, एक लाख या एक करोड़ नहीं कई कई लाख करोड़ों का धन भ्रष्टाचारी उन्हीं की आंखों के सामने लूटकर विदेशों में निरंतर जमा करवा रहे हैं और इन भ्रष्ट शासकों को पता ही नहीं। कालेधन की सहायता से भ्रष्टाचार का खेल सरकार बनाने और बचाने में निरंतर चलता रहता है।

13. किसी भी राजनीतिक दल का नेता किसी भी सरकार का प्रधानमंत्री, मंत्री, सरकारी नौकर, पार्टी अध्यक्ष अपने ऊपर भ्रष्टाचार व कालेधन के उपज की जिम्मेवारी नहीं लेते, तो क्या भ्रष्टाचार व

कालाधन मंगलग्रह से आ गया या पाताल लोक से फूटकर विदेशी खातों में जमा हो गया। भ्रष्टाचार व कालाधन है तो हमारा ही बनाया हुआ, फिर कौन जिम्मेवार है?



14. आजादी से पहले तो अंग्रेज और उससे पहले मुगल देश को लूटने के लिए योजनाएं बनाकर, सेना बल के प्रयोग से आक्रमण करके व अन्य अनेकों प्रकार के षड़यंत्र रचकर परिश्रम करके तो देश को लूटते थे, आज तो हमारे ही देश के भ्रष्ट राजनेता देश की गरीब जनता का धन लूटकर विदेशियों के घर में पहुंचा देते हैं। भ्रष्ट बहुमत के आधार पर न तो भ्रष्ट राजनेताओं को गरीब जनता का धन लूटने में कोई परिश्रम करना पड़ता है और न ही उन विदेशियों को जिनके धर बैठे ही लूटा हुआ धन हमारे भ्रष्ट नेता उनके घर में पहुंचा देते हैं। न तो चोरी करने वालों को लज्जा आती है और न ही चोरी के धन के रखवालों को जो चोरी किया हुआ धन सुरक्षित रखने का प्रबंध करते हैं।

15. अंग्रेजों ने और मुगलों ने तो भारत का अपार धन लूटकर अपने ही देश में जमा करवाया किसी दूसरे देश में जमा नहीं करवाया, लेकिन आजादी के पश्चात हमारे देश के भ्रष्ट राजनेताओं ने देश की गरीब जनता का धन लूटकर विदेशों में क्यों जमा करवा दिया, अपने ही देश में क्यों नहीं रखा, लूटे हुए धन को विदेशों में जमा न करवाकर अपने ही देश में रखकर कम से कम कुछ तो देश से वफादारी का प्रमाण देते। लेकिन अवश्य ही ये कुकर्म केवल उन्हीं आजादी दिलवाने के बने ठेकेदार नेताओं द्वारा सुनियोजित षड़यंत्र से करवाया हुआ है जिनकी सांठगांठ आजादी से पहले और आजादी के बाद भी उन अंग्रेजों से बनी हुई थी और

है जिनका देश गुलाम रहा। आज भी उसी सांठगांठ के आधार पर कालेधन का षड़यंत्र धड़ल्ले से चल रहा है।

16. सत्य बहुमत की भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति से सरकार बनाकर और कर व कर दरों को न्यायसंगत बनाने से कालेधन को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।

# अनशन, आन्दोलन व सत्याग्रह

1. भ्रष्टाचार व कालेधन के विरोध में आज हमारे देश की गरीब जनता देशभक्त आन्दोलनकारियों के मार्गदर्शन में एकजुट होकर अनशन, सत्याग्रह और आन्दोलन कर रही है। मैं सभी गरीब देशवासियों को और आन्दोलनकारियों को इस शुभ कर्म करने के लिए बधाई देते हुए भ्रष्टाचार और कालेधन के विरोध में आवाज उठाने का साहस करने की प्रशंसा करता हूं। हम सभी भ्रष्टाचार व कालेधन से मुक्त होने का सशक्त प्रयास कर रहे हैं।

2. लेकिन भ्रष्ट बहुमत के सत्ताधारियों को हमारे देश की गरीब जनता के अहिंसक और शांतिपूर्वक आन्दोलन, सत्याग्रह और अनशन देखे भी नहीं सुहाते। इन भ्रष्ट सत्ताधारियों को सच्चे व ईमानदार देशभक्त आन्दोलनकारियों के भ्रष्टाचार व कालेधन के विरोध में उठाए गए आन्दोलनों को नष्ट करने में बहुत ही सुख और आनन्द मिलता है। ये भ्रष्ट राजनेता भ्रष्टाचार व कालेधन के विरोध में आन्दोलनों का समर्थन करने की बजाय आन्दोलनों को कुचलने में अपनी सफलता मानते हैं। एक आदरणीय आन्दोलनकारी को भ्रष्टाचार के विरोध में आन्दोलन करने पर जेल में ठोक दिया गया। उनके सभी सहयोगियों को भिन्न भिन्न प्रकार के बनावटी आरोपों से अपमानित करके भ्रष्टाचार के विरोध में आन्दोलन न करने के लिए प्रयास किए गए। दूसरे आदरणीय आन्दोलनकारी और उनके समर्थकों को कालाधन के विरोध में अनशन करने पर रात के दो बजे निहत्थे महिलाओं व पुरूषों पर आंसु गैस छोड़कर, लाठियों से पिटवाकर, आन्दोलनकारियों के मंच पर आग लगाकर जान से मार देने के

प्रयास करके खदेड़ दिया गया। भ्रष्ट बहुमत से बनी सरकार के सत्ताधारी भ्रष्टाचार और कालेधन के विरोध में किए गए आन्दोलनों को कुचलने के लिए बड़ी निर्लज्जता से बहुमत के अधिकारों का दुरूपयोग करते हैं। बहुमत के आधार पर अपने अधिकारों की ताल ठोकने वाले भ्रष्ट राजनेताओं से ये पूछा जाएः

1. आजादी के कुछ समय पहले हमारे भ्रष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों से ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट कौन से बहुमत के आधार पर किया था? क्या ये देश की गरीब जनता व सच्चे आन्दोलनकारियों के अपमान करने का प्रायोजित षड़यंत्र नहीं था?
2. आजादी के समय कौन से बहुमत द्वारा हमारे भ्रष्ट नेताओं ने देश का विभाजन स्वीकार किया था? कौन से बहुमत द्वारा धर्म के नाम पर घृणा पैदा करवाकर देश के टुकड़े टुकड़े करवा दिए थे? देश के टुकड़े करवाने की घृणित राजनीति का प्रयोग किसने किया, देशवासियों को आज तक पता नहीं चल पाया।
3. देश के संविधान में प्रजातंत्र व बहुमत के प्रयोग का अर्थ एक सदस्य के चुनाव में कुछ, सरकार गठन के समय बहुमत के प्रयोग का अर्थ कुछ, और सदन में बिल पास या फेल करवाते समय कुछ, जिससे केवल भ्रष्टाचार ही पैदा हुआ, कौन से बहुमत द्वारा करवाया हुआ है।

आज के सत्ताधारी राजनेताओं में कोई तो ऐसा नेता होगा जो हमें समझा दे कि किस प्रकार के बहुमत से सरकार बनाकर भ्रष्टाचार

और कालेधन के विरोध में आन्दोलनों को कुचलने के प्रयास किए जाते हैं।

3. भ्रष्टाचार और कालेधन के विरोध में सरकार आन्दोलनकारियों का समर्थन करने के बजाय आन्दोलनकारियों को पुलिस से पिटवाकर क्या सिद्ध करना चाहती है? क्या सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या भ्रष्टाचार और कालेधन के विरोध में आन्दोलनों से आम गरीब जनता सहमत नहीं है? क्या सरकार भ्रष्टाचार, कालाधन समाप्त करवाने की इच्छुक नहीं है? क्या प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार कालाधन समाप्त करवाने के लिए आन्दोलनों द्वारा सरकार को याद दिलवाना भी पाप है?

4. भ्रष्ट बहुमत के सत्ताधारी ये सोचते होंगे कि इस भ्रष्ट बहुमत का गरीब देशवासियों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार और कालेधन के विरोध में आवाज उठाने वालों को पुलिस के डंडों से पिटवाकर कुचल दो। मेरे विचार में भ्रष्टाचार और कालेधन के विरोध में आन्दोलन करने वाले आन्दोलनकारियों का सम्मान होना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना भी देश की सरकारी व्यवस्था को आन्दोलनों के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त करने के प्रयास किए।



5. आन्दोलनकारियों के अनगिनत अनशनों से मैं अभी तक ये नहीं जान पाया कि बिना राजनीति किए केवल अनशनों के माध्यम से हमारे आन्दोलनकारी कौन सी व्यवस्था को किस प्रकार बदलकर भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहते हैं। आन्दोलनकारी न तो ये बता पा रहे हैं कि व्यवस्था क्या है, न ही ये बता पाते हैं कि व्यवस्था में

खोट क्या है, और न ही ये सुझााव देते हैं कि खोट को दूर कैसे किया जा सकता है। ऐसे में कुछ प्रश्न स्वाभाविक ही खड़े हो जाते हैं कि:

1. आदरणीय आन्दोलनकारी, उनके साथ मंच पर बैठे सभी बुद्धिजीवी और उनके चारों तरफ समर्थकों की अपार भीड़ ने भी तो आजादी के पश्चात पिछले 65 बर्षों में कितने ही चुनावों में सक्रिय भाग लेकर मतदान तो किया होगा।
2. सदस्यों के बहुमत से सरकार बनेगी, जिसको मैं भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था कहता हूं, इसी व्यवस्था को स्वीकार कर लेने और समझने के पश्चात ही तो इन सभी बुद्धिजीवियों ने मतदान किया होगा।
3. आदरणीय आन्दोलनकारियों के मंच पर बैठे सभी बुद्धिजीवियों और उनके अपार समर्थकों के मतदान से और उनके समर्थन से ही तो भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था से सत्तापक्ष और विपक्ष बना, और इन्हीं चुने हुए राजनेताओं में से, कुछ ने जी भर के खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार किया और कुछ चुने हुए राजनेताओं ने होते हुए भ्रष्टाचार को मूकदर्शक बन कर केवल देखने का काम किया।
4. मतदान करने वालों की बुद्धि में क्या कभी भी ये विचार नहीं आया कि भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को मत करके हम स्वयं भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

5. जब आन्दोलनकारियों की स्वीकार करी हुई भ्रष्ट व्यवस्था में उन्हीं के समर्थन से सरकार बन गई और भ्रष्टाचार के विरोध में आन्दोलन करने वालों ने ही चुनावों के माध्यम से भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को हर चुनाव में समर्थन देकर भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने का प्रमाण पत्र दे दिया, तब ये आन्दोलनकारी अपनी ही स्वीकृति के विरोध में आमरण अनशन करके किसका विरोध कर रहे हैं।

6. इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं किससे मांगू। अपनी ही बुद्धि से समझने के पश्चात ये समझ पाया कि मेरे आदरणीय आन्दोलनकारी व उनके सभी समर्थक हैं तो सारे के सारे सच्चे, ईमानदार और देशभक्त, नहीं तो अपने ही चुने हुए भ्रष्टाचारियों के विरोध में आमरण अनशन क्यों करते। सम्भवतः भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था का अर्थ नहीं समझ पाने के कारण और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने की छटपटाहट ने कभी सत्तापक्ष को या कभी विपक्ष को मत करने के लिए मजबूर कर दिया होगा। परन्तु भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को समर्थन देकर भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलती कैसे! ये विचार लिखते लिखते मेरी बुद्धि भी हिल गई, और सोचता रहा कि देखो कैसे इस भ्रष्ट व्यवस्था ने सच्चे से सच्चे, ईमानदार से ईमानदार और देश भक्तों से भी भ्रष्ट व्यवस्था को वोट करवाकर सभी सच्चे, ईमानदार और देशभक्तों को भ्रष्टाचार का समर्थक बना दिया। चाहे नासमझी या मजबूरी से ही सही, है तो सच्चाई कि सच्चे, ईमानदार और देशभक्तों ने भी भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को समर्थन दिया। मेरे आदरणीय आन्दोलनकारियो और कुछ करना या मत करना परन्तु भ्रष्ट

बहुमत की व्यवस्था स्वीकार करने वाले पहले से ही स्थापित राजनीतिक दलों को समर्थन देने की भूल मत कर देना, और न ही केवल असफल होने के लिए इस भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को स्वयं स्वीकार करके किसी नए राजनीतिक दल के निर्माण में लगना। जब भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था का विकल्प है ही सत्य बहुमत तब किसी और व्यवस्था के बारे में सोचना केवल समय को बर्बाद करना है।



7. हमारे आन्दोलनकारी राजनीति शब्द से इतनी धृणा क्यों करते हैं, क्या ये लोग अपने आपको भगवान के भी उपर या भगवान का ही रूप मानते हैं? कौन से गुरू से ऐसी शिक्षा मिली हुई है कि राजनीति में भाग लेकर गरीबों की गरीबी दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कौन से वेद, पुराण, उपनिषद या किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ में कहां लिखा है कि देशहित में आन्दोलन करने वाले आन्दोलनकारियों या सन्यासियों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। या फिर ये आन्दोलनकारी किस भय के कारण राजनीति में भाग नहीं लेना चाहते, या निर्णय लेने में बुद्धि काम नहीं कर रही। यदि आन्दोलनकारी राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, इसका मतलब आन्दोलनकारियों और उनके अपार समर्थकों को मतदान भी नहीं करना चाहिए, मतदान करना भी तो राजनीति का ही भाग है। राजनीति से इतनी धृणा है तो आन्दोलनकारियों को ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि स्वतंत्र भारत में केवल सत्याग्रहों, आन्दोलनों व अनशनों से भ्रष्टाचार व कालाधन समाप्त किया भी नहीं जा सकता है। भ्रष्टाचार और कालाधन एक राजनीतिक समस्या है इसलिए इस समस्या का समाधान राजनीति

से ही संभव है। वर्तमान स्थिति में तो जैसे जैसे भ्रष्टाचार व कालाधन के विरोध में आन्दोलनों ने जोर पकड़ा वैसे वैसे भ्रष्टाचार और बढ़ गया, भ्रष्टाचार के साथ–साथ कालाधन भी बढ़ा, महंगाई भी आसमान को छूने लगी, इससे तो अच्छा था आन्दोलन न ही होते।

8. हमारे आन्दोलनकारी भ्रष्टाचार व कालाधन समाप्त करवाने के लिए बिना भय के स्पष्ट रूप से न तो किसी राजनीतिक दल का विरोध करते हैं और न ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन। हमारे आन्दोलनकारी राजनीति करने में कोई रूचि नहीं रखते, न ही कोई सत्ता का पद लेकर भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी समाप्त करवाने का प्रयास करते हैं, अपितु भ्रष्ट बहुमत की भ्रष्ट सरकार से ही भ्रष्टाचार समाप्त करवाने का मार्ग ढूंढ़ने में लगे हुए हैं। क्या हमारे आन्दोलनकारियों ने कभी गम्भीरता से विचार किया कि आजाद भारत की राजनीति में रूचि नहीं लेकर कौन से मार्ग द्वारा भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी समाप्त करी जा सकती है? देश का कितना समय और कितने साधनों को खर्च करके आन्दोलनों, सत्याग्रहों व अनशनों का आयोजन किया जाता है, कभी सोचा। जिन आन्दोलनों और अनशनों से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किसी प्रकार का भी सुझाव नहीं मिलता फिर भी आन्दोलनकारियों ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केवल आन्दोलनों और अनशनों के मार्ग को ही क्यों पकड़ रखा है? ऐसा लगता है आन्दोलनकारियों की बुद्धि में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, सिवाय अनशनों और आन्दोलनों के कोई भी अन्य विकल्प उनके पास नहीं है। देश के गरीब देशवासी भ्रष्टाचार और गरीबी समाप्त करवाने के लिए आन्दोलनकारियों के केवल अनशनों के मेले नहीं देखना चाहते बल्कि गरीबी और भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए समाधान चाहते

हैं। भ्रष्टाचार से मुक्त होने का समाधान केवल व्यक्ति नहीं हो सकता और न ही समाधान केवल आन्दोलनों और अनशनों की औपचारिकता से निकल सकता है। भ्रष्ट राजनीति का समाधान राजनीतिक विचार से ही संभव है। प्रजातंत्र में राजनीति हमारा मौलिक अधिकार है, किसी भी जिम्मेवार और जागरूक नागरिक को राजनीति में रूचि लेकर गर्व का अनुभव करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे आन्दोलनकारी देश की गरीब जनता को अपने आन्दोलनों, सत्याग्रहों व अनशनों द्वारा भ्रष्टाचार,कालाधन व गरीबी की समस्या से अवगत करवाने में सफल हुए हैं, परन्तु समस्या का पक्का समाधान ढूंढ़ने में सफलता नहीं मिली। केवल सत्ताधारी राजनीतिक दल का विरोध और वह भी खुलकर नहीं करने से देश की गरीब जनता को क्या निर्णय लेना चाहिए? आन्दोलनकारी यदि किसी को समर्थन नहीं देंगे तो समस्या का समाधान निकलेगा कैसे? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलग से एक नया कानून बनवाने के लिए हमारे आन्दोलनकारी सफल हो भी जाते हैं तो भी भ्रष्टाचार 100 प्रतिशत समाप्त नहीं होगा ये बात स्वयं हमारे आन्दोलनकारी मानते हैं।

9. भ्रष्टाचार व कालेधन की समस्या पर और अधिक गम्भीरता से चिंतन करके, हमारे आन्दोलनकारियों को अपने हठ और अहम को त्यागकर सभी के सहयोग, परामर्श और समर्थन से अन्य उपायों के साथ साथ सत्य बहुमत की राजनीति पर गम्भीरता से विचार करके समस्या को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। मैं देश का एक बहुत ही साधारण नागरिक हूं, अपने आदरणीय आन्दोलनकारियों को सलाह देने के साहस करने पर अपना अधिकार जताते हुए क्षमा प्रार्थी हूं।

10. जब हमें 100 प्रतिशत भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी समाप्त करने का मार्ग मिल गया तब हम उससे कम पर समझौता क्यों करें? और यदि कम पर समझौता करके हम संतुष्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब हम फिर कहीं न कहीं धोखा खा गए। समस्या का पक्का समाधान केवल –सत्य बहुमत– ही है, इसलिए अपने आन्दोलनों को सत्य बहुमत स्थापित करवाने की दिशा में मोड़ दीजिए, और देख लेना आपके जरा से समर्थन से सारा देश सत्य बहुमत के विचार की ओर टूट पड़ेगा। कम से कम समय में, कम से कम धन खर्च करके, पूर्ण अहिंसक व शांतिपूर्वक आन्दोलन पृथ्वी के सबसे महान प्रजातंत्र में नई राजनीति को जन्म देकर विश्व में एक उदाहरण बन जाएगा। जब जहर का असर समाप्त करने के लिए जहर से बनी औषधी का ही प्रयोग होता है तो भ्रष्ट राजनीति को ठीक भी केवल राजनीति से ही किया जा सकता है। भले ही हमारे मार्गदर्शक कोई पद न लें परन्तु उनको सकारात्मक रूप से व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेवारी लेनी होगी, वरना आन्दोलन दिशाहीन हो जाएंगे। पहले से ही देश की दुःखी जनता और कितना सहन करेगी, भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी के राक्षसों से लड़ते लड़ते कहीं हिंसा का एक और राक्षस जन्म ले ले, उससे पहले अपने आन्दोलनों को दिशाहीन न होने दें।

11. हमारे आन्दोलनकारी बार बार भ्रष्टाचार व कालेधन को समाप्त करने के लिए वर्तमान भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट राजनेताओं से ही क्यों वार्तालाप कर रहे हैं? भ्रष्टाचार व कालेधन के विरोध में हमारे आन्दोलनकारी जैसे कानून बनवाना चाहते हैं यदि ये सरकार वैसे कानून नहीं बनाती है तो क्या कोई विकल्प हमारे पास नहीं है? हम क्या सोचते हैं कि जिन्होने भ्रष्टाचार किया वो

भ्रष्टाचार के विरोध में कानून बनाकर स्वयं अपने आप को सूली पर चढ़ाने का प्रबंध करेंगे?

12. वर्तमान सरकार के आश्वासन पर भ्रष्टाचार व कालाधन समाप्त करने का कोई भी समझौता केवल अपने आप को धोखा देने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। भ्रष्ट बहुमत की भ्रष्ट सरकार ने छल भरे समझौते करने की कला अंग्रेजों से खूब अच्छे से समझ रखी है। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को कभी भी क्षमा या अविश्वासपात्र के ऊपर विश्वास करके अपने आपको अंधकार में नहीं धकेलना चाहिए। प्रतीक्षा में और अधिक समय बर्बाद न करके नई व्यवस्था को जन्म देने में देर नहीं करनी चाहिए। सत्य यही है कि भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी की समस्या समाप्त हो ही नहीं सकती। ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि केवल आन्दोलनों द्वारा कठोर कानून बनने पर भ्रष्टाचार व कालाधन समाप्त हो जाएगा ये बात नहीं है, ढेर सारे कानून भ्रष्टाचार व कालाधन समाप्त करने के पहले से ही हमारी व्यवस्था में हैं, और एक नया कानून पहले से बने कानूनों में बन कर मिल जाएगा। यदि केवल कठोर कानूनों से भ्रष्टाचार व कालाधन समाप्त होता तो कभी का हो गया होता, जितने नियम कठोर और अधिक होंगे भ्रष्टाचार भी उतना ही अधिक होगा। मानो न मानो सच्चाई तो यही है।

13. जिन्होंने भ्रष्टाचार और कालेधन को जन्म दिया, क्या हमारे आन्दोलनकारी व्यवस्था के सही होने का मुकुट उन्हीं भ्रष्ट राजनेताओं की सरकार को पहनाना चाहते हैं? जिन्होंने व्यवस्था ठीक करने में कुछ भी योगदान नहीं दिया उन्हीं को सफलता का पुरस्कार देना चाहते हैं? क्या हम देशवासियों और आन्दोलनकारियों

में व्यवस्था को ठीक करने की क्षमता नहीं है? क्या हमारे पास भ्रष्ट नेताओं का कोई विकल्प नहीं है? हमारे ही धन, बुद्वि, सहनशीलता, सादगी, सच्चाई व ईमानदारी के साथ छल करके जिन भ्रष्ट नेताओं ने हमें भ्रष्टाचार का जीवन जीने के लिए लाचार किया, उन्हीं के सामने व्यवस्था को ठीक करने के लिए गिड़गिड़ाने के सिवाय क्या कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है! कितने भी आश्वासन मिलें परन्तु भ्रष्ट नेताओं पर विश्वास नहीं करके बिल्कुल नई विचारधारा, नई व्यवस्था जो कि देश हित में हो देनी है। ऐसी व्यवस्था बनानी है कि भ्रष्टाचार व कालेधन का जन्म ही ना हो। आज के राजनेता जो विदेशों में जन्मे विदेशों में ही पले, शिक्षा जैसी भी ली विदेशों में ली, उनसे हिन्दुस्तान के गाँव, गरीबों, देश की परम्परा, सभ्यता व संस्कारों की बात करना व्यर्थ है। इनको हर बात विदेशी करनी आती है, ऐसी व्यवस्था में आप क्या समझते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी व बीमारी, भ्रष्टाचार और कालेधन की समस्या को ठीक करने की औषधि किसी विदेश से आएगी। आयात करी हुई राजनीति से इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा ये सोचना भी भूल है, हमें अपने आप से काम करना होगा।

14. आन्दोलनों से ये तो प्रमाणित हो गया कि भ्रष्टाचार व कालेधन की समस्या वास्तव में है परन्तु कोई भी आन्दोलन इस समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए पक्के समाधान तक नहीं पहुंच पाया। समाधान के नाम पर इधर उधर फेर बदल करके कुल मिलाकर फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने आरम्भ किया था। भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी का पक्का समाधान राजनीति से ही संभव है, इसलिए हमारे आन्दोलनकारियों को राजनीति से धृणा करने की गलती नहीं करनी चाहिए और यदि

अभी तक करी भी है तो पश्चाताप करके भूल की सुधार करने में जरा भी विलम्ब नहीं करना चाहिए। धोड़ा घास से मित्रता करेगा तो खाएगा क्या? राजनीति से धृणा करोगे तो स्वच्छ राजनीति का जन्म होगा कैसे?

15. आज के सत्ताधारी तो यही चाहते हैं कि आन्दोलनकारी राजनीति में रूचि न लें। लेकिन आन्दोलनों का नेतृत्व करने वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि राजनीति में भाग नहीं लेना कोई पुण्य, परोपकार या पुरूषार्थ का कार्य नहीं है और न ही स्वच्छ राजनीति में भाग लेकर गरीबों की सहायता करना कोई पाप। गरीब जनता तो बाट देख रही है कि हमारे ब्रह्मचारी आन्दोलनकारी स्वच्छ राजनीति को जन्म कब देंगे।

16. यदि संभव होते हुए भी हम भ्रष्ट बहुमत की राजनीति को समाप्त नहीं करवा पाते हैं तो देश की गरीब जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। पहले सरकार ने आन्दोलनकारियों की बात को नहीं मान कर गरीब जनता से धोखा किया, अब आन्दोलनकारी सत्य बहुमत को समर्थन नहीं देकर गरीब जनता के साथ धोखा करेंगे।

17. हमारे आन्दोलनकारियों को धृणा राजनीति से नहीं, अपितु भ्रष्ट राजनीति से करनी चाहिए, क्योकि भ्रष्ट राजनीति का अंत होने के पश्चात् ही स्वच्छ राजनीति का जन्म होगा। और यदि राजनीति का अर्थ भ्रष्टाचार ही है तो आने वाले शासक भ्रष्टाचार न करते हुए भी भ्रष्ट प्रमाणित हो जाएंगे।

18. लिखने को तो हजारों लाखों पन्ने भ्रष्टाचार व कालेधन पर लिखते जाएं विषय समाप्त नहीं होगा। जो हो चुका उसको तो देखेंगे, परन्तु आज से आगे भ्रष्टाचार कैसे न हो इसका पक्का समाधान ढूंढना चाहिए। भविष्य में भ्रष्टाचार व कालाधन न हो इसके लिए चुनावों के माध्यम से सत्य बहुमत को स्थापित करवाने के लिए जनमत तैयार करना चाहिए। सत्य बहुमत को समर्थन देने से ही सभी अनशनों, आन्दोलनों व सत्याग्रहों को सफल बनाया जा सकता है, नहीं तो अनगिनत अनशन, सत्याग्रह व आन्दोलन करते रहो होने वाला कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार व कालाधन और बड़े रूप में बदलकर बढ़ता रहेगा, जनता गरीबी में मरती रहेगी।

19. कुंए में बरी पड़ गई तो बरी सीधी रस्सी से निकलने वाली नहीं है। निकालने वाली रस्सी के आगे बिलाई को बांधकर कुंए के गोल घेरे में खड़े होकर आपस के सहयोग से रस्सी को हिलाने से गिरी हुई बरी बिलाई में फंस जाएगी और आसानी से गिरी हुई बरी को बाहर निकाला जा सकता है। मेरी इस बात का तात्पर्य है कि भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी को समाप्त करने के लिए सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर –सत्य बहुमत– की क्रांती को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग, समर्थन व ठोस सुझाव देकर समस्या का समाधान सदा सदा के लिए कर सकते हैं।

*~सत्य बहुमत ~*

# राजनीति

1. भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी की केवल चर्चा करके अनेकों अनेक प्रकार व कारण और निष्क्रिय उपाय बताकर चर्चा समाप्त करने वालों की ही कतार में मैं खड़ा नहीं रहना चाहता। भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी का केवल एक कारण –भ्रष्ट बहुमत– व एकमात्र विकल्प केवल –सत्य बहुमत– समझ में आ जाने के पश्चात मैं भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को जड़ से समाप्त करके सत्य बहुमत की व्यवस्था को स्थापित करवाने का दृढ़ संकल्प लेता हूं। और संकल्प ये भी लेता हूं कि भ्रष्ट बहुमत के विकल्प में जब तक सत्य बहुमत की व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती चैन की सांस नहीं लूंगा।

2. सत्य बहुमत के आधार पर स्वच्छ राजनीति के निर्माण के लिए मैं चट्टान से भी मजबूत राजनीतिक विकल्प का आहवान करता हूं।

हमारे राजनीतिक दल का नाम होगा
"सत्य बहुमत",
और नारा होगा
"हर हरिजन–सत्य बहुमत"

3. मुझे भारत के 84 करोड़ गरीब दिखाई देते हैं जिनकी धरती और धन लूटकर भ्रष्ट बहुमत के आधार पर राजनेता सत्ता पर कुंडली मार कर बैठे हैं। अब सत्य बहुमत की राजनीति

स्थापित करवाकर गरीबी को जड़ से समाप्त करवाने का संकल्प लेता हूं।

4. बहनो भाइयो, देश की सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, इसे प्रमाणित करने में मैं समय और शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहता। भ्रष्टाचार कितना, किस समय, कहां पर, किस प्रकार और कौन करता है इसकी चर्चा में भी मैं समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। भ्रष्टाचारियों के पास तो भ्रष्टाचार से जमा किए हुए धन की अपार शक्ति का भंडार है, परन्तु मेरे पास तो केवल समय का और विचारों का ही धन है, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए मैं अपने समय का निवेश, नकारात्मक चर्चाओं के चक्कर में न पड़कर, सत्य बहुमत के विचार को राजनीतिक विकल्प देकर उसको सफल बनाने में ही करना चाहता हूं।

5. आम आदमी निरन्तर भ्रष्टाचार की चपेट में प्रतिदिन आता रहता है। हमारी सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार कहां नहीं है ये खोजना कठिन है। षड्यंत्रो द्वारा देश की गरीब जनता के धन का भ्रष्टाचार, हमारी शिक्षा, भाषा, सभ्यता, मर्यादा और संस्कृति का भ्रष्टाचार, कृषि के साथ सभी खाद्ध पदार्थों का भ्रष्टाचार, प्राकृतिक भू संपदा का भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य के साथ साथ चिकित्सा पद्वति का भ्रष्टाचार हुआ, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हमारे समय का जो किसी भी शक्ति द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता है। हमारी सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार ही केवल ऐसा कारण है जो सभी बुराइयों चाहे गरीबी, कालाधन, बेरोजगारी, बीमारी, मिलावट, महंगाई आदि को जन्म देता है। हमारी सभ्यता व संस्कृति का पतन, नशाखोरी, उदारीकरण के नाम पर व्यापार नीतियां विदेशी कम्पनियों के नाम,

धर्म के नाम पर दंगे, केवल वोटों के लिए नकारात्मक योजनाओं का निर्माण आदि भी भ्रष्टाचार ही की देन हैं। हमारा देश केवल भ्रष्ट बहुमत के कारण ही धर्म, जाति, भाषा व वर्ग में बंटकर कमजोर हो गया। आज भी यदि हम राजनीति की बात को छोड़कर देश के किसी भी देशवासी से चाहे वो किसी भी धर्म, भाषा, जाति, वर्ग या क्षेत्र का हो देशहित की चर्चा करें तो सभी के सभी देश की एकता, अखंडता और देशप्रेम से सहमत हैं। 99 प्रतिशत से भी अधिक देशवासी सच्चाई, ईमानदारी व मेहनत की जिन्दगी जीने में विश्वास रखते हैं। सभी धर्म, भाषा, जाति व वर्ग के लोग आपस में भाईचारे, प्यार व प्रेम से ही जीना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही राजनीति की चर्चा करो सभी धर्म, जाति, भाषा व वर्ग के लोग अलग अलग सुर में बोलना आरम्भ कर देते हैं, इसका कारण केवल भ्रष्ट बहुमत की राजनीति ही है। यदि हम भ्रष्ट बहुमत को सत्य बहुमत में नहीं बदल पाते हैं तो ये बंटे हुए वर्ग स्थायी रूप से बंटे ही रह जाएंगे और फिर देख लेना भारत के भूगोल को पहले क्या था, आज क्या है और क्या हो जाएगा, हर बार देश का भूगोल घटा ही घटा बढ़ा तो एक इंच भी नहीं।

6. आजादी से आज तक 65 वर्षों के समय काल में महानतम प्रजातंत्र के अनगिनत सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी, विवेकशील और धनाढ्य राजनेताओं ने मिलकर कोई ऐसा ठोस उपाय नहीं ढूंढा जिससे देश की सरकारी व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। अनगिनत श्रेष्ठतम साहसी पूर्वजों, महानतम रचनाकर्ताओं की सन्तानें आज भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने में ऐसी निढाल पड़ी हैं जैसे जुए में हारे हुए जुआरी धरती पर पड़े हों। कोई भी राजनीतिक दल इस पर ईमानदारी से चर्चा नहीं करता कि भ्रष्टाचार को जड़

से समाप्त किया कैसे जाए। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करवाके विश्व का सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनाने का मेरे विचार में केवल सत्य बहुमत ही एकमात्र मार्ग है।

7. बहनो भाइयो, मैं बहुत अच्छा लेखक और वक्ता नहीं हूं इसलिए लिखने बोलने समझने और समझाने में कहीं गलती हो सकती है परन्तु ये बात मैं दावे से कहता हूं कि सत्य बहुमत की व्यवस्था में भ्रष्टाचार करना चाहो तो भी भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। आप जैसे चाहो विचार करके देख लेना प्रजातंत्र में सत्य बहुमत का कोई विकल्प नहीं है।

8. बहुमत–भ्रष्टाचार, के पन्नों में अपनी बुद्धि से सत्य बहुमत का विचार और अर्थ लिख देने के पश्चात यहां संक्षेप में फिर सत्य बहुमत का विचार क्या है, समझने के लिए हमारे देश के प्रजातंत्र में हमारी ही स्वीकारी हुई चुनावी प्रक्रिया द्वारा बहुमत से सरकारों के गठन की व्यवस्था को ध्यान से समझना होगा। मेरा सच्चे प्रजातंत्र व बहुमत दोनों ही व्यवस्थाओं में अटूट विश्वास है। लेकिन बहुमत और प्रजातंत्र का उपयोग हमारी वर्तमान सरकारी व्यवस्था में इतने भ्रष्ट रूप से किया गया जिसका परिणाम केवल भ्रष्टाचार ही चारों तरफ देखने को मिला। इस भ्रष्ट बहुमत से सरकारों के गठन के विकल्प में केवल सत्य बहुमत ही ऐसी व्यवस्था है जिसमें भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता।

9. सत्य बहुमत की व्यवस्था का अर्थ है सरकार सदस्यों के बहुमत से न बनकर, वोटों के बहुमत से बने। जिस प्रकार सदस्यों के चुनाव में भले ही कितने भी राजनीतिक दल चुनाव

लड़ें, चाहे कितने भी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हों और चाहे कितना भी प्रतिशत मतदान हुआ, जीतने वाला सदस्य वह होता है जिसको अन्य उम्मीदवारों की तुलना में वोट अधिक मिले हों। ठीक इसी प्रकार सरकार बनाने का अधिकार उस राजनीतिक दल के नेता का होना चाहिए जिसको अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे अधिक वोट मिले हों, भले ही सबसे अधिक वोट मिलने वाले राजनीतिक दल के कुल सदस्य दूसरे राजनीतिक दल से कम जीते हों। बहुमत वोटों के अधिक होने से होना चाहिए न कि आज की व्यवस्था में सदस्यों के अधिक होने से। वोटों के बहुमत से ही सदस्य विजयी होते हैं, इसलिए सरकार भी वोटों के बहुमत से ही बननी चाहिए। मान लो एक नेता को कुल वोट अधिक मिले लेकिन सदस्य कम विजयी हुए, और दूसरे नेता के सदस्य अधिक विजयी हुए लेकिन वोट कम मिले, अब आप ही बताइए बहुमत किसका होना चाहिए, जिसके पास अधिक वोट हैं या जिसके पास अधिक सदस्य। सत्य बहुमत की व्यवस्था को स्वीकार करने के पश्चात, हम चाहते हैं कि बहुमत अधिक वोटों से हो न कि अधिक सदस्यों से। सत्य बहुमत की व्यवस्था में यदि सरकार गठन करने का अधिकार उस नेता को मिलेगा जिसको और नेताओं की तुलना में मत अधिक मिले तो इस स्थिति में बहुमत के लिए गठबंधन नहीं करना पड़ेगा, और सरकार गठन के लिए यदि गठबंधन की आवश्यकता नहीं है तो भ्रष्टाचार की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप जैसे मर्जी सोचकर देख लेना सत्य बहुमत के आधार पर भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता और भ्रष्ट बहुमत के आधार पर भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता। मैं वोटों के अधिक होने को सत्य बहुमत मानता हूं और सदस्यों के अधिक होने को भ्रष्ट बहुमत।

10. सत्य बहुमत की व्यवस्था से सरकार बनने पर भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का भी संदेह केवल निराधार होगा उसमें सच्चाई नहीं होगी। आम गरीब जनता तो सत्य बहुमत से सहमत है ही, केवल कुछ लोग जो स्वयं भ्रष्टाचारी हैं या भ्रष्टाचार को समाप्त करवाने में इच्छा नहीं रखते हैं या फिर सत्य बहुमत का अर्थ समझ ही नहीं पाए वही लोग सत्य बहुमत का विरोध करेंगे और असमंजस की स्थिति बनाने का प्रयास करेंगे।



11. हमारे देश की राजनीति भ्रष्टाचार मुक्त क्यों नहीं हो पाई इसके लिए हमारे देश के राजनेता व कुछ धनाढ्य लोग अशिक्षा को बहुत बड़ा कारण मानते हैं। ये राजनेता भ्रष्टाचार का कारण भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को नहीं मानते और भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था के बदले सत्य बहुमत की व्यवस्था को स्थापित करवाने के लिए गम्भीरता से विचार करने के लिए भी तैयार नहीं होते। इसके उत्तर में मेरा तर्क है जनता को शिक्षित करना केवल सरकार का काम है जो सरकार ने पिछले 65 वर्षों में भी नहीं किया। देश की अधिकतम जनसंख्या के अशिक्षित होने का सरकार को छोड़कर दूसरा कौन जिम्मेवार है। सरकार केवल विज्ञापनों द्वारा गरीबों को शिक्षित करना चाहती है, किसी प्रकार की भी सच्ची ठोस योजना सरकार के पास नहीं है। भ्रष्ट बहुमत के भ्रष्ट राजनेता देश के गरीबों को शिक्षित देखना भी नहीं चाहते। देश की अधिकतम जनसंख्या गरीब है उपर से अशिक्षित भी, केवल इन्हीं दो लाचारियों का देश के भ्रष्ट राजनेता भरपूर राजनीतिक लाभ उठाने में लगे रहते हैं। मेरा ये मानना है कि देश की गरीब जनता अशिक्षित इस रूप में है कि उनके पास डिग्रियां नहीं हैं वरना

अशिक्षित होने पर भी समझदार हैं, अच्छे बुरे की समझ उनमें भली प्रकार है। गरीब अशिक्षित जनता ने ही पिछले 65 वर्षों में देश की राजनीति में हलचल मचाकर, कई बार सत्ता पक्ष में परिवर्तन करवाके देश को ठीक दिशा में ले जाने के सफल प्रयास किए हैं। आप किसी भी अशिक्षित मजदूर से 100 रूपये का काम करवाके 50 रूपये देकर हिसाब चुकता करने का प्रयास कर के कभी देख लेना, जो हथौड़ा अशिक्षित मजदूर पत्थर तोड़ने के काम में लेता है उसी हथौड़े से यदि पैसे पूरे नहीं दिए तो आपका सिर फोड़ देगा। इस स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्ट राजनीति का कारण देश की गरीब अशिक्षित जनता है। हां अशिक्षित मजदूर को चालाकी से असली 100 रूपये के नोट के बदले नकली नोट पेला जा सकता है जैसे वर्तमान राजनीति में सत्य बहुमत के बदले भ्रष्ट बहुमत को देश के गरीब अशिक्षितों के बीच में पेल रखा है।

12. पढ़े लिखे डिग्री धारकों की बात करें तो सत्य बहुमत के माध्यम से जितने भी पढ़े लिखे मेरे सम्पर्क में आए उनमें से अधिकतर को सदस्य का बहुमत वोटों से और सरकार का बहुमत सदस्यों से होने में क्या अन्तर है पता ही नहीं है। पढ़े लिखे भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भ्रष्ट बहुमत के कारण ही भ्रष्टाचार जन्म लेता है। आजादी के बाद से लेकर आज तक 65 वर्षों से बहुमत के नाम पर भ्रष्ट बहुमत का खोटा सिक्का चलाकर देश की आम गरीब जनता को चाहे शिक्षित या अशिक्षित अच्छा मूर्ख बना रखा है। ये लिखने से मैं अपने आप को औरों से अधिक बुद्धिमान या समझदार बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं तो देश का एक बहुत ही साधारण नागरिक हूं। 65 वर्षों की भ्रष्ट राजनीति का परिणाम जो मेरे देश के गरीबों ने भुगता और भुगत रहे हैं केवल उसी को बोलने व लिखने का प्रयास कर रहा हूं। चारों ओर

भ्रष्टाचार की व्यवस्था ने मुझे पीड़ित कर रखा है, इसी पीड़ा से छूटने का और केवल सत्य बहुमत के विचार को समझने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं।

13. आप अच्छे से विचार करके निर्णय ले लो कि सत्य बहुमत की व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त है या नहीं। मेरा तो ये पक्के से पक्का विचार है कि चाहो तो भी सत्य बहुमत की व्यवस्था में भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। यदि आप सत्य बहुमत को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मानते हैं तो बिना विलम्ब के सत्य बहुमत की क्रांति को सफल बनाने के लिए सकारात्मक प्रयास करना आरम्भ कर दो।

14. सत्य बहुमत की राजनीति स्थापित होगी केवल चुनावों के माध्यम से ही। आन्दोलनों, सत्याग्रहों और अनशनों से गरीब जनता जागरूक तो हो गई, लेकिन केवल आन्दोलनों, सत्याग्रहों और अनशनों से व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा ये सोचना भूल है। बहुमत के अर्थ को, चुनावों में बहुमत से विजयी होकर ही बदला जा सकता है। अपने देश के आदरणीय आन्दोलनकारियों को सादर प्रणाम करते हुए सत्य बहुमत को समर्थन देकर सत्य बहुमत को सफल बनाने की अपील करता हूं।

15. सत्य बहुमत को समझने के पश्चात अपने विचारों में मतदाता गरीब और लाचार नहीं हैं। भ्रष्ट बहुमत को जड़ से सदा सदा के लिए समाप्त करने का मार्ग मिल गया और जब मार्ग मिल जाता है तो लक्ष्य तक पहुंचना भी कठिन नहीं होता। अब अपने को लाचारी और निराशा की स्थिति में न आने दें। हर समय उत्साहित रहकर सत्य बहुमत को सफल बनाने के

सकारात्मक प्रयास करके केवल देशभक्त नहीं सच्चे देशभक्त बन जाओ।



16. जो मतदाता मत नहीं करते उन्हें तो सत्य बहुमत से सहमत होने में कोई असमंजस होना ही नहीं चाहिए। मत नहीं करने वाले मतदाताओं को तो मानो सत्य बहुमत का विचार आने से घर में ही गड़ा हुआ सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, नीलम और पन्नों का खजाना मिल गया। ये कोई सपना या कल्पना नहीं सच्चाई है। सत्य बहुमत की भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित हो जाने के पश्चात आप अपनी आंखों से देख लेना कितने कम समय में हमारा देश, समाज और हम धनाढ्य व शक्तिशाली हो जाते हैं।

17. जो मतदाता अपने मतदान को बदलते रहते हैं और उनके मतों से कभी कोई राजनीतिक दल सत्ता पक्ष बन जाता है और कभी विपक्ष, लेकिन क्योंकि सभी राजनीतिक दल सदस्यों के बहुमत की भ्रष्ट व्यवस्था में विश्वास रख कर ही चुनाव लड़ते हैं, इस स्थिति में मतदाता के किसी भी पक्ष को मत करने से भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल पाती। मत को करने से ये तो समझ में आया कि मत करने वाले देश के जागरूक और जिम्मेवार मतदाता हैं, मत करने वाले मतदाताओं का प्रजातंत्र और बहुमत की व्यवस्था में विश्वास है, और मतदाता भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को स्थापित करवाने के लिए निरन्तर प्रयास करते हुए कभी पक्ष को या कभी विपक्ष को मतदान करते रहते हैं। लेकिन सत्य बहुमत की व्यवस्था न होने के कारण, मतदान करने पर भी करे कराए पर पानी फिर जाता है। ऐसे मतदाताओं से मेरी अपील है कि जब सत्य बहुमत का विकल्प आप को मिल गया तो अच्छी तरह सोच विचार करके

सत्य बहुमत को समर्थन देने के निर्णय में देर मत करो, जितना भी अधिक से अधिक सकारात्मक सहयोग जनमत को तैयार करने में कर सको करके सत्य बहुमत को संवैधानिक रूप से स्थापित करवा डालो।

18. जो मतदाता एकदम पक्के होकर भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले राजनीतिक दल यानि सत्तापक्ष को मत करते हैं, या भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के अवसर मिलने पर भी ठोस सुझाव नहीं देते उन्हीं राजनीतिक दलों यानि विपक्ष को ही मत करते हैं, ऐसे मतदाताओं से मेरा प्रश्न है कि आपके किसी भी पक्ष को मत करने से भ्रष्टाचार का जन्म हुआ और भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ा, या भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोई ठोस नीति नहीं बन पाई, तो आप स्वयं सोचिए क्या ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को मत करने से ही देश के स्वाभिमान का पतन नहीं हुआ? क्या ऐसे राजनीतिक दलों को मत करके हम स्वयं भ्रष्टाचार की व्यवस्था से सहमत नहीं हैं? अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन बीते युगों की गलतियों को याद रखकर भविष्य में ऐसी गलती कभी भी न हो, सत्य बहुमत के समर्थन में विलम्ब नहीं करना चाहिए। 65 वर्षों के भ्रष्टकाल को और लम्बा न होने दें। हमने तो आजादी से आज तक भ्रष्टाचार की व्यवस्था में जीवन जीया सो जीया परन्तु हमारी आने वाली सन्तानें इस घृणित व्यवस्था का शिकार न बनें। भ्रष्ट बहुमत की राजनीति में जीते हुए सदस्यों से बने सत्तापक्ष के पास भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कोई भी उपाय नहीं है और न ही जीते हुए सदस्यों से बने विपक्ष के पास कोई सुझाव, ऐसी स्थिति में आप ही सोचिए भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति कैसे बनेगी? अब तो केवल मतदाताओं को ही सत्य बहुमत की राजनीति को समझकर भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति को जन्म देना है। देश के 99 प्रतिशत से भी अधिक लोग

जो भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं रखते हैं अपने मताधिकार द्वारा 1 प्रतिशत से भी कम भ्रष्टाचार को जन्म देने वालों को बहुत आसानी से हरा कर सत्य बहुमत की राजनीति को स्थापित करवाने में सफल हो सकते हैं।



19. मेरे विचार से वर्तमान व्यवस्था में तीन प्रकार के मतदाता हैं। सबसे पहले तो वो मतदाता हैं जो मत करते ही नहीं, दूसरे वो हैं जो सत्तापक्ष के विरोध में मत करते हैं और तीसरे वो जो सत्तापक्ष के पक्ष में मत करते हैं। जो मतदाता सत्तापक्ष के पक्ष में मत करते हैं, ऐसे मतदाता भ्रष्टाचार को जन्म देने वालों को व भ्रष्टाचार करने वालों को अपना समर्थन देकर उन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करते हैं। मेरी समझ में वर्तमान भ्रष्ट बहुमत के आाधार पर बने सत्तापक्ष के पक्ष में मत करने वाले मतदाता सबसे घटिया मतदाता हैं। इससे तो अच्छा था विपक्ष को ही मत करते। वास्तव में भ्रष्टाचार का जन्म भ्रष्ट बहुमत के सत्तापक्ष से या भ्रष्ट बहुमत का सत्तापक्ष बनने की ललक से ही होता है।

20. दूसरी प्रकार के मतदाता जो सत्तापक्ष के विरोध में मत करते हैं कुछ कम घटिया हैं। विपक्ष को मत करने वाले मतदाता भी ऐसी व्यवस्था को बनाने में सफल नहीं हो पाए जिससे भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाए। विपक्षी दल से न तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, और न ही विपक्ष ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई ठोस सुझाव दिए, सरकार के सम्पूर्ण कार्यकाल में विपक्षी दलों की आंखों के सामने खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार होता रहा और सभी विपक्षी दल बेबस, बेसहारा, लाचार, असहाय और

मूकदर्शक बनकर अपनी ही आंखों के सामने होते हुए भ्रष्टाचार को देखते रहे, ऐसे विपक्षी दलों की आवश्यकता ही क्या है? किस प्रकार की देशभक्ति का प्रमाण हमारे विपक्षी दल देशवासियों को दिखाना चाहते हैं। और कुछ नहीं तो भ्रष्टाचार के विरोध में कम से कम विपक्षी दल त्याग पत्र देकर मतदाताओं के सामने सत्य बहुमत की भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति के विचार को रखकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम तो करते, और फिर अपनी उन्हीं आंखों से देखते कैसे भ्रष्ट राजनीति में हड़कम्प मचता। केवल ये कहकर अपनी लाचारी जताते हैं कि हम सत्ता में नहीं हैं इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, और निरन्तर इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि किसी प्रकार भी सत्ता में आएं। यदि विपक्ष सत्ता में आ भी जाता है तो फिर वही ढाक के तीन पात, ऐसी किसी भी नीति का निर्माण नहीं करते जिससे भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाए। तो कभी सत्ता वाले विपक्ष में आकर या कभी विपक्ष वाले भ्रष्ट बहुमत से सत्ता में आकर भ्रष्टाचार का आनन्द लूटते रहते हैं। सच्चाई तो ये है कि वर्तमान भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था में भ्रष्टाचार को समाप्त किया ही नहीं जा सकता। विपक्ष को मत देने से तो अच्छा था मत न ही देते।

21. अब बात करते हैं उन मतदाताओं की जो मत करते ही नहीं। मैं उन मतदाताओं को जो भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को मत नहीं करते सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिमान मतदाता मानता हूं। भ्रष्ट बहुमत की वर्तमान व्यवस्था में आप मत जिस मर्जी को करो या जिस मर्जी को न करो भ्रष्टाचार समाप्त होता ही नहीं, और यदि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तो विकास होगा कैसे, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी से पीछा छुटेगा कैसे। किसी भी पक्ष को वोट करने से भ्रष्टाचार समाप्त होता ही नहीं, ऐसी परिस्थिति में मतदान करके

भ्रष्टाचारियों का समर्थक बनने से तो कहीं अच्छा है मतदान किया ही न जाए। इतनी भारी संख्या में मतदान नहीं करने वाले सारे ही मूर्ख, आलसी या नासमझ नहीं हैं अपितु वर्तमान व्यवस्था से लाचार होकर ही इतनी भारी संख्या में मतदान नहीं करते। भारी संख्या में मतदान नहीं करने वालों को मैं सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी मानता हूं कि उन्होंने भ्रष्ट व्यवस्था के बदले भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को स्थापित करने के लिए स्थान खाली रखा हुआ है, जैसे ही मौका लगेगा भ्रष्ट बहुमत के बदले सत्य बहुमत को समर्थन दे देंगे।

22. वर्तमान व्यवस्था में मतदान नहीं करने वालों से मैं 100 प्रतिशत से भी अधिक सहमत हूं। भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को आज तक मैंने मत किया सो किया लेकिन आने वाले चुनावों में मेरा दृढ़ निश्चय है या तो मैं सत्य बहुमत के समर्थन में वोट करूंगा या करूंगा ही नहीं। मतलब मैं वर्तमान भ्रष्ट बहुमत का सत्तापक्ष बनकर भ्रष्टाचार को जन्म देने वालों को या विपक्ष में भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाने वालों को वोट नहीं करूंगा ये मेरा दृढ़ निश्चय है।

23. इतनी भारी संख्या में मत नहीं करने वालों से ये सिद्ध होता है कि वर्तमान सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था भ्रष्ट व्यवस्था है और मत नहीं करने वाले इस व्यवस्था को नकारते हैं। विश्व का ये कैसा महानतम प्रजातंत्र है जिसमें बहुमत को स्थापित करने के लिए इतनी भारी संख्या में मत करने वाले मतदान करना ही नहीं चाहते। वर्तमान सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था भ्रष्ट है, इसको प्रमाणित करने के लिए और कौन सा प्रमाण चाहिए। अब बात ये हुई कि वर्तमान व्यवस्था में सत्तापक्ष को

मत करने से अच्छा है विपक्ष को मत करना, और विपक्ष को मत करने से अच्छा है मत नहीं करना, लेकिन बिना मत करे किसी भी व्यवस्था का निर्माण होगा कैसे। जब चारों तरफ से मन्थन हो जाने के पश्चात अच्छी और बुरी व्यवस्था की पहचान हो गई तब भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को नकारते हुए सत्य बहुमत की व्यवस्था को स्वीकार करने के पश्चात अधिक से अधिक मतदान करके होने दो मुकाबला अच्छों में सबसे अच्छे का।



24. हमारे राजनेता और आन्दोलनकारी व कुछ अन्य लोग मत नहीं करने वालों का विरोध करते हुए, ये कहते हैं कि अधिक मतदान करके अच्छे उम्मीदवार को चुनो। मतदान नहीं करने वालों का विरोध करने वाले, मतदाता के दिमाग में भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं और राजनेता फिर भ्रष्टाचार की व्यवस्था का दोष मतदाता के उपर ही मढ़ने में सफल हो जाते हैं। मेरे विचार में यदि 100 प्रतिशत मतदान हो जाता है तो भी वर्तमान व्यवस्था में अच्छे उम्मीदवार को चुनकर भ्रष्टाचार को समाप्त करना संभव नहीं है। जितना प्रतिशत भी मतदान हुआ हम यदि उसी को 100 प्रतिशत मतदान मान लें, इस स्थिति में आप थोड़ा विचार करके देखो कि व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त क्यों नहीं बन पाई। अभी मतदान कम हुआ बाद में यदि अधिक हो जाता है तो भी व्यवस्था तो वही की वही है, फिर अधिक मतदान होने से व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हो जाएगा। मतदान नहीं करने वाले मतदाताओं ने न तो किसी राजनीतिक दल का विरोध किया न ही समर्थन फिर भी राजनीति भ्रष्ट होने का दोष मतदान नहीं करने वालों के उपर कैसे लगाया जा सकता है। हां, इस बात पर अवश्य विचार किया जा सकता है कि मतदान नहीं करने वालों ने संगठित होकर भ्रष्टाचार मुक्त

सत्य बहुमत की राजनीति का विकल्प क्यों नहीं खोजा। भ्रष्टाचार की समस्या मतदान कम या अधिक होने से नहीं है, भ्रष्टाचार की समस्या तो भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था होने से है।

25 भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था में मतदान अधिक होने से आप क्या समझते हैं कि राजनीति का शुद्धिकरण हो जाएगा, ये बात सच्चाई के निकट भी नहीं है कि भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था में अधिक मतदान राजनीति को शुद्ध कर देगा। अधिक मतदान केवल जीते हुए सदस्य को कुछ और अधिक मतों से जितवा देगा या कुछ सदस्य किसी भी राजनीतिक दल के हार जीत में बदल सकते हैं, परन्तु अधिक मतदान भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को नहीं बदल सकता। कितना भी मतदान कम हो या अधिक सभी जीतने वाले भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था में विश्वास रखते हुए ही जीतेंगे, इसलिए भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था में अधिक मतदान करके अच्छे उम्मीदवार को नहीं चुना जा सकता। वर्तमान भ्रष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाने की व्यवस्था के विरोध करने का सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय मतदान न करना या मतदान बहुत कम करना ही है।

26. मतदान अधिक होने का एक परिणाम ये हो सकता है कि वर्तमान राजनीतिक दलों में से ही किसी एक राजनीतिक दल को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सदस्यों का पूर्ण बहुमत या आवश्यकता से भी कहीं अधिक सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो जाए, ऐसा पिछले 65 वर्षों की राजनीति में कई बार हो चुका है और कभी भी कितना ही सदस्यों का बहुमत केवल एक राजनीतिक दल को मिल जाने के पश्चात भी भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा, भ्रष्टाचार और अधिक गति से बढ़ा। सत्य बहुमत के आधार पर यदि सरकारें बनेंगी तो

चुनावों में बिना किसी कानून के बनाए, बिना किसी विज्ञापन के किए, अपने आप ही मतदान अधिक से अधिकतम होने लगेगा।



27. चुनावों में अच्छे उम्मीदवार को चुनना चाहिए इसका निर्णय कैसे हो और कौन करे। जब हमने भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था से सरकार बनाने को स्वीकार किया हुआ है तब अच्छे उम्मीदवार को कैसे चुना जा सकता है। मतदाता ने तो अच्छा समझ कर ही उम्मीदवार को मत दिया, किसी भी उम्मीदवार को मत करते समय क्या मतदाता ने उम्मीदवार को भ्रष्टाचार करने का आर्शिवाद दिया था? मतदाता नहीं समझ पा रहा है कि भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था में अच्छे उम्मीदवार को चुनना कैसे संभव है इसलिए बार बार मतदान करने पर भी अच्छे उम्मीदवार नहीं चुने जाते। सच्चाई तो ये है कि अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को भी यदि भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था में रहना है तो भले कितना ही सही भ्रष्टाचार का सहारा लेना ही पड़ेगा, भ्रष्टाचार को समर्थन देना ही पड़ेगा। देश आजाद होने के पश्चात संविधान बनाने वाले तो सभी लोग अच्छे थे फिर भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था को हमारे संविधान में घुसेड़ने का दुष्कर्म किसने करवाया, देश की गरीब जनता आज तक नहीं जान पाई तो आज सारी की सारी भ्रष्ट व्यवस्था में अच्छे उम्मीदवार को चुनने का क्या मापदंड होना चाहिए और उस मापदंड को कौन तय करेगा। आजादी मिलने के पश्चात हमारे सभी अच्छे राजनेताओं ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को क्यों नहीं स्थापित करवाया? सभी अच्छे राजनेताओं की बनाई हुई व्यवस्था में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कैसे स्थापित हो गया। भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था यदि कारण नहीं है तो क्या कारण है कि भ्रष्टाचार हमारी सरकारी व्यवस्था की जड़ जड़ में समा

गया। मतदाता के पास कौन सा ऐसा अधिकार है जिससे भ्रष्टाचारी को दंड दे सके। भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्टाचार को न करने देना और भ्रष्टाचारियों को दंड देना तो सरकार का काम है, लेकिन सच्चाई ये है कि सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था में भ्रष्टाचार मुक्त मापदंड बन ही नहीं सकते। भ्रष्टाचार मुक्त होने का विकल्प केवल –सत्य बहुमत– ही है। कैसी विचित्र बात है कि चुना हुआ सदस्य भ्रष्टाचार न करे, इसको रोकने की जिम्मेवारी भी आम मतदाता पर डाल दी जिसके पास भ्रष्टाचार को रोकने की कोई शक्ति है ही नहीं। गरीब जनता के पास भ्रष्टाचार का विरोध करने की कुछ शक्ति आन्दोलनों, सत्याग्रहों, और अनशनों द्वारा है भी तो सत्ताधारियों ने उसका क्या हाल किया सभी को भली प्रकार मालुम है। वास्तव में मतदाता को शक्तिशाली बनाना ही सत्य बहुमत का उद्देश्य है।

28. भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था में सरकार बनाने के लिए नेता मतदाताओं द्वारा नहीं चुना जाता। जीते हुए सदस्यों को भी नहीं मालुम कि सरकार किस नेता के नेतृत्व में बनने जा रही है। हमारे प्रजातंत्र में सरकार का नेता बनने के लिए चुनाव लड़ना आवश्यक नहीं है और जब चुनाव लड़ना ही आवश्यक नहीं है तो नेता को चुनाव जीतना भी आवश्यक नहीं है। किसी के भी नेतृत्व में जीते हुए 543 सदस्यों में से 272 को एक तरफ करके सरकार बनाई जा सकती है। जीते हुए सदस्यों में से कितने अपराधी हैं और कितने देशभक्त हैं इसकी तो चर्चा करना ही बेकार है क्योंकि 272 सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने के लिए ये भी आवश्यक नहीं है कि समर्थन देने वाले सदस्य अपराधी नहीं होने चाहिएं। केवल 272 सदस्यों की गिनती पूरी करो और सदस्यों के बहुमत से सरकार

बना लो। नेता को सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने के लिए किसी भी अपराधी या भ्रष्टाचारी सदस्य का समर्थन लेकर सरकार बनाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती, बल्कि नेता अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का समर्थन लेकर अपनी सरकार को सुरक्षित समझता है। भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था ही बहुत आसानी से घृणित से घृणित अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संसद तक पहुंचा देती है। चुनावों में सबसे अच्छे उम्मीदवार का चुनाव कैसे होना चाहिए, ये प्रश्न अति गम्भीर होते हुए भी है बहुत सरल, मेरे विचार में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अच्छे हैं और प्रजातंत्र की राजनीति में सिद्धांत रूप से उनमें सबसे अच्छा उम्मीदवार वो है जो चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त करने में सफल होता है। इसी आधार पर जब सत्य बहुमत की व्यवस्था में पूरे देश में अधिक मत प्राप्त करके जिस भी राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने का अवसर मिलेगा वह नेता किसी भी क्षेत्र में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। क्या एक भी क्षेत्र में अपराधी या भ्रष्टाचारी को उम्मीदवार बनाने से मतों का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में नहीं होगा? पूरे देश में मतों की गिनती अन्य दलों की तुलना में कम होने पर कम मतों वाला नेता सरकार नहीं बना पाएगा इसलिए सत्य बहुमत की व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त है और सत्य बहुमत की व्यवस्था में अपराध और भ्रष्टाचार की संभावना अंश भर भी नहीं है। चाहे किसी भी संसदीय क्षेत्र के नेता का चुनाव हो या सरकार बनाने के लिए देश के नेता का, अच्छे उम्मीदवार को तो केवल सत्य बहुमत के आधार पर ही चुना जा सकता है। अच्छे बुरे की पहचान तो भगवान भी नहीं कर पाया इसलिए हर युग में अच्छे और बुरे का जन्म होता है, लेकिन अच्छा और सत्य सदा के लिए जीवित रहता है और बुरा अन्तकाल में समा जाता है।

29. प्रजातंत्र की राजनीति में तो अच्छे बुरे का निर्णय वोटों के बहुमत से ही होता है, और वोटों के बहुमत से किया हुआ निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता, इसी आधार पर सत्य बहुमत को सम्पूर्ण समर्थन देने के लिए मैं सहमत हुआ। सत्य बहुमत की व्यवस्था में जिस भी राजनीतिक दल के नेता को पूरे देश में सबसे अधिक मत प्राप्त करने पर सरकार बनाने का अधिकार मिलेगा वो नेता चाह के भी भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। सत्य बहुमत की व्यवस्था में चुना हुआ नेता न भ्रष्टाचार करेगा न ही कर सकता तो इससे भी अच्छी विधि अच्छे नेता को चुनने की और क्या हो सकती है सोच लो। कुछ लोग सत्य बहुमत की व्यवस्था में निराधार खोट निकालने का प्रयास करते हुए अपना विचार रखते हैं कि सत्य बहुमत की व्यवस्था में एक नेता प्रजातंत्र का तानाशाह बन जाएगा। माना कि सत्य बहुमत की व्यवस्था से हम अपने चुने हुए नेता को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति दे रहे हैं। चुना हुआ नेता अपनी बुद्धि और विवेक से देशहित में निर्णय लेगा इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि चुना हुआ नेता प्रजातंत्र का तानाशाह बन जाएगा। पूरे देश के प्रजातंत्र ने कई नेताओं में से मतों के बहुमत से अपने नेता को–चुना है। तानाशाह चुने नहीं जाते, तानाशाह तो तलवार की ताकत पर बन जाते हैं। मतों के बहुमत से चुना हुआ नेता मतदाताओं की आकांक्षाओं के अनुसार निर्णय लेगा, न कि तानाशाह की तरह बिना प्रजातंत्र के, बिना चुनावों के और न ही बिना मतों के बहुमत से अपनी इच्छा के निर्णय तलवार की ताकत पर प्रजा के उपर थोपेगा। तानाशाही में न तो प्रजातंत्र होता है और न ही चुनावों के माध्यम से बहुमत के सिद्धान्त पर निर्णय, इसलिए प्रजातंत्र में मतों के बहुमत से चुने हुए नेता की तुलना तानाशाह से करके सत्य बहुमत की व्यवस्था में निराधार खोट निकाल कर समय बर्बाद करने के साथ साथ

मतदाताओं के बहुमत से निर्णय का अपमान करना है। प्रजातंत्र में मतों के बहुमत से चुना हुआ नेता सागर के समान होता है और सागर कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, ये प्राकृतिक सिद्धांत है। यदि किसी स्थिति में ये मान भी लिया जाए कि मतों के बहुमत से चुना हुआ नेता भी निरंकुश हो सकता है तो ऐसी स्थिति में सत्य बहुमत की व्यवस्था बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपने चुने हुए नेता पर अंकुश लगाने का और बर्खास्त करने का प्रावधान करती है। मेरे भाई, वर्तमान भ्रष्ट बहुमत में नाम तो है प्रजातंत्र का और चल रही है तानाशाही, इसलिए भ्रष्ट बहुमत की तानाशाही के बनावटी प्रजातंत्र से तो हर रूप में हर स्थिति में सत्य बहुमत के सच्चे प्रजातंत्र की तानाशाही कहीं अच्छी है।



30. हमारा मुख्य लक्ष्य है भ्रष्ट बहुमत के बदले सत्य बहुमत के आधार पर सरकार बनाना। सत्य बहुमत का अर्थ समझने में गलती नहीं करना। सत्य बहुमत का अर्थ है जिस प्रकार एक सदस्य के चुनाव में एक भी वोट दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में अधिक पाने से विजय होती है ठीक उसी प्रकार किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दलों की तुलना में एक भी वोट अधिक मिलने पर स्वतंत्र रूप से उस राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने का अधिकार मिले न कि समझौते, सांठगांठ, जोड़–तोड़ व गठबंधन के आधार पर 272 सदस्यों का जोड़ बिठाकर।

31. हमारे देश के नागरिक गरीब होते हुए भी बुद्धिमान हैं, फिर भी कैसे भ्रष्ट बहुमत के चंगुल में फंस गए। अंग्रेजों की गुलामी से राजनीतिक आजादी दिलवाने वाले कुछ स्वार्थी राजनेताओं पर विश्वास ही कारण रहा होगा, जिन्होंने अंग्रेजों से राजनीतिक

आजादी लेने के बाद देश के संविधान में बहुमत का अर्थ ऐसे फिट करवाया जिसका परिणाम केवल भ्रष्टाचार ही निकला। अवश्य ही कुछ स्वार्थी राजनेताओं का प्रायोजित षड़यंत्र था और है। गरीबों में और गरीबी देखने के बजाय षड़यंत्र को ही समाप्त करना है। बिल्कुल नई विचारधारा, नई सोच, नई व्यवस्था को स्थापित करके गरीबी केवल नारों से नहीं, गरीबी को जड़ से समाप्त करना हमारा संकल्प है।

32. मैं कोई स्वप्न दिखाकर गरीबों के केवल वोट लेने के लिए राजनीतिक दल का निर्माण नहीं कर रहा। केवल सच्चाई के आधार पर भ्रष्ट बहुमत के बदले सत्य बहुमत की स्थापना की बात कर रहा हूं, जो आज तक किसी और राजनीतिक दल या आन्दोलनकारी ने नहीं करी।

33. आपने कभी सोचा कि आज तक किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने –सत्य बहुमत– का विचार क्यों नहीं दिया? सभी राजनीतिक दलों ने केवल गठबंधन से ही सरकार बनाने का धर्म क्यों स्वीकार किया हुआ है? आजादी के 65 वर्षों में अनगिनत योजनाओं की घोषणा करने के बाद भी, अनगिनत आन्दोलनों, सत्याग्रहों और अनशनों के होने पर भी, भ्रष्टाचार के विरोध में असीम चर्चाओं और बहस हो जाने के पश्चात भी और कठोर से कठोर कानून बना लेने के पश्चात भी भ्रष्टाचार समाप्त होने की बात तो छोड़ो, भ्रष्टाचार बढ़ता ही क्यों चला गया? गरीबी और बेराजगारी दूर करने के सभी कार्यक्रम क्यों धराशायी हो गए? केवल सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाना ही एकमात्र कारण है जो विकास की गति को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देता।

34. केवल असफलताओं को गिनवाने में समय बर्बाद न करके बात एक ही है कि पहले के जीवन की तुलना में आज का जीवन हर प्रकार से नीरस, कमजोर, दुखदायी, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, महंगाई मिलावट और भ्रष्टाचार का अंबार है। चलते चलते कब किसी का खून हो जाएगा, कब किसी का बलात्कार हो जाएगा, कब किसी का अपहरण हो जाएगा, कब किसी भी बच्चे या असहाय को अगवा करके गबन कर लिया जाएगा, कब चोरी या डाका पड़ जाएगा, सारे देश ने पिछले 65 वर्षों में खूब अच्छे से अनुभव कर लिया है। कुपोषण से जन्मजात बच्चे, महिलाऐं व पुरूष अकारण और असामयिक मौत के शिकार हो रहे हैं। कितने डॉक्टरों और कितने ही अस्पतालों का निर्माण हो जाने के पश्चात भी बीमारी समाप्त होने की बजाय कम भी नहीं होती, कितने ही थानों और जेलों की बढोतरी होने पर भी अपराध कम नहीं होते, कितने ही न्यायालयों का निर्माण हो जाने पर भी मुकदमे कम नहीं होते, ये कैसा विकास हुआ!

35. किसानों द्वारा गोबर पर आधारित कृषि के बदले रासायनिक खाद का प्रयोग उनके खेतों में जबरदस्ती करवाकर सभी खाद्य पदार्थों को जहरीला बनाने के साथ साथ सारी धरती को भी जहरीला बना दिया। उन जहरीले खाद्य पदार्थों को खाने से जनता बीमार होने लगी व नए नए प्रकार के रोग देखने को मिलने लगे। जब रोगी और रोग बढ़े तो रोगों के उपचार करने वालों और उपचार के लिए विदेशी मशीनरी, यंत्रों और दवाइयों की मांग भी बढ़ने लगी। आज रोगी और रोगों के प्रकार इतने अधिक हो गए हैं कि रोगों का उपचार करने के लिए विदेशी दवाइयों, मशीनरी और उपकरणों की मांग दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। हां

इस व्यवस्था ने देश की जी.डी.पी. बढ़ाने में खूब सराहनीय योगदान दिया है। क्या देशवासियों को ऐसी जी.डी.पी. की वृद्धि स्वीकार है?

36. तो कैसे माना जाए कि वर्तमान भ्रष्ट बहुमत से सरकार बनाने की व्यवस्था उचित है, जिसके रहते केवल असफलताऐं ही देखने को मिलीं। सभी लाचारियों का कारण है केवल भ्रष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाने की व्यवस्था को स्वीकार करे रखना जिससे विकास और गरीबों के भले की कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती। हम सत्य बहुमत की व्यवस्था से सरकार बनाकर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त हो सकते हैं, भ्रष्टाचार न होने से सभी बुराइयों का अन्त स्वतः ही हो जाएगा। क्या –सत्य बहुमत– की व्यवस्था से भ्रष्टाचार समाप्त होने में असफलता का कोई भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है? क्या किसी भी राजनीतिक दल के पास –सत्य बहुमत– के विचार में विरोध करने का कोई उचित कारण है?

37. आज देश के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक सत्ताधारी दल तो केवल तानाशाही का प्रमाण है। दल के किसी सदस्य में भी अपने पार्टी अध्यक्ष से किसी विचार में भी असहमति दिखाने का साहस नहीं है। सत्ताधारी दल से बने हुए सरकार के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य ही नहीं हैं, फिर भी प्रधानमंत्री हैं। सत्ताधारी राजनीतिक दल के अध्यक्ष न हिन्दी बोलना जानते हैं न लिखना न पढ़ना फिर भी हिन्दुस्तान की राजनीति के मालिक बने हुए हैं। देश के प्रजातंत्र में बहुमत से सरकार बनाने की हुंकार भरने वाले सत्ताधारी राजनेता में इतना साहस नहीं है कि वर्ष में एक बार तो किसी सार्वजनिक रैली का आयोजन करके जिस जनता से वोट लेकर बहुमत का अधिकार जताया हुआ है उसके सामने

जाकर अपने कर्मों का लेखा जोखा बता सकें। टीवी या रेडियो पर भी सत्ताधारी नेता को जनता के सामने अपनी बात रखने का समय नहीं है, प्रेस सम्मेलन में आकर भी जनता के सामने रूबरू होने से डरते रहते हैं। सत्ताधारी दल के अधिकतर मंत्री विदेशी वेशभूषा में सजे रहते हैं और केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही अपने आप को ब्रह्माण्ड के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान होने का दम भरते रहते हैं। सत्ताधारी दल के एक युवराज जब चाहें किसी को भी हटाकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जब चाहे देश का प्रधानमंत्री बनने वाले युवराज को जीवन के चालीस बसंत बीतने के पश्चात पहली बार देश के गाँव में एक रात बिताने का समय मिला। अनुमान लगा लीजिए देश के लगभग सात लाख गाँवों को मात्र देखने के लिए कितने लाख वर्ष लगेंगे। कुल गाँवों की तो छोड़ो देश के कुल जिलों में भी भ्रमण करने का समय नहीं है, परन्तु प्रधानमंत्री बनने की ताकत चुटकी बजाने से भी कम समय में भ्रष्ट बहुमत के जुगाड़ से रखते हैं। वर्तमान सत्ताधारी दल देश की राजनीति चलाने के बजाय ऐसा लगता है मानो कोई एम.एन.सी. चला रहे हों और वर्तमान प्रधानमंत्री उस एम.एन.सी. कम्पनी के मालिक का स्वामिभक्त सेवक हो। पता नहीं कौन से बहुमत के आधार पर देश की राजनीति चल रही है।

38. दूसरे राजनीतिक दल में आपस की कलह से पीछा नहीं छूटता। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि पार्टी का नेता कौन है, बिना नेता के तय किए, किस आधार पर जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे। बाकी के सभी राजनीतिक दल केवल प्रांतवाद की राजनीति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। भ्रष्ट बहुमत की राजनीति से तो यही सबकुछ होना था। यदि भ्रष्ट बहुमत की राजनीति कारण नहीं

है तो आज का सत्ताधारी राजनीतिक दल, आजादी के समय से राजनीति में बर्चस्व रखने के बावजूद भी क्यों सिकुड़ता चला गया? क्यों प्रांतवाद की राजनीति देश की राजनीति पर हावी होती चली गई? राजनीतिक दलों के चरित्र में गिरावट और सिकुड़ने का कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केवल भ्रष्ट बहुमत के सहारे सरकारों के बनाने की व्यवस्था ही है, और ये बात भी कोई झुठला नहीं सकता है कि आज किसी भी राजनीतिक दल का कितना और किसी प्रकार से जिंदा रहने का कारण भी भ्रष्ट बहुमत का सहारा ही है।

39. भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए और भविष्य में कभी भ्रष्टाचार न हो, नई सोच के राजनीतिक दल –सत्य बहुमत– के निर्माण का निर्णय लिया है। आज देश को ऐसे राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है जो देश की एकता व अखंडता पर कोई आंच न आने दे, केवल –सत्य बहुमत– से ही ये संभव है।

40. यदि सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था में खोट नहीं है तो क्या कारण है कि आज किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए सदस्यों का स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। सत्तादल अपने कार्यकाल में देश की उन्नति और प्रगति के ढेर सारे आंकड़े दिखाने के बावजूद भी सदस्यों का स्पष्ट बहुमत लेने में सफल नहीं हो पाता। सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने के कारण ही आज चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को सदस्यों का बहुमत नहीं मिलता। भ्रष्ट बहुमत के बदले –सत्य बहुमत– की व्यवस्था से ही सच्चे बहुमत का निर्णय संभव है।

41. सत्य बहुमत की सरकार बनने पर हम निम्नलिखित योजनाओं की समयबद्ध घोषणा करते हैं:

1. सबसे प्रथम, सदन के पहले सत्र में पहले ही दिन से बिना अवकाश के सभी को बहस में भाग लेने का पूरा अवसर देकर, चाहे दिन रात लगातार संसद की कार्यवाही चलानी पड़े, सत्य बहुमत की व्यवस्था को स्वीकृति देकर संवैधानिक रूप से स्थापित करेंगे।
2. भ्रष्टाचार को समाप्त केवल एक माह के अन्दर कर दिया जाएगा।
3. न्यायसंगत कर दरों में संशोधन करके कालेधन को अधिक से अधिक 6 माह में समाप्त कर दिया जाएगा।
4. एक वर्ष के अन्दर अन्दर गरीबी समाप्त होने का असर दिखने लगेगा।
5. जाती, धर्म, भाषा या किसी प्रांत के भेदभाव के बिना सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।
6. योग्यता के आधार पर काम करने के अवसरों को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. संस्कृत, हिंदी, मातृ व प्रांतीय भाषाओं का पूरी तरह से सम्मान के साथ–साथ प्राथमिकता दी जाएगी।
8. देश की मातृभाषा व प्रांतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा।
9. विदेशी भाषाओं को सीखने का उचित प्रबंध कर दिया जाएगा।

10. कृषि, वस्त्र और पर्यटन उद्योग को अधिक प्राथमिकता देकर एक वर्ष के भीतर सभी हाथों को काम दे दिया जाएगा।

11. स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देकर, शून्य तकनीकी से बनने वाली सभी वस्तुओं के उत्पादन करने का व बेचने का अधिकार केवल देश के लोगों का ही होगा न कि विदेशी कम्पनियों का।

12. नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेते हुए पहले ही वर्ष में सभी नशीले पदार्थों का उत्पादन 50 प्रतिशत से भी अधिक घटा दिया जाएगा। नशीले पदार्थों का उत्पादन करने के लिए भविष्य में किसी को भी उद्योग लगाने की अनुमति बहुत सोच समझ कर दी जाएगी।

13. मांसाहारी के बदले शाकाहारी भोजन पर बल देकर उचित प्रबंध किए जाएंगे।

14. गऊ हत्या पर प्रतिबंध मात्र एक माह के अन्दर अन्दर लगा दिया जाएगा। और अधिक पशुधन बढ़ाने के लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे।

15. कम्प्यूटर की उच्च तकनीकी को स्वीकार करके सभी सेवाओं में भरसक प्रयोग किया जाएगा।

16. चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक विधियों को प्राथमिकता देते हुए अधिक बल दिया जाएगा।

17. देश को स्वच्छ, सुंदर पर्यटनशील बनाकर भारत को इठलाता हुआ प्रसन्न भारत बनाएंगे।

18. जल प्रबंधन की योजनाओं पर तुरन्त कार्य करके सभी देशवासियों के लिए स्वच्छ जल के प्रबन्ध किए जाऐंगे।

19. प्लास्टिक के प्रयोग पर पुर्नविचार करके प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा।

20. आवागमन के उचित साधनों के निर्माण व योजनाओं पर बल देकर पैट्रोल, डीजल व अन्य सम्बंधित वस्तुओं का आयात एक वर्ष में ही 25 प्रतिशत तक घटा दिया जाएगा।

21. सभी प्रकार के आवागमन में रोधक, बैरियर व टोलों को पूर्णतया तुरन्त समाप्त कर दिए जाएंगे।

22. उद्योग प्रबंधकों व व्यापारियों पर 100 प्रतिशत विश्वास करके माल के आने जाने पर लगे सभी प्रकार के फार्मों को 100 प्रतिशत तुरन्त समाप्त कर दिए जाएंगे।

23. देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सभी सेनाओं को आधुनिक से आधुनिक तकनीकी से अधिक से अधिक शक्तिशाली बना देंगे।

24. झूठ बोलने या लिखने को अपराध की श्रेणी में लिया जाएगा।

25. भूमि अधिग्रहण कानून को एक माह के अन्दर पूर्णतया समाप्त कर दिया जाएगा व न्यायसंगत रूप से नए नियम बनाए जाएंगे।

26. अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता वाले सभी कानूनों को 100 प्रतिशत समाप्त करके अपने देश और समाज के हित में नई व्यवस्था बनाएंगे।

27. सभी धर्मों का एक जैसा सम्मान करके आपस में भाईचारा, प्यार, प्रेम व सहयोग का वातावरण बनाएंगे।

28. प्राचीन संस्कृति व सभ्यता में उचित आधुनिकता व उच्चतम आधुनिक तकनीकियों का मिश्रण करके देश की संस्कृति व सभ्यता को विश्व में श्रेष्ठतम बनाएंगे।

29. देश के प्रत्येक नागरिक को सत्ताधारी राजनीतिक दल के नेता व सरकार के उच्च से उच्च पदाधिकारी से सीधा सम्पर्क करने की व्यवस्था कर दी जाएगी।

30. सत्य बहुमत की सरकार का गठन होते ही सरकारी मंत्रियों की सुरक्षा में 80 से 90 प्रतिशत के खर्च को घटा दिया जाएगा।

31. बंजर भूमि को अधिक से अधिक उपजाऊ बनाने की विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। खेतों में रासायनिक खाद के बदले गोबर खाद को अधिक प्रोत्साहन व प्राथमिकता देते हुए, सभी कृषि पदार्थों के उत्पादन को जैविक बनाकर रोगमुक्त बनाएंगे।

32. किसी भी उपजाऊ जमीन पर पक्के कारखाने या घर बनाने की तुरंत अनुमति न देकर चारों तरफ से सोच विचार करके ही निर्णय लिए जाएंगे।

33. अधिक कारखानों की भरमार ना करके ऐसी नीति का निर्माण करेंगे जिससे बंद कारखानों की जमीन और शक्ति को फिर से उत्पादन में बदला जा सके।

34. देश की अर्थव्यवस्था में वर्तमान उदारीकरण केवल आयात से होने की बजाय नई व्यवस्था में उदारीकरण निर्यात करने से करेंगे।

35. प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के पाठयक्रम में देश के गौरवशाली इतिहास को शिक्षा में जोड़ा जाएगा।

शिक्षा के साथ योग व व्यायाम, खेलकूद, आहार व देश की संस्कृति, सभ्यता और राजनीति की शिक्षा को भी शिक्षा में जोड़ा जाएगा।

36. केवल सत्तापक्ष के ही नहीं विपक्षी दल के योग्य नेताओं से देश की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सहयोग लेकर एक नई राजनीति को जन्म देंगे।

37. सौर ऊर्जा व वायु ऊर्जा का पहले ही वर्ष में 10 गुना उत्पादन व प्रयोग बढ़ा दिया जाएगा।

38. यदि सरकार के काम से सदन के कुल सदस्यों का 40, 30, या 20 प्रतिशत सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो सरकार को बर्खास्त करके दुबारा चुनाव करवाने का प्रावधान कर दिया जाएगा। लेकिन दुबारा से भी चुनाव होंगे केवल –सत्य बहुमत– के आधार पर ही। असंतुष्ट सदस्यों के प्रतिशत पर गंभीरता से विचार करके निर्णय लिया जाएगा।

39. सरकार के कार्यकाल की अवधि 5 बर्ष से घटा कर 4 वर्ष कर दी जाएगी।

40. किसी को भी किसी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया में दो बार से अधिक चुनाव के अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा।

41. सदन में किसी भी बिल को पास या फेल करने में सदस्यों के 100 प्रतिशत स्वतंत्र विचार होंगे। व्हिप के नियम को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा।

42. अधिक से अधिक उपयोगी वृक्षारोपण करके देश की सभी नदियों, झरनों, तालाबों, पहाड़ों व समुंद्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। प्राकृतिक भू संपदा व

साधनों का अनावश्यक प्रयोग न करके अधिक से अधिक सुरक्षित रखने के प्रबंध करेंगे।

43. हर नऐ मुकदमे का निर्णय एक वर्ष के भीतर भीतर करने का प्रबंध न्यायालयों में कर दिया जाएगा। जो मुकदमे चल रहे हैं उनको वर्तमान कानूनों में न्यायसंगत संशोधन करके एक वर्ष के अंदर अंदर 80 से 90 प्रतिशत मुकदमों का निर्णय कर दिया जाएगा।

44. भारत के स्वाभिमान पर आंच आने वाले किसी प्रकार के अंर्तराष्ट्रीय समझौते विदेश नीति के तहत नहीं किए जाएंगे। किसी भी महत्वपूर्ण समझौते को करने से पहले देश की जनता को पूर्णतया विश्वास में लेकर ही निर्णय लिए जाएंगे।

45. देशहित में, समाज हित में व गरीबों के हित में सभी नीतियों व कार्यक्रमों पर सभी से परामर्श करके शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेने की व्यवस्था कर दी जाएगी। जनाधार से परामर्श और विश्वास में लेने के उचित नियम बनाकर सही प्रबंध कर दिए जाएंगे।

46. –सत्य बहुमत– की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार स्थापित होने पर किसी वर्ष में भी घाटे का बजट पेश नहीं करेंगे।

42. आप सोचते होंगे कि इतने सारे श्रेष्ठ कार्य जो अभी तक 65 वर्षों में कितनी ही सरकारें नहीं कर पाईं, ये एक व्यक्ति जिसने कभी राजनीति करी नहीं, राजनीति का कोई अनुभव नहीं कैसे इतने कम समय में कर पाएगा। लेकिन सत्य बहुमत की व्यवस्था में किसी भी प्रकार के संदेह करने की आवश्यकता नहीं है।

सत्य बहुमत की सरकार बनने पर उपर तो केवल 10 प्रतिशत लाभ भी मैं नहीं गिनवा पाया, लाभ के अनगिनत विचारों को शब्दों में बांध ही नहीं पाया। मैं अकेला नहीं मेरे देश के 121 करोड़ लोग जब भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था में विकास के कार्य को करना आरम्भ करेंगे तब कठिन से कठिन कार्य भी बड़ी सरलता से और बहुत कम समय में होते ही दिखेंगे।



43. भ्रष्टाचार कौन करता है और कैसे होता है ! मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मेरे देश की जनता भ्रष्टाचारी नहीं है, कुछ परिस्थितियों में विवश होकर देश की गरीब जनता को भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर किया जाता है। भ्रष्टाचार राजनीति के सबसे शीर्ष पद से आरम्भ होकर सभी लोगों को छूता हुआ सबसे नीचे तक पहुंचता है। यदि सबसे ऊंचे पद वाला भ्रष्टाचारी नहीं है तो ये नियम पक्का है कि नीचे पद वाला भ्रष्टाचार करने का साहस नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार केवल सरकार से ही जन्म लेता है, सरकार बनने में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो भ्रष्टाचार का प्रवाह रूक जाएगा और हम एक सुन्दर देश व समाज का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे।

44. हमारे सभी आन्दोलनकारी जिन का मैं हदय से आदर करता हूं और उनकी भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाने के साहस करने की सराहना करता हूं , लेकिन हमारे आन्दोलनकारी ये बात अच्छे से समझ लें कि केवल आन्दोलनों, सत्याग्रहों व अनशनों से भ्रष्टाचार इसलिए समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमने स्वयं ऐसी राजनीति को स्वीकार किया हुआ है कि भ्रष्ट गठबंधनों से सरकार का निर्माण हो सकता है, भ्रष्टाचार को न चाहते हुए भी

कानूनी रूप से भ्रष्टाचार को जन्म देने का अधिकार दे रखा है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सदस्यों के बहुमत की राजनीति को बदलना ही होगा तभी भ्रष्टाचार देखते ही देखते समाप्त हो जाएगा।

45. हमारे देशवासी यदि भ्रष्टाचार व कालेधन से छुटकारा अभी तुरन्त एक ही पल में चाहते हैं तो आने वाले चुनाव में सरकार सदस्यों के बहुमत से न बनकर वोटों के बहुमत से बनेगी, घोषणा करवा दो, देख लेना अधिक से अधिक घोषणा के 15 मिनट के अन्दर ही भ्रष्टाचार का बुखार उतरना आरम्भ हो जाएगा।

46. हमारे देश के आन्दोलनकारियों ने भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी के विरोध में आवाज उठाकर जनमत तैयार करने में तो सफलता प्राप्त कर ली लेकिन भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी को समाप्त करने के लिए देश को सही राजनीतिक मार्ग नहीं सुझा पाए जिससे भविष्य में कभी भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी जन्म ही न ले सके। भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी समाप्त करने के लिए हमारे आन्दोलनकारियों ने एक राजनीतिक दल का विरोध तो कर दिया और अपने विरोध करने के पक्ष में दुनिया भर के तर्क भी तैयार कर लिए परन्तु भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी समाप्त करने के लिए किस राजनीतिक दल का समर्थन किया जाए ये बताने में या तो असफल रहे, या डर गए, या उनको पता ही नहीं किसे समर्थन दिया जाए क्योंकि सारे के सारे ही भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था में लिपटे हुए हैं या उनकी बुद्धि में –सत्य बहुमत– का विचार आया ही नहीं क्या कारण रहा, इसका उत्तर केवल आन्दोलनकारी ही दे सकते हैं। देश के आन्दोलनकारियों के पास इस समय –सत्य बहुमत– दल को समर्थन देने का एकदम सही अवसर है।

सत्य बहुमत दल को समर्थन देकर पहले से ही मौजूद भ्रष्ट बहुमत से सरकार बनने की व्यवस्था में विश्वास रखने वाले किसी भी राजनीतिक दल का न विरोध, न आलोचना और न ही समर्थन करने की आवश्यकता पड़ेगी। सांप भी मरेगा लाठी भी नहीं टूटेगी। भ्रष्ट बहुमत में विश्वास रखने वाले पहले से मौजूदा सभी राजनीतिक दलों की विचारधारा और कार्यक्रमों के परिणामों को देश के सभी सच्चे आंदोलनकारियों ने पिछले 65 बर्षों के अनुभव में अच्छे से देख लिया। जब –सत्य बहुमत– दल से देश को भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक विकल्प मिल गया तब बिना किसी संदेह, असमंजस के हमारे आन्दोलनकारी –सत्य बहुमत– दल को अपना समर्थन दे दें ताकि आने वाले चुनावों में, पहले झटके में ही भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी से तुरन्त छुटकारा पाने के साथ साथ भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल किसी भी स्थिति में बहुमत का दुरूपयोग न कर सके। आपके जरा से समर्थन से, जरा सी सहमति से देश सत्य बहुमत के विचार से कितना सहमत होता है अपनी आंखों से देख लेना। भ्रष्टाचार की ताकत में विश्वास रखने वाले भ्रष्ट नेता सत्य बहुमत से सहमत नहीं होंगे लेकिन 99 प्रतिशत से अधिक जनता लहराती हुई सत्य बहुमत से सहमत हो जाएगी।

47. सत्य बहुमत– का विचार जो मैंने आपको दिया क्या ये विचार पहले किसी भी राजनीति के धुरंदर की बुद्धि में नहीं आया होगा! शायद बात ये नहीं है, बात है जब एक बार आरम्भ में ही भ्रष्टाचार की राजनीति का बीज बोने में देश के भ्रष्ट राजनेताओं को सफलता मिल गई तो सोचते होंगे –सत्य बहुमत– के बदले भ्रष्ट बहुमत से जितना देश की गरीब जनता को लूट सकते हो लूट लो।

48. युगों युगों से साहसी वीरों और वीरांगनाओं ने भारत की धरती पर जन्म लेकर अपने प्राणों को न्योछावर करके देश के स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी। आप भी देश को भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी से मुक्त करवाने के लिए, किसी भी जाति, रंग, धर्म, प्रांत या भाषा का भेद भाव रखे बिना एकजुट होकर –सत्य बहुमत– की क्रांति को सफल बना डालो। इस कार्य को करने के लिए आपको प्राण न्योछावर करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, केवल आने वाले चुनाव के दिन अपना और अपनों के मत का प्रयोग –सत्य बहुमत– के समर्थन में करना और करवाना है। सत्य बहुमत दल के चिन्ह पर ठप्पा लगा देना। आजकल तो चुनावों में ठप्पा नहीं लगता मशीन में टीं बजवानी पड़ती है। इधर आप –सत्य बहुमत– के समर्थन में चुनाव की मशीन में टीं बजवाना उधर भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी की टीं बजनी आरम्भ हो जाएगी। अब जल्दी से जल्दी –सत्य बहुमत– को स्थापित करवाने के लिए ऐसा जनमत बनाने की क्रांति करनी है जो विश्व में कम से कम समय में, कम से कम धन खर्च करके, 100 प्रतिशत अहिंसक क्रांति का प्रमाण हो।

49. मैं फिर दोहराता हूं कि मेरा –सत्य बहुमत– के विचारों को लिखने का उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता की आलोचना या विरोध करना नहीं है। मैंने केवल वही लिखने का प्रयास किया है जिससे मेरे देश को गरीबी, भ्रष्टाचार व कालेधन से छुटकारा मिल सके। यदि भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी समाप्त करने का सत्य बहुमत के भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक विकल्प को छोड़कर कोई और राजनीतिक विकल्प किसी बुद्धिजीवी, किसी राजनीतिक पंडित के पास है तो बिना विलम्ब के देश की गरीब जनता के सामने लाए।

50. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो किसी और कल, मेरी नहीं तो किसी और की, आना पड़ेगा इसी बात पर कि भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी समाप्त केवल भ्रष्ट बहुमत के बदले सत्य बहुमत को स्थापित करने से ही हो सकती है।



51. पिछले 65 बर्षों के अंतराल में सभी राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों और नीतियों का अनुभव करने के पश्चात सत्य बहुमत से सहमत होकर, सत्य बहुमत को समर्थन देने में कोई भी संदेह या असमंजस नहीं होना चाहिए। क्या 65 वर्षों की राजनीति से अभी तक ये नहीं जान पाए कि भ्रष्टाचार, कालाधन, गरीबी, बेराजगारी, गंदगी, बीमारी, महंगाई, व मिलावट आदि कम हुई है या बढ़ी है। और प्रयोग करने में समय बर्बाद करना केवल मूर्खता है। जब सही और सच्चा मार्ग मिल गया तो भटकने की क्या आवश्यकता है। सभी देशवासियों को आह्वान करता हूं कि आने वाले चुनावों में लोकसभा के सभी क्षेत्रों में सत्य बहुमत की राजनीति से सहमत होने वाले उम्मीदवारों को उतार कर ऐसा समर्थन दें कि विजयी होकर पहले ही झटके में सत्य बहुमत को स्थापित करने में सफलता मिल जाए।

52. जिंदगी का जो समय भ्रष्टाचार में बीत गया उसको तो भगवान भी वापस ला नहीं सकता, लेकिन बीते हुए युगों की गलतियों को याद करके यदि हम सही दिशा में सकारात्मक प्रयास करके भारत की राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहें तो भगवान भी उसे रोक नहीं सकता। भगवान भी सहायता उसी की करता है जो सत्य मार्ग पर चलता है। सच्चे विचार भी भगवान उसी की बुद्धि में डालता है जो सच्चे कर्म करने का साहस रखता है।

53. मैं सभी देशवासियों सहित अपने आदरणीय आन्दोलनकारियों से सत्य बहुमत को स्थापित करवाने में सहयोग करने का आह्वान करता हूं। उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जो सत्य बहुमत की व्यवस्था से सहमत हैं आह्वान करता हूं कि स्वार्थ की राजनीति को त्यागकर देशहित की राजनीति को स्वीकार करके सत्य बहुमत की व्यवस्था बनाने में सकारात्मक सहयोग व समर्थन दें। देश के सभी धर्म व जातियों के लोगों से, सभी अमीर व गरीबों से, सभी संतों व सन्यासियों से सत्य बहुमत की क्रांति से जुड़कर क्रांति को सफल बनाने का आह्वान करता हूं, उन सभी अपराधियों व दोषियों से, भ्रष्टाचारी नेताओं से भी सत्य बहुमत के आन्दोलन से जुड़कर परिवर्तित होने का आह्वान करता हूं। मुझे धन का सहयोग नहीं चाहिए, केवल सत्य बहुमत की व्यवस्था में विश्वास करके उससे जुड़कर सत्य बहुमत की क्रांति को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग दें। मैं सभी मीडिया के बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे जटिल प्रश्नों के जाल में न फंसाकर सत्य बहुमत की क्रांति को सफल बनाने में अपना जी तोड़ सहयोग दें, और आन्दोलन को अपने पूरे सहयोग से जन जन तक पहुंचाकर सत्य बहुमत को स्थापित करवाने का श्रेय लें। सत्य बहुमत की क्रांति को सम्पूर्ण सफल बनाने के लिए सभी देशवासी सक्रिय प्रयत्न करके, ठोस सुझाव, सहयोग व समर्थन देकर केवल देशभक्त नहीं सच्चे देशभक्त बनें।

54. आगामी केन्द्र सरकार के चुनावों में अभी दो ढाई वर्ष का समय शेष है। आधुनिक संचार साधनों की तकनीक से –सत्य बहुमत– का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए ये समय पर्याप्त है। आज से ही सत्य बहुमत की क्रांति को सफल बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करना आरम्भ कर दें। सभी

कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों व देश के नागरिकों से मेरी विनती है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन या डर से अपने आप को असमंजस में न आने दें, निराश न होने दें और हिंसा तो होने ही न दें। हम सबका एक ही लक्ष्य है, देश की राजनीति में सत्य बहुमत को स्थापित करके भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी से देश को सदा सदा के लिए मुक्त करवाना।

55. सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यक्रमों की चुनाव से पहले ही घोषणा होनी चाहिए। पार्टी अपने मुख्य लक्ष्य सरल व सूक्ष्म भाषा में लिखे, पार्टी का नेता जिस प्रकार जीत और सफलताओं का श्रेय लेता है उसी प्रकार हार और विफलताओं की जिम्मेवारी लेने का भी साहस करे। आज की व्यवस्था में सब सत्ता की मौज ले रहे हैं, असफलताओं का कोई भी नेता जिम्मेवार नहीं बनता। जिनको जिम्मेवार बनना चाहिए कोई न कोई बहाने से अपने को वर्तमान व्यवस्था के सहारे निर्दोष प्रमाणित कर देने में सफल हो जाते हैं और समस्या वहीं की वहीं। सरकार बनाने के लिए जो नेता चुना जाए उसे सरकार बनाते समय केवल अपनी ही पार्टी के सदस्यों को मंत्री बनाने के बजाय विपक्षी पार्टी के भी योग्य सदस्यों से देश का विकास करवाने में उचित अवसर व सम्मान देकर सहयोग लेना चाहिए। तब सच्चा प्रजातंत्र स्थापित होगा। आज की व्यवस्था में प्रजातंत्र व बहुमत केवल शब्द हैं वास्तव में हैं नहीं। आज सत्तादल चाहे कितने भी गलत निर्णय ले सत्तादल का एक भी सदस्य अपने नेता का विरोध या आलोचना करने का साहस नहीं रखता। और सत्तादल चाहे कितने भी सही निर्णय ले विरोधी दल केवल आलोचना या विरोध ही करते हैं, ये स्थिति प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। सत्य बहुमत की व्यवस्था से

गलत को गलत, ठीक को ठीक कहने का साहस डंके की चोट पर करेंगे। सत्य बहुमत की व्यवस्था में पूरा सदन पक्ष की भूमिका के साथ साथ पूरा सदन विपक्ष की भूमिका भी निभाएगा।

56. देश का मैं तो एक बहुत ही साधारण नागरिक हूं। मेरी सत्य बहुमत की क्रांति से कौन सहमत नहीं होगा, क्रांति को जन जन तक पहुंचाने में कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा नहीं जानता, लेकिन ये बात निश्चित है कि भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी की समस्या का समाधान है केवल सत्य बहुमत ही, सत्य बहुमत स्थापित हो जाने के पश्चात सभी नियम, कानून, नीतियां अपने आप सच्चाई से ठीक पैदा होने लगेंगी। देश की राजनीति की खरल में देशभक्ति, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, सदभावना, प्रेम, सहयोग की ऐसी घुट्टी घुट जाएगी जिसको पी कर हर देशवासी देशभक्ति के रंग में रंग जाएगा और भ्रष्टाचार का नाम भी नहीं लेगा।

57. आज हमारे देश में मुख्य रूप से अंग्रेजों के ही बनाए हुए अनगिनत कानूनों की भरमार है। आम नागरिक की तो बात छोड़ो किसी अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी इन कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है। माना कि एक सभ्य समाज में उचित नियम, कानून कायदों की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन क्या सभ्य समाज में हर विषय पर अनगिनत कानून होने चाहिएं? पूरे विश्व में सबसे अधिक बुद्धिमान देशवासियों के देश में सभ्य व्यवस्था बनाए रखने में क्या हर विषय पर इतने कानूनों की भरमार उचित है? क्या देशवासियों को अच्छे बुरे का निर्णय लेने की जरा भी समझ नहीं है कि हर विषय पर निर्णय लेने के लिए कानूनों का ही सहारा लेना

पड़े। जिस देश की सभ्यता का डंका पूरे विश्व में बजता था उस देश के देशवासियों की व्यवस्था के लिए अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों की ही आवश्यकता क्यों है? इन अनगिनत कानूनों को बनाने का अर्थ ये है कि मतदाता सरकार की किसी अनुचित बात पर भी विरोध न कर सकें और यदि विरोध करें तो सरकार जब चाहे विरोध करने वालों को किसी भी कानून के अंतर्गत दंडित करके विरोध को दबाया जा सके। सत्य बहुमत की राजनीति से चुनी हुई सरकार का जन्म हो जाने के पश्चात सच्चे, ईमानदार व देशभक्त नागरिकों के लिए नियम कम से कम, छोटे से छोटे व सरल से सरल बनाएंगे जिससे प्रत्येक नागरिक अपनी चुनी हुई सरकार की व्यवस्था में अटूट विश्वास करे। अपराधियों के लिए नियम इतने कठोर होंगे कि कोई भी अपराध करना तो दूर, अपराध की सोचने मात्र से कांपने लग जाए।

58. आज की व्यवस्था में कानून व नियम इतने जटिल हैं कि न तो उनकी भाषा समझ में आती है न ही उनका अर्थ। कैसे इनका प्रयोग होगा ये भी आम नागरिक की समझ में नहीं आता। अच्छा आपसे यदि ये प्रश्न किया जाय कि तीन आम के सौदागर थे, पहले के पास तीस, दूसरे के पास चालीस, तीसरे के पास पचास आम थे। तीनों सौदागर बाजार में आम बेचने गए। तीनों ने अपने अपने सारे आम बिक्री कर दिए यानि कि एक भी आम तीनों में से किसी के पास शेष नहीं रहा। तीनों सौदागरों ने अपने अपने सारे आम एक ही रेट पर बेचे व कुल मूल्य भी तीनों को एक जैसा ही मिला। बताओ तीनों सौदागरों ने आम किस रेट पर और कैसे कैसे बेचे? बड़े से बड़े अर्थशास्त्री की बुद्वि के सारे पेच हिल जाएंगे परन्तु उत्तर नहीं खोज सकते। आगे पढ़ने से पहले जरा रुक

जाओ और प्रयास करो कि उत्तर क्या हो सकता है, यदि कागज और कलम के प्रयोग की आवश्यकता हो तो कर सकते हो।

59. हमारी व्यवस्था में हमारे राजनेताओं ने बहुमत व प्रजातंत्र का प्रयोग भी इसी जटिल प्रकार से तोड़ मरोड़ कर किया, और सोचा होगा कि आम जनता जो गरीब है, अशिक्षित है भ्रष्ट बहुमत का अर्थ नहीं समझ पाएगी, और करो मनमाने ढंग से बहुमत का उपयोग व दुरुपयोग। एक सदस्य के चुनाव में बहुमत का अर्थ कुछ, सरकार गठन के लिए बहुमत का अर्थ कुछ, और बिल को पास या फेल करवाने के लिए बहुमत का अर्थ कुछ। जैसा जटिल प्रश्न तीन आम के सौदागरों का है उससे भी कहीं अधिक जटिल प्रश्न आज की व्यवस्था में हमारे बहुमत का है। आम के सौदागरों के जटिल प्रश्न का तो सही उत्तर मिल ही जाएगा, भले ही गणित के थोड़े गुणा भाग करने पड़ेंगे। उत्तर ढूंढने में ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ कुछ मनोरंजन भी होगा। लेकिन भ्रष्ट बहुमत की व्यवस्था किसने हमारे संविधान में स्थापित करवाई, क्यों करवाई और कैसे देश के गरीब मतदाता इस भ्रष्ट बहुमत की कपटी राजनीति में फंसे जैसे प्रश्नों के उत्तर अनगिनत आन्दोलनों के पश्चात भी आज तक नहीं जान पाए, और जानने में कुछ सफलता मिली भी तो केवल हानि ही हानि, दोष ही दोष मिले।

60 लेकिन हमारे भ्रष्ट राजनेताओं ने ये नहीं सोचा होगा कि कोई न कोई गरीबी, बीमारी, लाचारी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त नागरिक इस खोटे बहुमत का खोट कहां छिपा है निकाल देगा, और सारे देशवासियों को इसका अर्थ समझाने में सफल भी हो जाएगा। एक ऐसा जनमत भी तैयार हो जाएगा जो विकराल से विकराल भ्रष्टाचार के रूप को खा कर भ्रष्टाचार का अंत कर देगा।

इस भ्रष्ट बहुमत के प्रश्न को सत्य बहुमत के उत्तर से सदा सदा के लिए मौत के मुंह में डालना है।

61 आम के सौदागरों जैसे तो चाहे कितने भी प्रश्न आएं हमारे गणितज्ञ ऐसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ निकालेंगे। तीनों सौदागरों ने एक रूपये के ग्यारह व एक रूपये का एक आम बेचकर सभी ने बराबर धन प्राप्त किया।

1. पहले के पास तीस आम थे, उसने एक रूपये के ग्यारह आम के रेट पर 22 आम बेचकर 2 रू. प्राप्त कर लिए। बचे हुए 8 आम 1 रू. का एक आम के रेट पर बेचकर 8 रूपये प्राप्त किए। सभी 30 आम बेचने से कुल 10 रूपये मिले।
2. दूसरे सौदागर के पास थे चालीस आम, उसने भी एक रूपये के ग्यारह आम के रेट पर 33 आम बेचकर 3 रू. प्राप्त कर लिए। बचे हुए 7 आमों को 1 रू. का एक आम के रेट पर बेचकर 7 रूपये प्राप्त किए। सभी 40 आम बेचने से कुल 10 रूपये मिले।
3. तीसरे सौदागर जिसके पास पचास आम थे, उसने भी एक रूपये के ग्यारह आम के रेट पर 44 आम बेचकर 4 रू. प्राप्त कर लिए। बचे हुए 6 आमों को 1 रू. का एक आम के रेट पर बेचकर 6 रूपये प्राप्त किए। सभी 50 आम बेचने से कुल 10 रूपये मिले।

सही उत्तर मिल गया ना। तीनों सौदागरों ने अपने अपने आम जो कि तीस, चालीस व पचास थे एक ही रेट पर जो एक रूपये के

ग्यारह और एक रूपये का एक था, बेचकर सभी ने एक समान कुल मूल्य 10 रूपये ही प्राप्त किए। गणित के कठिन प्रश्नों के उत्तर तो बुद्धि के प्रयोग द्वारा सरलता से खोजे जा सकते हैं, परन्तु भ्रष्टाचार जैसे प्रश्नों का समाधान निकालना बहुत कठिन है। भगवान भ्रष्टाचार जैसे प्रश्नों को जन्म ही न दे।

62. अब एक और प्रश्न यहां पर कर देते हैं। केवल चार बट्टों की सहायता से 1 से 40 किलो तक के सभी वजन पूरे भाग में तोले जा सकें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर 40 तक न कि एक किलो दो सौ ग्राम आदि, केवल पूरा भाग। बताओ चारों बट्टे किस किस वजन के हैं? उत्तर ढूंढने का प्रयास करो, मिल जाएगा। 13927

63 ऐसे प्रश्नों की चर्चा इसलिए करनी पड़ती है कि भ्रष्ट राजनेता जिनकी रूचि केवल भ्रष्टाचार में ही है भ्रष्ट बहुमत के विकल्प में सत्य बहुमत को स्थापित होने से पहले, स्थापित होने पर व स्थापित हो जाने के पश्चात अनगिनत जटिल प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास उन सभी प्रश्नों के उत्तर होने चाहिएं और हैं। सत्य बहुमत के ऊपर कोई प्रश्न, कोई संदेह, कोई दोष हो ही नहीं सकता। सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है तो सत्य बहुमत का भी कोई विकल्प नहीं है। भ्रष्टाचार व कालेधन को जड़ से समाप्त करने और भविष्य में फिर कभी भ्रष्टाचार व कालाधन जन्म न ले, केवल एक ही विकल्प है –सत्य बहुमत–।

64. आज के युग में संचार साधनों की तकनीकि में इतनी उन्नति हो चुकी है कि कम से कम समय में बहुत ही कम पैसा खर्च करके अपनी बात का विचार जन–जन तक पहुंचाया जा सकता है। और समय की प्रतीक्षा न करते हुए आने वाले केन्द्र सरकार के चुनावों से पहले ही जन–जन तक सत्य बहुमत का संदेश पहुंचाकर ऐसा जनमत तैयार कर देना है कि इन्हीं चुनावों में ही सत्य बहुमत स्थापित हो जाए। अभी तो दो वर्ष से भी अधिक समय पूरा प्रबंध करने में हमारे पास हैं। सत्य बहुमत से सहमत होने वाले उम्मीदवारों को ही समर्थन देकर विजयी बनाएं ताकि पहले ही झटके में भ्रष्टाचार का अंत होकर सत्य बहुमत को स्थापित करने के लिए कानूनी मुहर लगाई जा सके। इसमें चूकना नहीं है, चूक गए तो भ्रष्टाचार का और भयानक रूप देखने के लिए तैयार रहना।

65. एक बार फिर सभी आन्दोलनकारियों, राजनेताओं, अमीरों व गरीबों से, सभी धर्मों के सभी भाषायिओं से, सभी छोटे बड़े, जवान बुजुर्ग, पुरूषों और महिलाओं सहित सारे देशवासियों से भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी समाप्त कराने के लिए –सत्य बहुमत– की भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति को स्थापित करवाने में सहयोग की अपील करता हूं। आप सभी बैठकर अच्छे से सोच–विचार कर के देख लें कि क्या सत्य बहुमत के अलावा किसी और विकल्प से भ्रष्टाचार, कालाधन और गरीबी को समाप्त किया जा सकता है?

66. यदि आप सोचते हैं कि केवल सत्य बहुमत की व्यवस्था ही भ्रष्टाचार, कालाधन व गरीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए एकमात्र विकल्प है, तो फिर देर किस बात की, उठो और अभी से लग जाओ सत्य बहुमत की क्रांति को सफल बनाने के लिए। आने वाले चुनावों के परिणामों को देखकर समूचा विश्व आश्चर्यचकित

रह जाए और देख ले भारतवर्ष के गरीबों की क्रांति को जो बिना किसी हिंसा के, बिना समय बर्बाद किए, किसी धन के बिना खर्च किए सफल हुई।

67. जमाने को ये देखकर और भी आश्चर्य होगा कि कैसे एक साधारण से व्यक्ति की बुद्धि में –सत्य बहुमत– का विचार आया और कैसे –सत्य बहुमत– की क्रांति को गरीबों की सहायता से सफल बनाने में सफलता प्राप्त की, और देखते ही देखते भ्रष्ट बहुमत की राजनीति को कैसे –सत्य बहुमत– से चित कर दिया। सत्य बहुमत को समर्थन देकर अपनी आंखों से देख लेना कितना सुंदर व समृद्ध था हमारे भारत का अतीत।

## कुछ लिखने के लिए

## कुछ लिखने के लिए

## कुछ लिखने के लिए

*हर हरिजन*

*~सत्य बहुमत~*